हरियाणा विधान सभा

की


कार्यवाही

23 अगस्त, 2011

खण्ड-2, अंक-2

अधिकृत विवरण





विषय सूची

मंगलवार, 23 अंगस्त, 2011

	໌ (2)1
शोक प्रस्ताव	gh Xillan yen sil Mal
सदस्य का नाम लेना	(2)3
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)11
नियम 45 (1) के अधीन सदन की भेज पर रखे गए	
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)27
अतारांकित प्रश्ने एवं उत्तर	(2)29
थोषणा एं	(2)39
(क) अध्यक्ष द्वारा —	
(i) सभापतियों के नामों की सूची	
(ii) अनुपस्थिति के सम्बन्ध में स् व ना	
(ख) संचिव द्वारा —	
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलॉ सम्बन्धी	
बिजनैंस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(2)41
भुल्य : ्र _{ास्ट} ्र	

सदस्य को नेम करने के फैसले को रह करना	
विजनेस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करना (पुनशारम्भण)	(2)43
सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज-पुत्र	(2)44
गैर-स्रकारी संकल्प	(2)45
बैठक का स्थान	(2)46
संदर्शों का निलम्बन/बैठक का स्थान	(2)47
बैठक का स्थान	(2)50
मुख्यमंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य	(2)52
मुख्यमंत्री द्वारा सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोक दल तथा	(2)52
शिरोमणि अकाली दल के निलम्बित सदस्यों के व्यवहार तथा आचरण संबंधी	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव -	and the same of the same
श्री औन प्रकाश चौटाला, प्रतिपक्ष के नेता तथा दो अन्य एम०एल०ए० के	(2)54
विरुद्ध भ्रष्टावार संबंधी	
वक्तव्य —	in the second
लोक निर्माण (मवन एवं सड़कें) मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(2)55
बैटक का समय बढ़ाना	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भण)	(2)70 (2)70
बैंटक का समग्र बढ़ाना	(2)70
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भण)	(2)79
बैंटक का समय बढ़ाना	(2)79 (2)84
च्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनशरम्पण)	(2)84
बैटक का समय बढ़ाना	(2)89
विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक	(2)08
प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	(2)90
(i) श्री औम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध	(2)30
(ii) श्री औम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध	
(iii) श्री औम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध	
(iv) श्री ओम प्रकाश चीटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध	
वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 के लिए अनुदानों	
तथा विनियोजनों से अधिक मांगे प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान	(2)94
बैंडक का समय बढ़ाना	(2)97
वर्ष 2011-12 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना	\
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(2)97
वर्ष 2011-12 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर	
चर्चा तथा मतदान	(2)98
् विधान कार्य ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	(2)102



हरियाणा विधान समा मंगलवार, 23 अगस्त, 2011

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Chief Minister will make the obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़ा): अध्यक्ष महोदय, सदन की पिछली बैटक और इस बैटक के बीच कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानी और कुछ हमारे शहीद हमें छोड़कर चले गए हैं जिनके बारे में मैं यहां शोक प्रस्ताव रखता हूं:-

पटाखा फैक्टरी में विस्फोट

यह सदन 22 अगस्त, 2011 को जिला करनाल के गांव मुगल माजरा में एक पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण विस्फोट में भारे गए पांच लोगों के दु:खद व असामयिक निघन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

यह सदन दिवंगलों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन हमारे दो श्रद्धेय स्वलन्त्रता सेनाभियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं :--

करनाल के श्री देश राज शर्मा, जिनका निधन 18 अगस्त, 2011को ;

तथा

गांव माजरा कलां, जिला महेन्द्रगढ़ के श्री राम स्वरूप यादव. जिनका निघन 20 अगस्त, 2011 को हुआ।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

शहीद

यह सदन जिला महेन्द्रगढ़ के गांव खोड़ के सूबेदार निहाल बन्द शर्मा के 20 अगस्त, 2011 को तथा हिसार निवासी केन्द्रीय रिजर्थ पुलिस बल के सिपाही वीरेन्द्र सैनी के 19 अगस्त, 2011 को हुए दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

यह सदन इन महान् वीरों की शहायस को शत्-शत् नमन करता है तथा इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

बस तथा ट्रैक्टर ट्राली दुर्घटना

यह सदन 20 अगस्त, 2011 को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बस के खाई में गिरने तथा 22 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से मारे गए 21 यात्रियों के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

नक्सली हमला

यह सदम 19 अगस्त, 2011 को छत्तीसगढ़ के गांव मेटलापेरू के जंगलों में माओवादियों द्वारा किए गए नक्सली हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस के जवानों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव यहां रखा है मैं भी अपने दल की तरफ से उस प्रस्ताव में शामिल होते हुए सबसे पहले करनाल के मुगल माजरा में पटाखा फैक्ट्री में जो 5 लोग मारे गए उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसके साथ-साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो लगातार एक-एक करके इस संसार को छोड़ते जा रहे हैं जिनमें करनाल के श्री देशराज शर्मा जिनका निधन 18 अगस्त, 2011 को तथा गांव माजरा कलां जिला महेन्द्रगढ़ के श्री राम स्वरूप यादव, जिनका निधन 20 अगस्त, 2011 को हुआ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् स्थतंत्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जिला महेन्द्रगढ़ के गांव खोड़ के सूबेदार निहाल चन्द शर्मा के 20 अगस्त, 2011 को तथा हिसार निवासी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सिपाही धीरेन्द्र सैनी के 19 अगस्त, 2011 को हुए दु:खद व असामियक निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक व्यक्त करता हूं।

इन महान् वीरों की शहादत को हम शत्-शत् नमन करते हैं तथा मैं इनके शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 20 अगस्त, 2011 को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में थस के खाई में गिरने सथा 22 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से मारे गए यात्रियों के दु:खद व असामयिक निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं तथा दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 19 अगस्त, 2011 को छत्तीसगढ़ के गांव मेटलापेरू के जंगलों में माओवादियों द्वारा किए गए नक्सली हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस के जवानों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक व्यक्त करता हूं तथा दिवंगलों के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अनिल विज (अम्बाला केंट): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए हैं उनका मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से समर्थन करता हूं तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री कुलदीप विश्नोई (आदमपुर): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए हैं मैं भी उनका समर्थन करता हूं तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker: Hon'ble Members I associate myself with the Obituary References made by the Hon'ble Chief Minister and the feelings expressed by the other Members of this House. I feel deeply grieved on the sad demise of five people who lost their lives in an explosion occurred in a cracker factory in village Mughal Majra in Karnal district on 22.08.2011. I also feel sorrow on the sad demise of freedom fighters and martyrs and those innocent people who lost their lives when a bus fell into a deep gorge in Poonch district of Jammu & Kashmir on 20.08.2011 and the persons who lost their lives while on duty in a Naxalities attack in Chhattisgarh.

I pray to almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families and I would request all the Hon'ble Members to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(At this stage, the House stood in silence for two minutes to pay homage to the departed souls.)

सदस्य का नाम लेना

श्री आफताब अहमद : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, ******

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. (Interruption).

श्री आफताब अहमद: स्पीकर सर, हमारे जिले को बने (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, *******

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. Mr. Vij, this is not a public platform, this is question hour. I have dismissed your application. I have already disallowed it. Please resume your seat. (Interruption). I have disallowed it. Question Hour is the property of the House and it will not be suspended. It is the property of the House. (Interruption) Please resume your seats. (Interruption). They are talking about Banagru Laxman. (Noise & Interruption) Mr. Vij, is simply interested in Press highlights. He wants the Press should write about him. (Interruption) You cannot hold this House ransom like this.

^{*} धेयर के आधेशानसार रिकार्ड नहीं किया गया।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, आज सुबह इनकी भारतीय जनता पार्टी की नेता जो लोकसभा में विपक्ष की नेता भी हैं, उनको हिन्दुस्तान की सरकार ने यह कहा कि आप धारा 193 पर डिबेट के लिए चर्चा करें परन्तु भारतीय जनता पार्टी लोकपाल बिल पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुई। (शोर एवं व्यवधान) सबसे पहले ये यह बलायें कि क्या ये जन लोकपाल बिल का समर्थन करते हैं ? ये यह बत कहें तो सही। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please stop all this. Please resume your seats. Mr. Vij, you are misbehaving in the House. There are hundreds of students have been watching the proceedings of the House and you are totally misbehaving. You have been the member of this House so many times. You want to hold this House to ransom like this. Can you hold this House to ransom like this?

श्री आनंद सिंह दांगी: स्थीकर सर, ये मारतीय जनता पार्टी के सदस्य बिना वजह इतना शोर मचा रहे हैं क्या ये बतायेंगे कि इनकी पार्टी का कोई फ्रीडम फाईटर है? अगर हो तो ये कोई एक भी बता दें।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, माननीय सदस्य दांगी साहब की यह बात गलत है क्योंकि फ्रीडम फाईटर किसी पार्टी विशेष के न होकर पूरे देश के होते हैं।

श्री अध्यक्ष: ये तो सारा गलत हो रहा है अरोड़ा जी। Is this the way? Is this the way to run the House? (Interruption) this is not the way. आज लोक सभा में विपक्ष की नेता ने सदन में कहा है कि we want a debate. But the proceedings of the House should not be disrupted like this. This should have been raised after the Question Hour in the Zero Hour. You probably do not know that. You must adhere to the healthy traditions of the democratic system. You can not hold this institution to ransom like this. Question Hour is the property of the House and every Member has a right to ask the questions. Please raise this in the Zero Hour. (Interruption) You can not raise it now. This is not the way. Mr. Krishan Pal tell your Member. Is this the way? The Members have to ask the questions. He is wasting the time of the House.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को इस प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्य मंत्री के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रश्नकाल का स्थमन कर दिया था! आज बहुत सारे सदस्यों के प्रश्न लगे हुये हैं। ये लोग समाचार पत्रों की सुर्खियों में बने रहने के लिये केवल इस प्रकार इस सदन का समय नष्ट करने का काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दिज साहब, आप जो बोल रहे हैं वह कल अखबारों में छपेगा लेकिन इस तरह से इस हाउस में बिहेद न करें। Do not behave like this in this House. सारे बच्चे आपको देख रहे हैं और वे यह जानना चाह रहे हैं कि यह सदस्य इस हाउस को चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप यह पिक्चर देना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं आप ?(शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (सरवार हरमोहिन्दर सिंह चडा): अध्यक्ष महोदय, ये 4 आदमी सारे हाउस को नहीं चलने दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आप क्या कहना चाहते हैं ? आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले ही नहीं। मैं चाह रहा था कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते ? लेकिन आप बोलते ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर थर्चा करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक अनुरोध है। विज साहब, शायद हम आपकी बात मान लें इसलिए आप हमारी बात सुन लो। You have to yield, only then I can speak. I have to respect you even if vice-versa is not true. अध्यक्ष महोदय, विज साहब ने जो मामला उठाया है आपने उस पर अपनी रुलिंग दी है कि उसको जीरो ऑवर में उठाया जा सकता है। विज साहब एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी की नुमाइंदगी इस सदन में करते हैं। ये उस पार्टी के चुनाव चिह्न पर धुनाव जीत कर इस सदन में आये हैं। वे दो प्रश्नों का उत्तर दे दें। पहली बात तो यह है कि पिछले कार्य दिवस पर इस प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के निघन पर श्रद्धांजलि देने के लिए as a mark of respect and as per convention आपने प्रश्नकाल का स्थगन कर दिया था। उस दिन के प्रश्नों को आज लगाया गया है। आपने यह कहा है कि आज बहुत सारे साथियों के प्रश्न लगे हैं it is the property of the House Sir. Question Hour is more sacrosanct in Parliamentary democracy and there is nothing more important and bigger than to place the problems of the people with the Members of the House and to question the Government on policies and issues not only relating to their constituency but those affecting the State. How can we have such impatience that we can not wait even for one hour? That is my one humble submission to my friend through you Sir. Number two is that their party in Parliament has till date not supported Shri Anna Hazare's version of Lok Pal. (Interruption) Now you yield it. (Interruption)

Mr. Speaker: Please allow him to complete. Allow him to complete. (Interruption) Please sit down.

Shri Randeep Singh Surjewala: No.3 is when they were in collision, when they were in collision partner... (Interruption)

Mr. Speaker: You please sit down.

Shri Anil Vij: No Sir.

Mr. Speaker: What do you mean by No Sir. 'नो सर' का मतलब क्या है?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, रणदीप जी जिस प्रकार स्पीच दे रहे हैं, हमें भी बोलने दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 'नो सर' का भतलब क्या है ? आप बैठिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इनका लक्ष्य ही अगर बिना किसी सार्थक बात के विष्म फैलाकर समाचार पत्रों की सुर्खियों में आना है तो उस बात का किसी के पास कोई हल नहीं है।

Mr. Speaker: Mr. Surjewala, I can not help it if somebody is press hungry. (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अगर किसी माननीय सदस्य ने यह लक्ष्य बना रखा है कि बिना किसी नैतिक मुद्दे का समर्थन या विरोध किये अखबारों की सुर्खियों में बने रहना है तो स्पीकर सर, मैं माफी चाहूँगा कि उस बात का हल इस सदन के पास नहीं है। ये वहीं लोग हैं जब ये

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

कोलिशन पार्टनर थे तो एक लोकपाल बिल जो हरियाणा में बनाया गया था उस समय इम विपक्ष में बैठकर चिल्ला रहे थे। उस समय उस लोकपाल बिल को एक पंगु लोकपाल बिल की तरह पारित किया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नैशनल लोकदल की पार्टी सत्ता में थी यह इस सदन के रिकॉर्ड में है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि ये प्रश्नकाल बलने दें उसके बाद अपनी बात रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: 'भुरजेवाला साहब, इसका जवाब भी हम आपको देंगे लेकिन पहले प्रश्नकाल समाप्त हो जाने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, सुरजेवाला जी ये इसी तरह से बोलना शुक्त कर देते हैं! ऐसा नहीं होगा। इन्होंने प्रश्न के जबाव में सड़क बनाने के बारे में 'नो' का जबाव दिया है। (शोर एवं व्यवधान) इनके जबाव लिखित में आए हैं।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I have not made any personal aspersion.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, पार्तियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर कह रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझे मेंशन करके कहा है।

Mr. Speaker: I am hearing please.

श्री अनिज विज : अध्यक्ष महोदय, * *

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने कहा है कि 19 तारीख को जो क्वैश्चन लगे थे वह इसलिए उस दिन से बदलकर आज के दिन कर दिए गए क्योंकि जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं यदि उनकी डैथ हुई है तो उनके सम्मान में ऐसा किया गया है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन ऐसी कंवैशन नहीं है। राव बिरेन्द्र सिंह और श्री भगवत दयाल शर्मा की डैथ पर उनके सम्मान में ऐसा नहीं किया गया था। ये 19 तारीख को भागना चाहते थे इसलिए इन्होंने ऐसा किया था।

Mr. Speaker: Mr. Arora, I am hearing you.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, राव बिरेन्द्र सिंह और श्री मगवत दयाल शर्मा की जब डैथ हुई थी उस समय ऐसा नहीं किया गया था। (शोर एवं व्यवघान)

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह की पार्टी से संबंध रखते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, अगर क्वैश्वन ऑवर खत्म ही करना है तो फिर आप डिबेट चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) ये उस पार्टी से संबंध रखते हैं जिसने देश की एकता और अखण्डता से खिलवाड़ किया था। क्या ये उस बात की भूल गए, क्या वह भ्रष्ट्राचार नहीं था।

श्री अध्यक्ष : मैंने उनको बोलने के लिए एलाउ नहीं किया है। विज साहब, आप बैठे। I will not let the question hour be lost. अब सवाल जबाव होंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, "

^{*} चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker: Mr. Vij, I will not allow you. This is question hour. Please go to your seat otherwise I have to name you. (Interruption). Mr. Vij, I will name you.

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले को बने हुए सात साल हो गए हैं लेकिन अभी तक वहां पर बस डिपो नहीं है। क्या मंत्री जी वहां पर बस डिपो बनाने की व्यवस्था करवाएंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Aftab, please ask question.

(इस समय मारतीय जनला पार्टी के भाननीय सदस्य श्री अनिल थिज, श्री कृष्ण पाल गुर्जर, श्रीमती कविता जैन और श्री धनश्याम सर्राफ सदन की बैल में आकर जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे।)

Mr. Speaker: Mr. Vij, go back to your seat. (Noise and interruption) Mr. Vij, I will allow you one thing. Have you ever supported a corrupt Government and a corrupt man in your life? Have you? विज साहब, क्या आप बतायेंगे कि क्या आपने कभी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं किया?

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, he is not sure.

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिये और जो भी चर्चा करनी है वह क्वैश्वन आवर के बाद कीजिए। (विध्न)

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, श्री बंगारू लक्षमण जी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। (विघ्न)

Mr. Speaker: Please go back to your seat. (Interruption) They are talking about Bangaru Laxman.

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, ये तो उस पार्टी से संबंध रखते हैं जिस पार्टी ने शहीदों के कफन को भी बेच दिया था ये उसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Go back to your scats. (शोर एवं व्यवधान) खबर बन गई है इसलिए आप बैठिए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: एक बार सारा हाउस वन्दे मात्रम कह दे तो हम बैठ जाएंगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन: अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कविता जी, आप तो बाद में आई हैं आपको इस बारे में क्या पता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, भेरा एक सुझाव है कि एक बार सारा हाउस वन्दे मात्रम का नारा लगा दे और भारत माता की जय कह दे तो हम अपनी सीट पर धले जाएंगें। (शोर एवं व्यवधान):

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़ा): आपके कहने से हम वन्दे मातरम कह दें ? क्या देशभक्त सुम ही बचे हो ? (शोर एवं व्यवधान) श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, एक बार सारा हाउस वन्दे मातराम कह दे और भारत माता की जय कह दे तो हम सारे अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएंगें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: There is a limit. Question Hour will go for one hour. Question hour is not finished. Question Hour will not be lost. I will allow this in Zero Hour but till then 60 minutes Question Hour will not be lost. Let you make a noise as much as you want but I will not allow to make noise in 60 minutes Question Hour. Question Hour is the property of the House and every member comes prepare and he wants to know and ask question. Anybody who wants to disrupt the proceedings of the House and holds the entire House to ransom, should I tolerate it?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, क्या क्वैश्चन आवर खत्म हो गया है ? यदि क्वैश्चन आवर खत्म हो गया है तो हमारी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, क्वैश्चन आवर अभी खत्म नहीं हुआ है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, हमारे भी कई मैटर आपके पास हैं।(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I will not allow anybody to disrupt the proceedings of the House.

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य वैल में आकर बैठ गए।)

Mr. Speaker: Nobody can sit in the well of the House.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय,......

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, ये या तो कोई मादक प्रदार्थ का सेवन करके आया है या फिर ये पागल हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृष्णपाल गुर्जर जी, आप क्या डिमांड कर रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : सर, कलमाड़ी नहीं रहा, शीला दीक्षित भी जाने वाली है और ए. राजा भी चला गया। इस समय करेप्शन बहुत ज्यादा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आपकी नेता उमा भारती को तो अत्रा हजारे जी ने लौटा दिया था यह कहकर कि आप यहां से जाईये, do you remember that?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप पहले भ्रष्टाचार पर चर्चा कराईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके कहने से नहीं चलेगा यह सदन। This House can not be run by you. It will be run by me. (Interruption) No, no, I will not allow. You may misbehave to any extent but I will not allow. You are disrupting the House. What will the students think about you? This is a demand from the Member. What will the students think? They will actually think like this. (interruption)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ा प्रश्न भ्रष्टाधार का है। जिस प्रश्न काल में भ्रष्टाचार पर क्वैश्चन नहीं है वह क्वैश्वन ऑवर नहीं हो सकता। (शोर एवं व्यवधान) श्री अध्यक्ष: विज सहिब, क्या आप दिल्ली गये थे ? आप दिल्ली जाकर उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठें। आप यहां हाउस को इन्ट्रप्ट क्यों कर रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान) आप में वहां जाने की हिम्मत नहीं है और यहां सदन में मिस थिक्षेव कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) वहां से आपके लीडरों को भगा दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: मैं वहां गया था। (शोर एवं व्यवधान) हमें यहां जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भेजा जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप वहां गये नहीं और यहां शोर मचा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) वहां जाकर आप थोड़ा वजन घटाओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, आज देश का नीजवान, बच्चे. किसान, मजदूर, महिलाएं यानि हर वर्ग यह बाहता है कि पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात हो और हम भी यही चाहते हैं कि पहले भ्रष्टाचार पर बात हो। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Vij are you alright? (Interruption) Mr. Vij, are you alright? Everybody is talking about your health.

Shri Anil Vij: Speaker Sir, you do not worry about my health.

Mr. Speaker: No, no, I am worried. Are you alright? (interruption). I am concerned about you. (Interruption)

श्रीमती अनिता यादव: अध्यक्ष महोतय, इनके सहयोगियों की सरकार के समय में जब हम सदन में जायज बात भी उठाते थे तो हमें बाहर निकाल दिया जाता था और विज साहब तो काफी देश से सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बन्ना: अध्यक्ष महोदय, यह सदन ज्ञामा करने की जगह नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, आप सदन के कस्टोडियन हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनको सदन में ठीक बिहेद करना चाहिए। They are playing non sense. They should be thrown out from the House. What is their conduct? Is it their conduct? यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अनिल विज : अज्ञा हजारे को 175 घंटे अनशन पर बैठे हुए हो गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बन्ना : दिज साहब, आप अम्बाला से विधायक बनकर आये हो। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Members, I name Mr. Anil Vij. Mr. Vij, you may please leave the House, I have named you. Watch & Ward Staff please remove Mr. Vij from the House. (Interruption) Please remove him from the House. (Interruption) He is suspended for the day.

(At this stage Shri Anil Vij alongwith other Members of BJP started shouting slogans in the House)

(At this stage, Sergeant-at Arms with the help of the Security Staff removed Shri Anil Vij from the House.)

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर सर, भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य की नेम किया गया है इस बारे में सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आपकी कलम से ऐसा नहीं होना चाहिए था।

Mr. Speaker: Mr. Majra, he has been named. (Noise and Interruption).

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह कहना याहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बेहद जरूरी है! (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेबाला : अध्यक्ष महोदय, जब आपने कह दिया है कि यह प्रश्नकाल है तो फिर ये किस बात की कमेंट्री कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Everybody please resume your seat. Mr. Majra Ji, you are a veteran parliamentarian and such a suggestion coming from you, is always welcomed. The House cannot be ransom like this. It can not be turned into shouting debate. We are here to have healthy discussion on issues those are of National as well State importance but until and unless we develop a healthy debate and generate discussion how will we debate on the important issues in the House? Is this the way? Yesterday, a National Party i.e. BJP, held its meeting to decide whether the party will sport the strike on 23.8.2011 or not? They decided that the House will not be disrupted because important issues are to be debated so, if the suggestion in favour of healthy democratic system is coming from you, I will welcome it but I cannot allow disruption. I am sorry about it. The last session went on without naming anybody by me. I don't like naming of any member. I know the opposition is very important component of democratic system particularly so in the House. In the last session, Mr. Ajay Singh Chautala also met very healthy suggestion and the House could be run smoothly but if you appreciate and want to support such behaviour in the House then such a suggestion coming from you first must go to the person who is disrupting this House. Holding the entire proceeding of the House ransom cannot be allowed. Today, we stated with a very healthy tradition inviting students from colleges particularly girls colleges and also schools to see the proceedings of the House and they wanted to participate in the system. You also would like to have youth in the Parliament as well as in the State Assemblies but with what impression they will go from the House. Is this the way the public representatives should behave rather than to have discussion they want to raise noise while sitting in the well of the House. Even you will not appreciate and your party has not supported such a movement. Question Hour as suggested by the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister is very important component and the times allotted to the House which has been ruthlessly handled with me by certain Members. So many Members wanted to ask questions. What should be done? Should you allow this type of a system to go on. People have become press hungry, they just . want they should come, the name should appeared in the front pages of the press. If, with that intension they are doing it than certainly I am left with no other alternative but to name such person. So I am very sorry about it. I am sorry before the entire House for such a situation having arisen but I think there was no other

alternative with me but in order to run this House name him and ask him to leave the House.

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि डैकोरम बनायेंगे, श्वायत डालेंगे और सभी सदस्य उनको फोलो करेंगे लेकिन सर, यहाँ हाउस में जिस तरह का बिहेव किया गया उसके लिए किसी सदस्य को वार्निंग तक नहीं दी गई। किसी सदस्य के अधिकारों का हनन यहाँ से होता है सथा यह आपका तानाशाही रवैया है। आप इस तरीके से बिहेव करते हैं यह गलत है। उनको दापस बुलाया जाये। स्पीकर सर, मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वैस्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं कभी भी तानाशाही नहीं करता (शोर एवं व्यवधान)। Mr. Abhey Singh, let me complete and I will allow you to speak. I have never indulged in any kind of despotic behaviour and I will never do it. But if you want to run this House and can the House be run like this. Yes, Mr. Abhey Singh Chautala you want to say something.

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माजरा जी ने रिक्वैस्ट की थी कि ये भी सभी इस सदन के सदस्य हैं। यह बात ठींक है कि उनको यह बात प्रश्नकाल के बाद उठानी खाहिए थी लेकिन यह इश्यू बड़ा हॉट था और थे ही नहीं चाह रहे बल्कि पूरे देश में केवल मात्र इस बात पर चर्चा हो रही है। न केवल भाजपा के लोग बल्कि इसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हैं और आज तो कांग्रेस के भी कुछ एम०पीज० ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि जनलोकपाल बिल की बड़ी सख्त जरूरत है। उन्होंने इमोशनल हो कर यह इश्यू प्रश्न काल भें उठा दिया। इसलिए आप उनको दोबारा बुलाएं उनको भी मौका दें, उनको भी इस डिबेट में शामिल होने का मौका दें तािक ये अपनी बात कह सकें।

Mr. Speaker: They have to give assurance to the House that they will listen to the Chair and not shout slogans.

श्री अभय सिंह चीटाला : आप उनको दोबारा थुला लीजिए। हर एक को अपनी बाल कहने का हक है। इसमें कीन सा पहाड़ टूट गया ? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Abhey Singh Chautala a very valuable suggestion has come from you that first the Question Hour should have been allowed to go on मेरे पास उनकी लरफ से कोई आश्वासम नहीं है कि वे वोबारा मिसबिहेव नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हम उनसे पूछ लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उनसे जाकर पूछिए और कोई आकर मुझे कहेगा कि वे आश्वासन दे रहे हैं I will certainly consider and Mr. Abhey Singh Chautala I will talk to them in my Chamber separately. You call them to my Chamber I want an assurance because I want to tell this House. I mean to say that sometimes things which are described. (Noise & Interruption)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, the Question Hour please.

Bus Depot at Nuh and Palwal

*649. Shri Aftab Ahmed: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for making provision for a Haryana Roadways Bus Depot at Nuh and Palwal; if so, the time by which the provision for the aforesaid depots is likely to be made?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda): Yes sir, there is a proposal for making a depot at Palwal. However there is no proposal for setting up a depot at Nuh.

The depot at Palwal will be made operational from 01.01.2012.

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपना प्रश्न पूछने की अनुमित दी उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यदाद। मैं तो पौने घंटे से खड़ा हूँ। मेरे जिले में यातायात की सुविधाएं बहुत कम हैं और मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के नेता से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जिले के बस डिपो को शीधातिशीध बनाया जाये।

श्री अध्यक्ष : आप रिक्वैस्ट कर रहे हैं या डिमांड है।

श्री आफताव अहमद: अध्यक्ष महोदय, यह मेरी डिमांड है कि नूंह के बस डिपो को बनाया जाये और मुझे यह भी बताया जाएं कि यह कब तक बनाया जायेगा ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़ा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात वाकई सही है कि नूहं एक जिला है और जिले को डिपो चाहिए। हम वहां पर डिपो बनाएंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 722

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य/श्रीमती कविता जैन सदन में उपस्थित नहीं थीं।)

Construction of 33 K.V. Power Houses

*653. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Power Minister be pleased to state:—

- (a) whether it is a fact that construction of 33 K.V. Power Houses at villages S.P. Majra and Sarangthal of Tehsil Gohana was to be completed uptill April, 2011;
- if so, the reasons for delay and also whether any officials have been held responsible for the said delay; and
- (c) the present status of the construction work of the aforesaid Power Houses togetherwith the time by which the said Power Houses are likely to be completed?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):

(a) No sir. The construction of 33 K.V. Power Houses at villages S.P. Majra and Sarangthal were scheduled to be completed by 16.03.2010 & 28.05.2010 respectively.

- (b) The reasons of delay were problem of "Right of Way" and on the part of contractors for which penalty has been deducted. No official has been found responsible for delay.
- (c) Likely date of completion of both the Power Houses is 15.11.2011.

श्री जगबीर सिंह मिलक : अध्यक्ष महोदय, एक साल 8 महीने की डिले से ये इसको बना रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या राईट ऑफ वे दोनों पावर हाउसिज में डिस्टर्ब था या एक पावर हाउस में डिस्टर्ब था ? इसके अलावा दूसरा इन्होंने क्यों नहीं बनाया है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इनकी बात सही है। जो सिकन्दरपुर माजरा और सारगंशल दो सब स्टेशन थे पहले इनको मुडलाना से कनैक्ट करने की बात थी लेकिन वहां पर कुछ समस्या हो गयी और टैक्नीकली फिजीबल भी नहीं थे। फील्ड से जो रिपोर्ट आयी उसके मुताबिक इससे समस्या आती इसलिए उसके बाद गोहाना से इनको कनैक्ट करने के लिए हमने कार्य किया। दूसरी बात में इनको यह भी बताना चाहूंगा कि कंट्रैक्टर ने भी इसमें कुछ डिले किया। टोटल 13 सब स्टेशन थे जिसमें से दस उसने टाईम पर बना दिए और तीन यानी न्यू ग्रेन मार्किट, रोहतक, सिकन्दरपुर माजरा और कठवाड़ सब स्टेशंज में उसने काम डिले किया। इसी प्रकार से 33 के.बी. के जो सब स्टेशन थे उनमें से पांच में से तीन सब स्टेशन तो उसने बना दिए और दो यानी सारंगथल और फरमाणा खास सब स्टेशन उसने टाईम पर नहीं बनाए यानी इनमें डिले रही। हमने उसके ऊपर तकरीबन 5.37 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगायी है। यह पैनल्टी तकरीबन 12.5 परसैंट होती है। यह सब स्टेशन डिले मी हुए थे और राईट ऑफ वे मी हुए थे यानी दोनों वाते हुई थीं।

Repair of Road

*698. Sh. Marnu Ram: Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that road from Nilokheri to Taraori via Badshahpur is in a bad condition; if so, the time by which the aforesaid road is likely to be repaired?

PWD (B&R) Minister Shri Randeep Singh Surjewala: Yes, Sir. Road is expected to be repaired by March, 2012.

However, the name of the road is Nilokheri to Taraori via Badshahipul and not Badshahpur.

This road consists of two stretches with the following details:---

Stretch	Length (in km.)	Carriageway (in m)	Remarks
Nilokheri to Badshahipul	2.00	3.66	Recently transferred from HSAMB
Taraori to Badshahipul	3.60	3.66	PWD Road

About the first portion, I want to tell the Hon'ble member that we have already called the tenders at the cost of Rs.52.80 lacs and this work is expected to be completed by 31st March, 2012. About the second portion, although it is

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

not safe in our opinion and it needs repair. We are examining the issue and it will cost Rs.76 lacs. The matter is pending with the Government for consideration and I do hope we shall be able to grant permission for the second portion.

श्री मामू राम: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कब तक इसको कम्पलीट कर दिया जाएगा ? ये इस बारे में डेट बता दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि जो नीलोखेडी से बादशाहीपुल का स्ट्रैच है जिसकी लम्बाई दो किलोमीटर है, 3.66 मीटर कैरिज वे है। इसके टैंडर 25 अगस्त को बुला लिए गए हैं और 31 मार्च, 2012 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। दूसरे स्ट्रैच की भी मरम्मत की आवश्यकता है इस पर 76 लाख रुपये की राशि का खर्च आने का अनुमान है। हमने इसकी अभी तक ऐडिमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रुवल नहीं दी है परन्तु मैंने विभाग को कहा है कि मुख्यमंत्री जी की अनुमित के लिए यह प्रस्तुत किया जाए ताकि इस पर भी हम काम करवा सके।

श्री मामू राम: अध्यक्ष महोदय, ये तारीख बता दें कि बादशाहीपुल से तरावड़ी तक के स्ट्रैच के काम को कब तक पूरा करवा दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने 31 मार्च की लारीख बतायी है। उन्होंने कहा है कि 31.3.2012 तक यह काम पुरा क्षो जाएगा।

श्री मामू राम: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बादशाहीपुल से नीलोखेड़ी तक के स्ट्रैच के बारे में कहा है लेकिन जो उससे आगे तरावड़ी तक के स्ट्रैच का काम है उसकी डेट भी ये बता दें।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने 31.3.2012 तक बताया है।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, the matter is still pending for consideration with the Government and this work will be done as expeditiously as possible.

Number of National Highways

*671. Shri Bharat Bhushan Batra: Will the P.W.D. (B & R) Minister be pleased to state ----

- (a) the number of National Highways passing through the State of Haryana togetherwith the length thereof;
- (b) the time by which the Bawal-Panipat National Highway passing through Rewari, Jhajjar, Rohtak, Gohana and Panipat is likely to be commissioned; and
- (c) the time by which the Rohtak-Bhiwani four lane is likely to be commissioned?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):

- (a) 14 numbers National Highways pass through the State of Haryana having total length of 1457 Kms.
- (b) Bawal-Panipat National Highway passing through Rewari, Jhajjar, Rohtak, Gohana and Panipat consists of two parts i.e. Bawal-Jhajjar-Rohtak Section (₹ 650 crores) NH-71 and Rohtak-Gohana-Panipat Section (₹ 807 crores) NH-71A. Bawal Rohtak Section is likely to be commissioned by 04.11.2013 and Rohtak-Panipat Section by 14.10.2013.
- (c) Rohtak-Bhiwani (₹ 81.74 crores) four lane upto Rohtak Distt. boundary is likely to be commissioned by 31.03.2012.

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, जब कभी किसी सड़क को बनाने का काम शुरू होता है तो जब तक उस सड़क का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उस सड़क को मोटरेबल रखने का प्रावधान होता है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रोहतक से भिवानी सड़क को मोटरेबल बनाने के लिए सरकार ने कितने पैसे का प्रावधान किया गया था क्या वे इस बात की इन्क्वायरी करवायेंगे कि जब उस सड़क की रिपेयर हो रही है तो क्या वह सड़क अभी मोटरेबल कंडीशन में है या नहीं ?

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, the road has already been tendered and it is under construction. During the course of construction, it is not possible to answer that. However, if my learned friend wants a specific answer to a specific query, he can send it to me in writing and I will make it sure that it is done.

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, इस समय नेशनल हाईवे का मामला सदन में धल रहा है। इस बारे में मेरे हल्के में भी एक रोड नेशनल हाईवे से होकर जाती है जिसका पिछले महीने की 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा में नींव पत्थर रख कर आये थे। उससे पहले भी जब वहां पर बाई-इलैक्शन था उस समय मुख्यमंत्री जी ने वहां के लोगों को आश्वासन दिया था कि इस सड़क का काम जल्दी से जल्दी कम्पलीट कर दिया जायेगा। पिछले विधान सभा सत्र में भी जब मैंने इस बारे में मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि इस सड़क को कब तक बना दिया जायेगा तब माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस बारे में आप लिखकर दे दीजिए तब इस सड़क को बनाने का काम जल्दी शुरू करवा देंगे लेकिन अभी तक उस सड़क पर एक पत्थर भी नहीं रखा गया है।

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, क्या आपने इस बारे में लिखित रूप में मंत्री जी के पास भेजा है ?

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, मैंने लिखित रूप में बिल्कुल मेजा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी उस सड़क का नींय पत्थर रखकर आये थे तो लोगों ने उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया था। तब उन्होंने यह कहा था कि इस सड़क के लिए 100 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से खर्च होंगे सरकार की तरफ से पैसा खर्च नहीं किया गया और वह सड़क आज तक नहीं बन पाई है। उस सड़क पर एक पत्थर भी नहीं पड़ा है बिल्कि उल्टे उस सड़क पर टोल टैक्स और लगा दिया है और लोगों को एक और नई कठिनाई इन्होंने दे दी। माननीय मंत्री जी यह बतायें कि यह सड़क कब तक बना दी जायेगी और क्या इस सड़क को बनाने के लिए टोल टैक्स का पैसा लगेगा या सरकार की तरफ से इस सड़क को बनाने के लिए पैसा खर्च किया जायेगा ?

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, Although it is a separate question, but I recollect having answered Shri Abhay Singh Chautala's question during the last Session. I also recollect having answered a letter given by him. Sir, money for this was supposed to come from the Govt. of India. However, for some reasons it could not materialize. That is why the Chief Minister took a call that we will provide the money from the State Budget. Chief Minister has gone, laid the foundation stone. I can assure my learned friend that once the foundation stone is laid by the Chief Minister, the process of tender is already on the way and we will very soon start construction and hopefully by the next Session he will not have this grievance at all.

श्री जयतीर्थ: अध्यक्ष महोदय, मेरे राई हल्के में एक बहालगढ़ क्रॉसिंग है जोकि जी०टी० रोड़ पर पड़ता है जो कि यू०पी० की तरफ डायरेक्ट कनैक्टिड है लेकिन उस रोड पर कोई फ्लाई ओवर नहीं बनाया गया है। जी०टी० रोड पर बाकी के तो कई फ्लाई ओवर बन गये हैं लेकिन उस क्रॉसिंग पर कोई फलाई ओवर नहीं बनाया गया है। उस क्रांसिंग पर इतना रस रहता है कि बगैर ट्रैफिक पुलिस की मदद से उस रोड को क्रॉस नहीं किया जा सकता। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस क्रॉसिंग पर कोई फ्लाई ओवर बनाने का सरकार का विचार है या नहीं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, गर्वनमेंट ऑफ इंडिया का इसके ऊपर जरूर विचार है। माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर दे दें तो मैं नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चैक करके इनको यह भी बता दूंगा कि यह फ्लाई ओवर कितनी समय सीमा के अन्दर बनकर तैयार हो जायेगा?

श्री जयतीर्थ: अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार इस बारे में लिएडकर दिया है।

To Open a Girls High School

*659. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Govt. High School for Girls in Pinjore and Kalka area of Kalka Constituency; if so, the time by which the aforesaid school is likely to be opened?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): No., Sir,

15.00 वजे श्री प्रदीप चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हमारी शिक्षा मंत्री सौमाग्य से महिला शिक्षा मंत्री हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि वैसे तो महिला सशक्तिकरण की बड़ी-बड़ी बातें और शिक्षा के बड़े-बड़े दावे सरकार करती है। मैंने पिछले विधान सभा सत्र के दौरान 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर भी यह सवाल पूछा था लेकिन माननीय मंत्री जी ने मुस्कराकर इसको टाल दिया था। (विध्न) हमारा पिजौर-कालका बहुत बड़ा करबा है। हमारे यहां का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ और पहाड़ी है और यहां कोई गवर्नमैंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल नहीं है। हमारे यहां कोई गवर्नमैंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल नहीं है। हमारे यहां कोई गवर्नमैंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल नहीं का क्या कारण है मंत्री जी इस बारे में जरूर बताएं।

श्रीमती गीता भक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, शिक्षा हमारी हरियाणा सरकार की प्रायरिटी में शामिल है, खासकर लड़कियों की शिक्षा की बात करें तो वह भी हमारी प्रायरिटी है और इसके लिए हमने अच्छी व्यवस्था भी की है। माननीय साथी ने जो प्रश्न किया है उस बारे में मैं इनको बताना चाहुंगी कि पिंजीर-कालका क्षेत्र में करीबन 7 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हैं। इनके यहां 10 गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल हैं जो को-एजूकेशनल है। ऐज पर नाम्जी इन स्कूलों के बीच की थ्री 5 किलोमीटर होनी चाहिए। Speaker Sir, in case of Pinjore-Kalka there is no gap area wherein a new school would require. Hence there is no requirement for a separate girls' school in the area. Even culturally speaking that this area is not one where there is girls student are taught separately or यह एरिया एजूकेशनली बैकवर्ड भी डिक्लेयर नहीं हुआ है जिसमें फीमेल लिट्रेसी रेट 46.13 से नीचे हो। मैं यहां पर कप्टना चाहंगी कि एज्केशन हमारी प्रायरिटी है। जितना इनका एरिया है उसमें काफी ज्यादा स्कूल हैं। इस समय पिजीर और कालका में कुल 140 स्कूल हैं। आज तक इनके यहां गवर्नमैट गर्ल्ज सीनियर सैकेंडरी स्कूल या भिडल स्कूल खोलने बारे कोई प्रपोजल विभाग के पास नहीं आया है परंत फिर भी हमने इसको एग्जामिन करवाया है। इनके यहां 92 प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं, 31 मिडल स्कुल जोकि लड़के और लड़कियों के लिए हैं, 7 हाई स्कुल और 10 सीनियर सैकेंडरी रकुल हैं इस प्रकार यहां कुल 140 रकुल हैं। इनकी तरफ से कभी कोई रिक्वायरमैंट नहीं आई। जहां तक पिछले सत्र में महिला दिवस की इन्होंने वात की तो मैं इनको जरूर बताना चाहंगी कि इन्होंने उस दिन गवर्नमेंट मिडल स्कूल धमन की अपग्रेडेशन के बारे में पूछा था। नए स्कूल को खोलने का इनका प्रश्न नहीं था और न ही नए स्कूल खोलने बारे इनका कोई प्रपोजल सरकार के पास है।

श्री प्रदीप चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय नए स्कूल को खोलने बारे डिमांड की थी और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदया के स्वभाव में मना करने की शायद आदत है। मैंने आज तक 3-4 प्रश्न पूछे हैं लेकिन मुझे जवाब ना में ही मिले हैं। मैंने यह भी कहा था कि हमारा भोरनी क्षेत्र भी पूरी तरह पहाड़ी क्षेत्र है और वहां आने जाने के लिए रास्ते नहीं हैं और बूरवराज तक जंगलों में से जाना पड़ता है। नए स्कूल खोलने बारे या अपग्रेडेशन बारे जो सरकार के नाम्ज हैं वे नाम्ज हमारे यहां किसी भी हालत में पूरे नहीं होते। मैंने मंत्री जी को यह भी लिखकर भेजा है कि क्या इन नाम्ज में ढील देने का कोई प्रोविजन सरकार का है।

श्री अध्यक्ष: आप पैरामीटजं में चेंज चाहते हैं। क्या आप घाहते हैं कि नियम बदले जाएं ? श्री प्रदीप चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने नियमों में ढील की बात की है। श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सैपरेट प्रश्न लगा हुआ है। श्री प्रदीप चौधरी: अध्यक्ष महोदय, उस अतारांकित प्रश्न का जवाब भी ना में ही आया है। श्री अध्यक्ष: आपका हैल्दी सजैशन है, आप इस बारे में मंत्री जी को लिखित में भेजें।

Construction of RCC Streets

*661. Shri Anand Kaushik: Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct RCC streets in slum areas and in unapproved colonies of Faridabad Constituency?

Minister of State for Home (Shri Gopal Kanda): No., Sir,

श्री आनंद कौशिक: अध्यक्ष भहोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां गरीब लोग रहते हैं और फरीदाबाद को बनाने में बहुत बड़ा हाथ मजबूरों और कारीगरों का रहा है। सरकार के माध्यम से ऐड भी जाती है और अपील भी जाती है कि सभी अपने मत का प्रयोग करें। उन बस्तियों में 80 से 85 प्रतिशत बोट भी पोल होते हैं। उनको मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का काम है।

श्री अध्यक्ष : कौशिक साहब, आप अपना सुझाव लिखित में मंत्री जी को भिजवा देना।

श्री आनंद कोशिक : ठीक है, सर।

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, भैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इन्होंने कई बार न्यूज पेपर्ज में और पिछलें संत्र में भी कहा था कि बहुत जल्दी अनऐप्रूवड कालोनियों को एप्रूव कर दिया जायेगा। मेरे करनाल शहर में भी 50 से 60 कालोनिज अनऐप्रूवड हैं उनको कब तक ऐप्रूव किया जायेगा?

श्री गोपाल काण्डा: अध्यक्ष महोदय, यह जो अनऐप्रूवड कालोनियों की बात है पिछली श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के समय में वर्ष 2002 में मंत्री को रैगूलर करने की पावर दी गई थी लेकिन कुछ समय बाद विड्रा कर ली गई। उसके बाद 2004 में फिर मंत्री को पावर दी गई और कुछ समय बाद फिर विड्रा कर ली गई। आज के दिन अनऐप्रूवड कालोनियों को एप्रूव करने की पावर लोकल बॉडी अर्बन मिनिस्टर के पास नहीं है। (विद्न)

श्री अध्यक्ष : क्या आपके पास अन्पेप्रवड कालोनियों को एप्रव करने की पावर नहीं है?

श्री गोपाल काण्डा: अध्यक्ष महोदय, नहीं है। अनऐप्रूवड कालोनियों की बाल एक सीरियस ईशू है। सरकार इस बारे में पूरी तरह से विचार कर रही है कि इनको ऐप्रूव किया जाये। आज मी इस बारे में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग थी लेकिन संशन होने के कारण अब यह मीटिंग आने वाले 14 तारीख को होनी है और उसमें डिसाईड करके जल्द से जल्द इन अनऐप्रूवड कालोनियों को ऐप्रूव करेंगे।

Widening of Dabra Chowk over Bridge, Hisar

*676. Smt. Savitri Jindal: Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that there is problem of traffic jam on Dabra Chowk Over Bridge, Hisar, if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the aforesaid over-bridge, together with the time by which the said work of widening of this over-bridge is likely to be commenced?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Yes, Sir. There is a problem of traffic jam during peak hours on Dabra Chowk Railway Over Bridge (ROB) Hisar. Feasibility study is being carried out for additional two lane Railway Over-Bridge (ROB). No time frame can be given as the project is at the conception stage only.

श्रीमती सावित्री जिंदल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इसका अध्ययन कराने में कितना समय लगेगा। क्योंकि वहां पर लोगों को ट्राफिक जाम की वजह से बहुत दिक्कत होती है इसलिए इसको टाईम बाउंड किया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की चिंता से सहमत हूं। हमने डी०पी०आर० के लिए 20 लाख रुपये की राशि जमा करवा दी है। माननीय सदस्या को भी पता है और आप भी उस एरिया से गुजरते हैं वहां पर सरकारी और प्राईवेट बिल्डिंग्ज रास्ते में हैं जिनमें धर्मशालाएं भी हैं। उन सबको ऐक्वायर करके गिराना पड़ेगा। यह निर्णय अभी सरकार ने लेना है। माननीय सदस्या उस एरिया की नुमाइंदगी करती हैं जिन लोगों या संस्थाओं की बिल्डिंग रास्ते में आयंगी हमें उन सभी संस्थाओं को सैंसेटाईज करना पड़ेगा। उनमें कुछ प्राईवेट लोगों की बिल्डिंग भी हैं और कुछ सामाजिक तथा सरकारी संस्थाओं की बिल्डिंग भी हैं। इसके लिए हमें माननीय सदस्या की भी मदद की जरूरत है ताकि वहां पर फोर लेन आर०ओ०बी० बनाया जा सके। इसकी डी०पी०आर० बन जाये और इसकी हम ऐप्रूवल ले लें उसके बाद हम माननीय सदस्या जी से चर्चा भी करेंगे।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केथल में 8 जुलाई, 2011 को ऊपर गामी पुल का लोकापर्ण किया था और 9 जुलाई को उसमें दरारें पढ़ गई और उस पुल का कुछ हिस्सा खिस्क गया। क्या उस ऊपर गामी पुल का मैटीरियल सब स्टैंडर्ड था या वह पुल नॉम्जं के मुताबिक नहीं बनाया गया। क्या इस बारे में सरकार ने कोई इन्क्यायरी की है और यदि की है तो दोषी अधिकारियों को क्या सजा दी गई है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रथक प्रश्न है फिए भी मैं सदन की और भाननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसकी इन्क्वायरी कर ली गई है। यह सच है कि वहां पर मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था लेकिन मुझे नहीं लगता कि माजरा साहब को तथ्यों की सही जानकारी है। ये चार-पांच बार हर रोज वहां से गुजरते हैं। वहां पुल में कोई दरार नहीं है। वहां मण्डी के लोगों के आवागमन के लिए एक बॉक्स टाईप ड्रेन बनाई गई थी। उसके ऊपर सी.सी. का एक लैंटर डालना थाहिए था। वहां रोड़ के ऊपर जो स्टोन्ज थे वे वजन की वजह से स्लिप हो रहे थे इसलिए बाद में सी.सी. का ब्लॉक डालकर उसको दोबारा स्ट्रेंथन किया गया है। माजरा साहब, वहां से सैकड़ों बार गुजरते हैं। उस पुल में कोई दरार नहीं है और अब वह पुल ठीक है।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, the Question hour is started at 02.09 P.M. and almost one hour is over. I would like to take the sense of the House. Shall I continue the Question hour? Is the House ready for that?

Voices: Yes, Yes.

श्री रणदीप सिंह सुरजेबाला: स्पीकर सर, आपका सुझाव और हाउस की सैंस दोनों ही वाज़िब हैं परन्तु मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले में जो पार्लियामेंट्री कंवेंशन है उनको भी एक बार अवश्य देख लिया जाये क्योंकि इस बारे में इस हाऊस और देश के दूसरे हाउसिज की पार्लियामेंट्री कंवेंशन यही हैं कि क्वैश्चन ऑवर का समय सैक्रोसेंट है और वह एक घंटे ही चलता है उससे आगे उसे ऐक्सटेंड नहीं किया जा सकता परन्तु फिर भी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो भी निर्णय करेंगे वह सरकार को भी मान्य होगा।

Opening of an I.T.I.

*726. Shri Zile Ram Sharma: Will the Industrial Training Minister be pleased to state whether there is any proposal to open a new ITI in Assandh town; if so, the time by which the said I.T.I. will be opened?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल): हां, श्रीमान जी, ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा द्वारा लीज आघार पर दी जाने वाली भूखण्ड पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाने की योजना है। इस समय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतू कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

श्री जिले राम शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को बताना चाहता हूं कि असंघ से 40-40 किलोमीटर से कम दूरी पर कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है चाहे वह पानीपत हो, करनाल हो या कथल हो इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आई.टी.आई. असंघ के निर्माण की समय सीमा वर्ष 2012 तय की जाये ताकि वहां के विद्यार्थियों की परेशानी दर हो सके!

श्रीमती गीता मुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि पूरे प्रदेश में इस समय कुल 89 गवर्नमेंट आई.टी.आईज और 30 नई आई.टी.आईज, बनाया जाना प्रस्तावित है। जहां तक करनाल की बात है इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इस समय करनाल में 5 गवर्नमेंट आई.टी.आईज, चल रही हैं जिनमें आई.टी.आई., करनाल, आई.टी.आई., करनाल, आई.टी.आई., करनाल, आई.टी.आई., निसंग और आई.टी.आई., तरावड़ी। इसके अलावा करनाल में करीब 9 आई.टी.आईज, प्राईवेट क्षेत्र में चल रही हैं। जहां तक आई.टी.आई., असंघ के कंस्ट्रक्शन वर्क के कम्पलीशन की बात है। 26 मार्च, 2011 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने असंघ में आई.टी.आई. बनाये जाने की चोषणा की थी इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगी कि जैसे ही हमें इस आई.टी.आई. के लिए दी गई जगह जितनी जल्दी ट्रांसफर हो जायेगी उतनी जल्दी ही उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जायेगा।

श्री कृष्ण लाल पंदार : स्पीकर सर, *******

Mr. Speaker: Mr. Panwar, this is question hour. (Nose & Interruption) This is not to be allowed. (Noise & Interruption) Please resume your seat. Nothing is to be recorded. (Noise & Interruption) Mr. panwar, Please be seated. Please don't spoil the sanctity of the House. I have allowed question hour. (Noise & Interruption) पंचार जी, आप आई.टी.आई. से सम्बंधित सवाल पृष्टिये!

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर सर, माननीय मंत्री महोदया जी ने ज़मीन के ट्रांसफर होने पर आई.टी.आई., असंघ के निर्माण की बात कही है। मैं आपके भाध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी को बताना चाहूंगा कि पिंजूपुरा और बीड़-बांगड़ जिला कैथल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रमशः 26.10.2006 और 30.09.2007 को आई.टी.आईज. के निर्माण की घोषणा की थी जिनके सी.एम. अनाऊंसमेंट नम्बर क्रमशः 1477 और 2377 हैं इन दोनों जगहों पर ही आई.टी.आईज के निर्माण हेतु ज़मीन उपलब्ध करवा दी गई है लेकिन निर्माण के नाम पर अभी तक एक ईट भी नहीं लगाई गई है। क्या माननीय मंत्री महोदया जी यह बतायेंगी कि पिंजूपुरा और बीड़-बांगड़ जिला कैथल में प्रस्तावित आई.टी.आईज. के भवनों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये आई.टी.आईज. कब तक शुरू हो जायेंगी।

^{*} चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बलाना चाहती हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 30 सितम्बर, 2007 में बीर बांगड़ गांव में आई.टी.आई. खोलने की घोषणा की थी और इसके लिए बीर बांगड़ गांव की पंचायत ने 73 कनाल 15 मरले जमीन लीज पर दे थी है। वहाँ पर पी.पी.पी. मोड में आई.टी.आई. खोलने की अनुमित लेने के लिए केस भारत सरकार को भेजा गया है। इसी प्रकार गाँव पिंजूपुरा में 26 अक्तूबर, 2006 को घोषणा हुई थी। उसमें भी 64 कनाल 19 मरले जमीन मिल गई है उसके ऐस्टीमेट्स तैयार किये गये हैं, नक्शा तैयार किया गया है और मैं इस बारे में आश्वासन देना चाहूँगी कि कलायत की आई.टी.आई. की कक्षाएं इसी सत्र से हम कैथल की आई.टी.आई. में शुरू कर देंगे।

Vacant Posts in Block Development and Panchayat office Badhra

*686. Col. Raghbir Singh: Will the Chief Minister be pleased ot state:-

- (a) Whether it is a fact that several posts such as that of Panchayat Officer, B.D.P.O., Accountant, S.D.O., J.E. and Panchayat Secretary are lying vacant in the Block Development and Panchayat Officer in Badhra; and
- (b) If so, the time by which the aforesaid posts are likely to be filled up?

 PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):
- (a) Yes Sir, Only one post of Sub-Divisional Engineer was laying vacant for which additional charge has already been given to sub-Divisional Engineer, Loharu on 28.06.2011. Besides, 9 posts of Panchayat Secretaries are lying vacant.
- (b) The requisition for vacant posts of Sub-Divisional Engineer is being sent to the Haryana Public Service Commission shortly. The requisition for vacant post of Panchayat Secretaries has already been sent to Haryana Staff Selection Commission. The vacant posts will be filled-up very soon.

Sir, I also want to take this opportunity to point out that in Badhra Block we have one post of SEPO and it is filled, one post of BDPO and it is filled, one post of SDE for which additional charge has been given, we have four posts of Junior Engineers and all four are filled, one post of Accountant and that is also filled, We have 23 posts of Panchayat Secretaries out of which 14 are filled and 9 are vacant. As I have pointed out, as soon as recruitments are done, we shall be able to post all these also.

कर्नल रघबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, बाढडा फुलफ्लैज तहसील है और मैं माननीय मंत्री जी से पूछना थाहता हूँ कि वहाँ पर कोई भी तहसीलदार नहीं है, पंचायत ऑफिसर नहीं है. एस.डी.ओ. नहीं है।

Mr. Speaker: Tehsildar is not his domain and as per Minister's reply SDO is there.

कर्नल रघबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछ रहा हूँ। सरकार बताए तो सही। श्री अध्यक्ष: इसमें तहसीलदार वाली बात कहाँ से आ गई? आप सवाल से संबंधित सप्लीमैंटरी पूछो।

कर्नल रघबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, तहसीलदार नहीं है।

Mr. Speaker: You send it to me in writing, I will have a Tehsildar posted for you.

Total Number of Students in Government Schools

*679. Shri Jai Tirth: Will the Education Minister be pleased to state:—

- (a) the total number of students getting education in Government Schools in the State of Haryana; and
- (b) whether any dress material is being provided to the students of the Government Schools in the State?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail):

- (a) The total number of students getting education in Government Schools in the State of Haryana is 27.33 lakh; and
- (b) The State Government is providing financial support for uniforms at the rate of ₹ 400/- per child in classes 1st to 8th.

Shri Bharat Bhushan Batra: Hon'ble Speaker Sir, my question relates to the education. The aided school get 75% grant from the Government and 25% share is of the Management. Majority of the managements do not pay the salary to the staff. उनसे एडवांस में पैसे लेकर जमा करवाते हैं। जो मैनेजमैंट फाईमैंसिज नहीं कर सकती क्या उनको ओवरटेक करने का निर्णय सरकार ले रही है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: सर, वैसे तो यह प्रश्न अलग है लेकिन में बलाना चाहती हूँ कि सरकार 75 परसँट ऐंड बेती है और 25 परसँट वे खुद वहन करती हैं। प्राईवेट ऐंडिड स्कूलों को कई राज्यों ने टेकओवर कर लिया है। हमने भी सभी स्कूल मैनेजमेंटों को पन्न लिख कर यह सुझाव माँगा है कि सरकार की तरफ से उनकी ऐंड बढाई जाये या उनको टेकओवर कर लिया जाये। जैसे ही सुझाव हमारे पास आ जाते हैं, हम उनके ऊपर फैसला से लेंगे।

Construction of Pucca Passages

*688. Shri Raj Pal Bhukhri: Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to make those passages 'pucca' which are connecting one village to another and are measuring four karams in Sadhaura Constituency; if so, the time by which the aforesaid work of making the passages 'pucca' is likely to be completed?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh): No, Sir.

श्री राजपाल भूखड़ी: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से यह सप्लीमेंट्री है कि जो चार करम का रास्ता है उसको पक्का करने की सरकार की प्रयोजन नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा बाढ़ का क्षेत्र है इसलिए वहां पर चार करम के इस रास्ते को पक्का करने के लिए रिलेक्सेशन दी जाए।

तारांकित प्रश्न संख्या 663

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य राव बहादुर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Connecting the New Mandi of Julana with Julana Pillukhera Road

*693. Shri Parminder Singh Dhull: Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to connect the New Mandi of Julana with Julana-Pillukhera road; if so, the time by which the aforesaid road is likely to be connected?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह): जी हां, श्रीमान्।

इस सङ्क के लिए भूमि अर्जित की जा रही है। भूमि अर्जन के एक वर्ष के अन्दर इस सड़क के पुरा होने की संभावना है।

श्री परिमन्द्र सिंह दुल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि लैंड ऐक्यायर करने की कोशिश की जा रही है जबकि तथ्य यह है कि जमीन पहले भी ऐक्वायर की गयी थी लेकिन वह छोड़ दी गयी थी। एक बार उसकी डिमारकेशन भी की गयी थी और राख्ता छोड़ दिया गया था इसलिए ही मैंने यह सवाल पूछा है कि क्या वहां लैंड ऐक्वायर करके रास्ता बनाया जाएगा या नहीं ? अभी तक कहीं पर भी सरकार का ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि अवार्ड हो गया है।

सरदार परमवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, में इनको बताना वाहूंगा कि डी.आर.ओ.ने 22.7.2011 को अवार्ड अनाउंस किया था।

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जो क्वैश्चन पूछने जा रही हूं हो सकता है कि उसके बारे में मंत्री जी कहें कि यह अलग प्रश्न है इसलिए आप लिखकर भिजवा दें लेकिन मैं वह क्वेश्चन पहले ही लिखकर भिजवा चुकी हूं लेकिन मेरा वह प्रश्न आज लगा हुआ नहीं है कल लगा है इसलिए मैं पूछ रही हूं कि मेरे यहां पर नयी सब्जी मंडी बनायी गयी है लेकिन जो पुरानी सब्जी मंडी है उसकी वहां से शिफ्ट करना है। वह मंडी कब तक शिफ्ट हो जाएगी और जो पुरानी सब्जी मंडी है वह कब तक डिगोटीफाईड होगी ?

Mr. Speaker: It is a separate question.

श्रीमती भुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने भैपरेट क्वैश्चन लगाया था लेकिन आज वह लगा नहीं है और कल भी नहीं लगा है। (2)24

Mr. Speaker: I think it will come up tomorrow.

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के पास मेरे जबाव का आन्सर है इसलिए वह बता दें!

Mr. Speaker: I think it will come up tomorrow. Next Question please.

To Empower the Panchayati Raj Institution

*703. Shri Ram Pal Majra: Will the Chief Minister be pleased to state:---

Whether there is any proposal under consideration of the Government to empower the Panchayati Raj Institutions in the State; if so, the steps being taken by the Government in this regard?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Yes sir, a statement is laid on the table of the House.

Statement

The following new decisions/steps have recently been taken by the State Government for empowerment of Panchayati Raj Institutions.

- * Now the President, Zila Parishad would be the Chairman of DRDA and Deputy Commissioner to be executive Chairman. Sir, its long lasting step to empower the grass root level institutes.
- * All funds/Grants-in-Aid under all the schemes will be transferred directly to GPs.
- * Administrative Approval for all the works (except HRDF) would be given by GPs, without any capping.
- * For works estimated upto ₹ 10 Iac, the GP will have the discretion to either execute the works itself (directly or through a local contractor) or entrust the work to the PR Engineering Wing and for works estimated beyond ₹ 10 Iac, the GP shall get the work executed through the Panchayati Raj Engineering Wing, which may get the work executed either departmentally or through a contractual agency.
- * Members of Zila Parishads and Panchayat Samitis shall have the power to inspect the development works in their respective wards.
- * To further boost the resources of Panchayats, the Government has formulated a scheme whereby the Gram Panchayats would facilitate the recovery of Power bills in the Panchayats and also facilitate regularization of illegal kundi connections in the villages. In lieu of this, the Gram Panchayats would be incentivized to the extent of 20% of the enhanced power bill recovery and ₹ 200/- per new regular connection.

In view of the limited resources of income and poor financial position of Panchayat Samitis, it has been decided that a grant to the tune of 50.00 lacs every year would be given to each Panchayat Samiti. This for the first time that any State Government have done so.

In the wake of activity mapping, the Food & Supply Department has constituted a Block Level and District Level Vigilance Committee to curb diversion and to ensure fair distribution of PDS items being distributed through fair price shops under Public Distribution System. The Chairman of Panchayat Samiti concerned has been designated as Chairperson of the Block Level Committee. In the District Level Committee headed by Deputy Commissioner, two Sarpanches (to be nominated by the DC) have also been designated as member of the District Level Committee. The Block Level Committee will monitor fair price shop in Block and report to the District Level Committee about the functioning of fair price shop and other related problems.

In the year 2009, the Public Health & Engineering Department had already decided that single village one tube well/single village two tubewells based scheme be transferred to PRIs. Under this scheme the department would pay monthly amount of ₹ 7,000 to Gram Panchayats for a single village tubewell scheme and ₹ 10,000 for single village two tubewells scheme. This amount would include payment of salary of staff, maintenance of tubewell and distribution system. Recently this scheme has been extended up to single village six tube wells level and to further encourage the PRIs, monthly amount being paid to Gram Panchayats for operation and maintenance has been enhanced to ₹ 11,000 for one tubewell to ₹ 33,000 for six tube wells. Function of callection of water charges from consumers have been devolved upon Gram Panchayats. The amount so collected by Gram Panchayats can be utilized for repair of road and maintenance of water supply distribution system. First of its own kind in this part of the country.

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, is it happening for the first time now?

Shri Randeep Singh Surjewala: Yes Sir, it is for the first time that this Government has launched such an initiative for devolution of powers and making that the grass root level democracy really meaningful. As of now 1893 tubewells have been transferred to the Gram Panchayats by the Public Health Engineering Department. Sir, Panchayati Raj Institutions have also been empowered with various activities of allying department alongwith funds and functionaries. I may say Sir, under the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, Panchayati Raj Institutions have been entrusted with the duties & functions of all the 29 subjects listed in the 11th Schedule of the Constitution. Sir, in the year 1995, by doing activity mapping, State Government had assigned to all the three tiers of PRIs function of supervision & monitoring of activities of 16 departments namely Development & Panchayats, Food & Supplies, Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes, P.W.D. (B&R), Public Health

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

Engineering, Social Forestry and Farm Forestry, Women and Child Development, Rural Department, Agriculture, Animal Husbandry, Power, Social Defence & Security, Horticulture, Ayurveda, Education, Health and Irrigation Departments. Sir, a decision was also taken to entrust certain functions responsibilities of 12 departments to PRIs with a mechanism of control over functionaries also. Sir, again in 2005, a MOU was signed by Hon'ble Union Minister Panchayati Raj, Government of India with Hon'ble Chief Minister of Haryana for empowerment of PRIs. Sir, activity mapping document in respect of functions, funds and functionaries to be devolved upon PRIs was realized on 17, February, 2006 by this Government in respect of 10 Departments namely Food & Supplies, Health, Water Supplies and Sanitation, Social Justice & Empowerment, Irrigation, Animal Husbandry, Women & Child Development, Agriculture and Forest. Speaker Sir, in pursuant of activity mapping 5 departments namely Food & Supplies, Social Justice & Empowerment, Women & Child Development, Public Health & Animal Husbandry Department issued instructions and orders to implement the necessary duties. Sir, as regards the other departments namely Health, Irrigation, Forest, Agriculture and Education Departments action is being taken to ensure compliance of activity mapping matter has been reviewed with the allying department from time to time for implementation of activity mapping after the said meeting. The following departments have already taken these decisions Food and Civil Supplies, Chairman Panchayat Samiti has been authorized to record remarks in the ACRs of Inspectors and Sub-Inspectors of the department for smooth distribution of Articles for PDS. For the first time it has been done. Speaker Sir, PRIs have been authorized to report on the following two points for implementation of activity mapping after the said meetings. The following departments have already taken these decisions.

Food and Supply Department: (i) Chairman, Panchayat Samiti has been authorized to record the remarks in the ACRs of Inspectors and Sub-Inspectors of the Department for smooth distribution of articles by PDS. For the first time it has been done. (ii) PRIs have been authorized to report on the two points:—

- (a) Whether distribution of food-grains was appropriate within the jurisdiction of concerned Inspector or Sub-Inspector? Sir, Panchayats can also ask whether the complaints about PDS were duly attended to by Inspector and Sub-Inspector.
- (b) If not done, then entries can be made in their ACRs.

Sir, old-age pension, widow pension, handicapped pension and financial assistance to destitute children are now disbursed to the eligible beneficiaries through Gram Panchayats in rural areas. (Interruption) Sir, the whole difficulty is Mr. Majra is not able to understand it. (Interruption)

Sir, I cannot force him to understand it. (Interruption) अध्यक्ष महोदय, अगर इनको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इनकी अलग से क्लास ले लूंगा ये मेरे पास आ जाया करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज डिपार्टमेंट रहने नहीं दिया गया(शोर एवं व्यवधान) और फिर ये कहते हैं कि हमने पंचायतों को एम्पावरमेंट कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस भैशन को धुलाने की क्या एमरजैंसी थी ? क्या कोई आर्थिक संकट था, या राजनैतिक संकट था या कोई सामाजिक संकट था जो इतने शॉर्ट टर्म पर सैशन बुलाया गया है। हमें प्रश्न देने का समय भी नहीं मिल पाया और डिपार्टमेंटस के जवाब भी नहीं आ सके। हमने कुछ रैजोल्यूशन दिए हैं जिनको यह कहकर डिसाअलाऊ कर दिया गया कि 15 दिन का समय नहीं है। हमने कहा कि जनलोकपाल बिल को तुरंत प्रभाव से सदन में सर्थसम्मति से पारित करके यूनियन गवर्नमेंट को लिखा जाए कि जनलोकपाल को लागू किया जाए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ये वहीं लोग हैं और यही इनका 2003 का जन लोकपाल बिल है जो हमारे पास है। जब इनकी सरकार थी उस समय ओम प्रकाश थौटाला जी मुख्यमंत्री थे और इन्होंने लोकपाल बिल बनाया था। इन्होंने उस बिल में से एक-एक प्रावधान डायलूट किया था और जन लोकपाल को ओम प्रकाश चौटाला ने बंधक बनाकर रख लिया था। ये लोग आज जनलोकपाल बिल की बात करते हैं। यह 2003 का बिल हमारे पास है।(विध्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इनको बोलने के लिए अलाऊ किया है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भैंने तो माजरा जी को भी अलाऊ नहीं किया है। Since he is a senior member, I wanted to listen him but I have not allowed him. Hon'ble Members, now the Question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Provision of Transfarmers to Farmers

*713. Shri Subhash Chaudhary: Will the Power Minister be pleased of state:—

- (a) whether it is fact that 25 K.V. and 63 K.V. transformers are not functioning in Palwal Constituency for the last three to four months approximately, as either these transformers are burnt or have been stolen?
- (b) if so, the time by which the aforesaid transformers are likely to be provided?

Power Minister (Capt, Ajay Singh Yadav):

- (a) Yes, sir. It is a fact that some 25 KVA and 63 KVA transformers in Palwal constituency were not functional in the last three to four months. There were 75 nos. burnt/stolen 25 KVA transformers and 15 nos. burnt/stolen 63 KVA transformers. The delay in replacement took place as the theft of transformers was not anticipated.
- (b) All these burnt and stolen transformers have now been replaced.

Installation of 16 M.V.A. Transformer

*717. Shri Krishan Lal Panwar: Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install a separate 16 M.V.A. transformer in the 132 K.V. Power House, Madlauda (Panipat); if so, the time by which the aforesaid transformer is likely to be installed?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): No., Sir.

Laying of Sewerage System

*708. Shri Ashok Arora: Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down sewerage system in Ekta Vihar Colony, Hargobind Nagar, PNB, Colony etc. in Kurukshetra falling under 7-B scheme; if so, the time by which the said sewerage system is likely to be laid down?

Excise & Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhary): No Sir. At present there is no proposal to lay the sewerage system in Ekta Vihar Colony, Hargobind Nagar, PNB Colony etc. in Kurukshetra falling under 7-B scheme. PNB Colony is not a part of 7-B scheme. However, the survey work for feasibility of laying the sewerage in the approved colonies is being carried out.

Construction of Roads

*711. Shri Jagdish Nayar: Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the time by which the construction work on the road from Hodal to Khambi in Hodal Constituency is likely to be started together with the time by which the Brij Parikarma road in Hodal Constituency is likely to be constructed?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, for Hodal to Khambi Road, tenders are being called and work is expected to start on ground by 01.01.2012. For Brij Parikarma road, proposal for repair is under consideration.

Solid Waste Management Plant at Ambala

*718. Shri Anil Vij: Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state whether it is a fact that a solid waste management plant was installed at Ambala which has not started functioning till today; if so, the reasons thereof together with the time by which the aforesaid plant is likely to start functioning?

Minister of State for Home (Shri Gopal Kanda): Yes, Sir. However, the Solid Waste Management Plant at Ambala is functioning.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Running of Vita/Verka Milk Booth

- 93. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Co-operation Minister be pleased to state:—
 - (a) whether running of a Vita/Verka milk booth in a group housing society amounts to commercial activity; and
 - (b) the number of group housing societies in Panchkula in which afore said milk booths are operating?

Cooperation Minister (Shri Satpal Sangwan):

- (a) Yes. Though, it is a commercial activity, it is allowed under the Milk Booth Allotment Policy of the Haryana Diary Federation set up under the Cooperative Societies Act.
- (b) Aforesaid Vita milk booths are operating in three group housing societies in Panchkula, which are as under:—
 - 1. Group Housing Society No. 92 (HARCO BANK) Sector 20, Panchkula.
 - 2. Group Housing Society No. 108, Sector 20, Panchkula.
 - 3. Group Housing Society (Vidhan Sabha), Sector 24, Panchkula.

Opening of Government College

98. Shri Raj Pal Bhukhri: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Govt. College in Sadhaura constituency as there is no Government College; if so, the time by which the aforesaid college is likely to be opened?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): No., Sir.

There is no proposal under consideration of the Government to open a Government College in Sadhaura constituency.

To Increase the Capacity of Power House at Kadma

- 96. Col. Raghbir Singh: Will the Power Minister be pleased to state:----
- (a) whether it is a fact that domestic as well as tubewell load has increased considerably in the villages surrounding Kadma Power House; and
- (b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of the aforesaid Power House from 33 KVA to 132 KVA together with the time by which the aforesaid work of upgrading is likely to be completed?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yaday):

- (a) Yes, Sir.
- (b) There is no proposal to upgrade the existing 33 KV sub-station Kadma to 132 KV level. However, the augmentation of existing 33 KV sub-station Kadma by enhancing capacity from 15MVA to 20 MVA has been approved. This work is likely to be completed during FY 2011-12.

Construction of Roads

100. Master Dharampal Ohra: Will the Agriculture Minister be pleased to state:—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the 5 K.M. long link road from village Obra of Behal Block to village Bardu Dhirja of Block Loharu via Bardu New which confirms with the standards of roads to be constructed by the Department/Haryana State Agricultural Marketing Board; if so, the time by which the said link road is likely to be metalled; and
- (b) the time by which the 5 K.M. long road from village Paju to village Sirsi and from village Paju to Sehar are likely to be metalled?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh): There is no proposal to metal these roads, at the moment.

Renovation of Rest Houses

102. Rao Bahadur Singh: Will the Forest Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to renovate the Forest Rest House at Golwa (Nangal Chaudhary) and Nagal Mala (Mahendergarh) if so, the time by which these Rest Houses are likely to be renovated?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):

- (i) Forest Rest House at Yes, Sir. This Rest House will be made Golwa (Nangal Chaudhary) Operational by 31st March, 2012.
- (ii) Forest Rest House at No, Sir.
 Nangal Mala (Mahendergarh)

To Metal the Roads

107. Shri Mamu Ram: Will the Agriculture Minister be pleased to state:

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the following roads:—
 - 1. Gondar to Aungad;
 - 2. Sammali to Ramana-Ramani;
 - 3. Bhaini Kalan to Shyamgarh;
 - 4. Varana to Varani Khalsa; and
- (b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be metalled?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh): A proposal for metalling the road from Gondar to Aungad is being taken up by Haryana State Agricultural Marketing Board. It is estimated that the work is expected to be completed within 15 months. There is no proposal to metal the rest of the roads marked at Sr. No. 2, 3 and 4 at the moment.

Indica Gandhi Drinking Water Scheme

- 108. Shri Parminder Singh Dhull: Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state:—
 - the number of villages included under Indira Gandhi Drinking Water Scheme in district Jind;
 - (b) whether the pipelines of drinking water have been made operational in all the above said villages; and
 - (c) the details of works performed in the different villages for the supply of drinking water under this scheme?

Excise & Taxation Minister (Smt. Kiran Choudhary):

- (a) 308 villages of district Jind.
- (b) The pipelines of drinking water have been made operational in 288 villages and work of operationalization of pipelines in the remaining 20 villages is being taken in hand.
- (c) Drinking water connection has been provided alongwith 200 litres HDPE tank fitted with a tap and other accessories in 308 villages. Till date, 51306 water connections have been provided.

Facilities of Sewerage Drinking Water and Electricity

117. Smt. Kavita Jain: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide sewerage, drinking water and electricity facilities to those villages whose land has been acquired by HUDA for developing sectors; if so, the details of the facilities likely to be provided to the aforesaid villages?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda): Haryana Urban Development Authority has a policy for providing basic services in the villages falling within the sectors of urban estates. Such services include water supply, sewerage system, open storm water drainage, concrete roads/pavements, street lights at feasible locations and need based social infrastructure such as Primary Schools, Dispensary buildings, Play grounds, Chopal/Community Centres.

In the villages whose land has been acquired for urbanization by Haryana Urban Development Authority but fall out-side the urbanization limit, the individual cases are examined on merits of each case.

Relaxation in Norms

94. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give relaxation in norms for opening Government schools and upgrading Government schools in the hilly area of Kalka constituency?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): No. Six.

Construction of Bus Stand

99. Shri Raj Pal Bhukri: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand in Bilaspur which was upgraded as a Sub-division many years ago; if so, the time by which the aforesaid Bus Stand is likely to be constructed?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda): Yes, Sir. The site proposed by Gram Panchayat Sahapur, Tehsil Bilaspur was not found suitable for construction of bus stand at Bilaspur. As soon as a suitable site is located further action would be taken. Hence it is not possible to indicate any time frame at this stage.

Upgradation of Schools

97. Col. Raghubir Singh: Will the Education Minister be pleased to state the number of schools that have been upgraded in Badhra Assembly Constituency during the current financial year together with the number of schools that fulfill all the requisite conditions for their upgradation alongwith the time by which the aforesaid schools fulfilling the requisite conditions are likely to be upgraded?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, in the current financial year no school of Badhra constituency has been upgraded. Proposal for upgradation of one middle school and three high schools were received. However, none of the schools fulfill the Government norms for school upgradation. Hence, there is no proposal for upgradation of any school.

Construction of Roads

- 101. Master Dharampal Obra: Will the Chief Minister be pleased to state:—
 - (a) the time by which the 3 K.M. long link road from village Surpura Kalan to village Gokulpura of block Behal on which earth work has been done under MNREGA Scheme is likely to be metalled; and
 - (b) the time by which the 5 K.M. long link road from village Surpura Kalan to Mandholi Kalan is likely to be metalled after the completion of earth work under MNREGA Scheme.

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda): There is no proposal to metal these roads, at the moment.

Science Faculty in DAV College

103. Rao Bahadur Singh: Will the Education Minister be pleased to state the time by which the science faculty in DAV College, Kosli is likely to be started?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkai Matanhail): There is no proposal to start the science faculty in DAV College, Kosli.

Steps taken for Promotion of Sports

- 109. Shri Parminder Singh Dhull: Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state:—
 - (a) the steps taken by the State Government to promote and ensure sports culture at school, college and university level;
 - (b) the result-orientated policy initiatives taken by the State Government in promoting and protecting rural games at village/block level;
 - (c) the steps taken to improve and maintain sports infrastructure at school, college and university level;
 - (d) the schemes/steps taken to encourage private/NGO-participation in improving sports facilities and infrastructure together with details thereof; and
 - (e) the measures adopted by the State Government to encourage and aid the participants (those who are unable to bring any medal) in the village/block/district/state/national/international tournaments?

Minister of State for Agriculture (Shri Sukhbir Kataria): Yes Sir.

(a) The Department of Sports and Youth Affairs, Haryana is developing sports infrastructure, running coaching centers, nurseries, wings and

[Shri Sukhbir Kataria]

(2)34

academies, awarding scholarships and cash awards, organizing sports competitions. There is 3% reservation under sports quota in admission and Government jobs. Sports & Physical Aptitude Test is conducted every year to select 5000 players in 8-19 years age group for admission in Nurseries and Academies and award of monthly scholarships at the rate ₹ 1500 for 8-14 years age group & ₹ 2000 for 15-19 years. The Department is also conducting Yoga training programmes in schools under Sarv Shiksha Abhiyan.

- (b) The Department is implementing Panchayat Yuva Krida Aur Khel Abhiyan whereby sports infrastructure is being developed, training centers are being set up and tournaments are being organized at Panchayat and Block level. 1238 village and 24 Block PYKKA centers have been set up; work in 619 villages and 12 Blocks are in progress. PYKKA Tournaments for under 16 years players and Mahila Khel Utsavs are also being organized every year at Block, District and State level.
- (c) 1238 PYKKA Centers have been set up in school playgrounds; work on another 619 is in progress. To maintain and operate these Centers, Krida shrees have been appointed. 168 coaches and 168 groundmen are being hired on contract to man Rajiv Gandhi Gramin Khel Parisars at block level. Fund from MNREGA Scheme is also being utilized to maintain 235 mini stadiums in villages in the state. There is a provision in Sports Policy for grant of ₹ 2 crores, 1 crore and 75 lakhs respectively for State's Universities winning overall first, second or third positions in All India Inter-University Tournaments.
- (d) Under Public Private Partnership policy of the Government, sports stadium and facilities can be developed in partnership with private entities. Grant-in-aid is given to Youth Clubs to improve sports facilities in rural stadiums.
- (e) The Department provides participation fee, diet, sports kits, gradation certificate, cash awards and governments jobs for participants at different levels. It also holds pre-tournament coaching camps for participants at District, State and National Level.

Preparation of Contingency Plan

- 115. Shri Krishan Lal Panwar: Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state:—
 - (a) whether a contingency plan has been prepared by the State Government; if so, the date since when the said plan has been prepared;
 - (b) if the reply to part(a) above in negative the reasons thereof; and

(c) if the reply to part(a) above in affirmative the districtwise detail of measures adopted for the relief and rehabilitation under the above said plan together with the detail of the steps taken and the allocation of budget during the period from year 2005 to 2010?

Revenue Minister (Shri Mahendra Partap Singh):

- (a) & (b) Haryana State Disaster Management Plan is under preparation. District Disaster Management Plans have been prepared in all the districts except Sirsa, Sonipat and Faridabad. Plans of these three districts are under preparation.
- (c) Relief for affected people due to natural calamities is being given on the basis of norms fixed by the State and Central Government. The following budget provision and disbursements were made for grant of relief:—

Sr. No.	Year	Amount (in lacs)	Amount disbursed
1.	2005-06	12469.24	3986.90
2.	2006-07	13093.40	3032.28
3.	2007-08	15749.89	3222.22
4.	2008-09	19436.00	5427.07
5.	2009-10	30305.10	11573.72
6.	2010-11	75432.25	63264.81
	Total	166485.88	90507.00

Allotment of Land for Memorial

118. Smt. Kavita Jain: Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to allot land in Kurukshetra or elsewhere in the State for a memorial to be constructed by the Panchnad Memorial Committee in the memory of those Punjabis who had lost their lives during the Indian Pakistan Partition in 1947; if so, the acreage of land likely to be allotted for the aforesaid memorial togetherwith the place where this land is likely to be allotted?

Minister of State for Home (Shri Gopal Kanda): No Sir.

To Improve the Sewerage System

95. Shri Pardeep Chaudhary: Will the Public Engineering Minister be pleased to state whether it is fact that sewerage system of Kalka town is not in a good condition; if so, the steps taken by the Government to improve the sewerage system of the aforesaid town?

Excise & Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhary): No Sir. The already commissioned sewerage system of the town is in a good condition and running smoothly. However, the sewerage system laid in Lower Kurari and Azad Nagar area is to be made functional by construction of disposal work after arranging suitable land from Municipal Committee, Kalka.

Construction of PWD Rest House

104. Rao Bahadur Singh: Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a PWD Rest House in Kosli; if so, the time by which the aforesaid Rest House is likely to be constructed?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): No Sir.

Shrinking Wild Life

110. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Forest Minister be pleased to state :—

- (a) the action plan of the State Government to tackle the shrinking Wild Life in Haryana;
- (b) the current status with respect to the existing Wild Life sanctuaries in the State:
- (c) the special privileges granted by the State Government to the Wild Life sanctuaries and National Parks;
- (d) the steps taken by the State Government to protect Birbaraban in Jind;
- (e) the total loss to Wild Life and revenue of the Sultanpur National Park due to stoppage of water supply last summer (2010) together with the names of those who were held accountable for the abovesaid loss alongwith the future action plan of the Government to ensure timely availability of water to the Park; and
- (f) the action plan of the State Government to protect the Wild Life including birds in the now-dried wetlands of Basai near Gurgaon?

Power Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):

(a) & (b) The action plan to tackle the shrinking Wild Life in Haryana State includes upkeep of 2 National Parks, 8 Wild Life Sanctuaries, 2 Conservation Reserves, 3 Mini Zoos, 1 Deer Park, Conservation Breeding Centre of Pheasant, Crocodile, Vulture, Chinkara/peafowl, Elephant Rehabilitation & Rescue Centre. The Wild Life and its habitat are being protected and managed under the Wild Life (Protection) Act, 1972 with the involvement of local people. The staff has been provided with arms, wireless sets, vehicles etc. to protect Wild Life from poaching. One sniffer dog, specially trained in detecting the wildlife crime, is helpful. Check posts have been established at different sensitive points. The National Parks and Wild Life Sanctuaries in Haryana are well demarcated and managed as per Wild Life Act. The water bodies at different places within sanctuaries have been created to provide water to wild animals in lean season.

- (c) There is no special privileges granted by the State Government as the National Parks and sanctuaries are managed under the statute enacted by the Central Government.
- (d) Birbaraban Jind has been declared as Conservation Reserve under the Wild Life (Protection) Act, 1972. It is protected under Wild Life Act as well as Indian Forest Act, 1927.
- (e) In Sultanpur National Park, no loss to Wild Life and revenue occurred during the summer (2010). The drying of Sultanpur wetland during summer is a natural phenomenon and part of habitat management in bird sanctuaries. Water comes naturally in National Park in rainy season. Sometimes, it is supplemented by canal water.
- (f) Basai area is not the Wild Life sanctuary. However, any damage to wild animals in this area is dealt as per provisions of Wild Life (Protection) Act, 1972.

Repair of Roads

- 116. Shri Krishan Lal Panwar: Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state:—
 - (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads:—
 - 1. from village Madlauda, district Panipat to Shera;
 - 2. from village Khandra (Panipat) to Dharamgarh via Baljatan (Panipat);
 - 3. from village Israna to Bhaupur via Karad (Panipat)
 - 4. from village Israna to Ahar via Khalila Majra (Panipat)
 - from village Urlana Kalan (Panipat) to Main Asandh road via Dariya Pur; and
 - from village Badar (Panipat) to Kalkha (Panipat); and
 - (b) if so, the time by which the above said roads are likely to be repaired?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Road wise reply for part (a) & (b) is as under:—

Sr. No.	Part of the road	Belongs to	Reply	Expected date of repair
1.	Single stretch	Recently trans- ferred from HSAMB	Yes, Sir. The proposal is under consideration	No time frame can be given at this stage.
2.	(i) Khandra to Baljatan	PWD	Sir, work of improvement/ repair stands allotted under PMGSY Phase-IX scheme.	31.03.2012
	(ii) Baljatan to Dharamgarh	HSAMB	Sir, work of improvement/ repair is in progress under PMGSY Phase-IX scheme.	30.11.2011
3.	Single stretch	PWD	Sir, work of improvement/ repair is in progress under PMGSY Phase-IX scheme.	31.03.2012
4.	(i) Israna to Pardhana	PWD	Sir, work of special repair recently allotted to contr- actual agency	31.12.2011
	(ii) Pardhana to Ahar via Khalila Majra	PWD	No. Sir. there is no such proposal at present.	No time frame can be fixed.
5.	Single stretch	PWD	Sir, work of improvement/ repair is in progress under PMGSY Phase-IX scheme.	31.03.2012
6.	Single stretch	Recently trans- ferred from HSAMB	Yes, Sir. Tendering Process taken in hand.	31.03.2012

To Fill the Pond

105. Rao Bahadur Singh: Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to fill the pond at Gamri (village Nehru Nagar) block Nahar-Kosli with canal water; if so, the time by which the aforesaid pond is likely to be filled up?

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha): Irrigation Department has policy to allocate water on demand for filling up of ponds. Actual filling up and arrangement of water course/pipeline is done by village Panchayat. Gamari village pond can be filled up from Sureli distributary which has availability of water in its turn. It is the Gram Panchayat which needs to take further necessary action in the matter.

License to Doctor for Private Practice

- 111. Shri Parminder Singh Dhull: Will the Health Minister be pleased to state:—
 - (a) the policy guidelines followed by the State Government while granting license to a doctor for private practice; togetherwith the

बोचणाएं (2)39

- monitoring process to ensure strict compliance by a doctor/private practitioner/private clinic to the guidelines set by the Government;
- (b) when was the last audit conducted by the concerned authorities in Jind district to inspect and ensure compliance by the private practitioners/clinics to the aforesaid guidelines togetherwith the outcome thereof; and
- (c) whether there exists a policy under which it is made compulsory/ mandatory for private female surgical/maternity hospitals to appoint qualified female attendants/nurses of staff only; If so, the details of the policy and punitive action suggested against defaulters?

Health Minister (Rao Narender Singh):

- (a) Sir, there is no policy or guidelines under which private doctors have to take license for practice or opening clinics.
- (b) Question does not arise.
- (c) No Sir.

To Develop Sonepat as Mega City

- 120. Smt. Kavita Jain: Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state:—
 - (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to develop Sonepat city as a Mega city; if so, the development works likely to be undertaken for the aforesaid purpose; and
 - (b) whether any approval has been given by the Central Government for the aforesaid purposal; if so, the amount released by the Central Government for the said purpose?

Minister of State for Home (Shri Gopal Kanda):

(a) & (b) No Sir.

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा

(i) समापतियों के नामों की सूची

Mr. Speaker: Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons:-

- 1. Prof. Sampat Singh, M.L.A.
- 2. Shri Anand Singh Dangi, M.L.A.
- 3. Shri Ram Pal Majra, M.L.A.
- Smt. Kavita Jain, M.L.A.

(ii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an intimation from O.P. Jain, Hon'ble MLA dated 19th August, 2011 which reads as under:—

"It is requested that my wife is in a critical position and she is admitted in PGI Chandigarh in ICU and is on ventilator, therefore, it will not be possible for me to attend the Vidhan Sabha Session commencing from 19th August, 2011."

It is the pleasure of the House that the leave is allowed?

Voices: Yes Sir.

Mr. Speaker: The Leave is granted.

(The leave was granted.).

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an intimation from Rao Bahadur Singh Ji, Hon'ble MLA dated 19th August, 2011 which reads as under—

"With due respect, it is submitted that due to some unavoidable circumstances, I will not be able to attend the sittings of the Haryana Vidhan Sabha on 23rd and 24th August, 2011."

It is the pleasure of the House that the leave is allowed?

Voices: Yes Sir.

Mr. Speaker: The Leave is granted.

(The leave was granted.).

(ख) सचिव द्वारा राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker: Now, the Secretary will make an announcement.

सचिव: मान्यवर, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान समा ने अपने मार्थ, 2011 में हुए सन्न में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमित दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ —

- The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2011.
- 2. The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2011.
- 3. The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2011.
- 4. The Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 2011.
- 5. The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2011.
- 6. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2011.
- 7. The Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill, 2011.
- 8. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2011.
- The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2011.

- 10. The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2011.
- 11. The Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2011.

बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 11.00 A.M. on Friday, the 19th August, 2011 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Friday, the 19th August, 2011 at 2.00 P.M. and adjourn after conclusion of Obituary References. The Business entered in the List of Business for 19th August, 2011 will be taken up on 23rd August, 2011 besides other Business for the day.

On Tuesday, the 23rd August, 2011 the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put.

On Wednesday, 24th August, 2011, the Assembly shall meet at 10.00 A.M. amd adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on the 19th, 23rd and 24th August, 2011 be transacted by the Sabha as follows :-

Friday, the 19th August, 2011 (2.00 P.M.)

Obituary References.

Saturday, the 20th August, 2011 HOLIDAY

HOLIDAY

Sunday, the 21st August, 2011

HOLDAY

Monday, the 22nd August, 2011 Tuesday, 23rd August, 2011

Question Hour.

(2.00 P.M.)

- 2. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
- 3. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
- 4. Presentation of Four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon.
- 5. Presentation, Discussion and Voting on the Excess Demands Over Grants and Appropriations for the years 2005-2006, 2006-2007 and 2007-2008.
- 6. (i) Presentation of Supplementary Estimates (First Instalment) for the year

2

5

[श्री अध्यक्ष]

2011-2012 and the report of the Estimates Committee thereon.

- (ii) Discussion and Voting on Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 2011-12.
- 7. Legislative Business.

Wednesday, the 24th August, 2011 (10.00 A.M.)

- 1. Ouestion Hour.
- Motion under Rule-15 regarding Nonstop Sitting.
- 3. Motion under Rule-16 regarding adjournment of the Sabha sinc-die.
- 4. Papers to be laid, if any.
- The Haryana Appropriation Bill, 2011 in respect of Excess Demands Over Grants and Appropriations for the year 2005-06, 2006-07 and 2007-08.
- The Haryana Appropriation Bill, 2011 in respect of Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 2011-12.
- 7. Legislative Business.
- 8. Any other Business.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Busines-s Advisory Committee.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर

Mr. Speaker: I will allow you Mr. Majra. If you want to have a discussion on Business Advisory Committee Report, some body should have come forward. Nobody came forward from your party. (interruption) Alright, since first Mr. Krishan Pal Gujjar was present, I will allow him first and then you will come. (interruption) Because he was present. You will also come one after the another.

सदस्य को नेम करने के फैसले को रदद करना

Mr. Speaker: I will allow you Mr. Majra but after Mr. Gurjar.

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप द्वारा जो यह शॉर्ट-टर्म डयूरेशन का सेशन बुलाया गया है। (विध्न) Mr. Speaker: Mr. Gurjar, I allow you to speak.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: स्पीकर सर, मेरी आपसे हम्बल रिकवैस्ट है आप द्वारा हमारे एक सीनियर साथी को बिना वार्निंग दिये सीधा 'नेम' कर दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उनके बहुत अच्छे-अच्छे एवं बहुमूल्य सुझावों की इस हाऊस और पूरे प्रदेश की जनता को जरूरत है इसलिए मेरा आपसे पुन: निवेदन है कि आप अपनी उदार हृदयता का परिचय देते हुए और हृदय की नर्म करते हुए उनको हाऊस में वापिस बुला लिया जाये।

Mr. Speaker: Mr. Gurjar I do not think that being a leader of the party you have control on him. He does not listen to you.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: स्पीकर सर, इस बारे में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस हाऊस के अन्दर हमारी पार्टी के सभी सदस्यों को उनकी माननी पड़ती है क्योंकि वे हाऊस के अन्दर हमारे नैता हैं और as a party president इस हाऊस से बाहर थे मेरी मानते हैं। हां, ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि थे हाऊस में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करने जो अलोकतांत्रिक हो।

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल जी, आप प्रदेश में पार्टी प्रेजीडेंट हैं इसलिए उनको आपकी बात सुननी चाहिए। In the House you are the leader आप प्रदेश में पार्टी प्रेजीडेंट हैं but he will not listen to you.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: स्पीकर सर, हाऊस के अन्दर तो हमें उनकी सुननी पड़ेगी और वे जैसे कहेंगे हमें वैसे चलना पड़ेगा लेकिन हाऊस के बाहर जैसा मैं कहूंगा वे वैसा करेंगे। मेरा आपसे पुन: निवेदन है कि उनको वाधिस बुला लिया जाये क्योंकि वे ऐसी किसी भाषा का इस्सेमाल नहीं करते जो किसी को चुभती हो। वे कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं करते जो अलोकतांत्रिक हो। अगर आप उनको अंदर बुला लेते हैं तो आपको प्रदेश के हित में उनके अच्छे सुझाव सुनने को मिलेंगे।

Mr. Speaker: You please talk to him.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: स्पीकर सर, वे कोई ऐसी गलत बात नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऐसी मतलब जैसी अभी कर रहे थे।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, आप अन्हें बुलायें हम अनको मना लेंगे।

Mr. Speaker: Mr. Gurjar, first I am sorry with your observation that I did not warn him. This is totally wrong. मैंने उनको कई बार कहा है कि I warn you.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़ा): स्पीकर सर, मेरा भी आपसे अनुरोध है कि श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी की बात को मानकर श्री अनिल विज जी को वापस बुला लिया जाये क्योंकि वे भी हमारे सम्मानित साथी हैं।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, हम भी यह धाहते हैं कि लीडिए ऑफ दी हाऊस के आग्रह को स्वीकार करते हुए श्री अनिल विज को सदन में वापस बुला लिया जाये।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: स्पीकर सर, हमारे साथी श्री अनिल विज जी को वापस बुलाने के बारे में जो सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री महोदय जी ने कहा में इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और अध्यक्ष जी, अगर आप भी उन्हें वापिस बुला लेते हैं तो मैं आपका भी हृदय से धन्यवाद करा।

Mr. Speaker: Mr. Gujjar, am I having an assurance कि वे हाऊस की प्रोसीक्षिण्स को डिसरप्ट नहीं करेंगे ?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: जी सर, पक्का, थे हाऊस की प्रोसीडिंग्स को बिलकुल डिसरप्ट नहीं करेंगे। अगर उन्हें अपनी कोई बात कहनी होगी तो थे उसे लोकतांत्रिक तरीके से ही कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: गुर्जर जी, जब तक आपकी तरफ से मुझे यह एशोरेंस नहीं मिलेगी कि श्री विज बिना वजह हाऊस की वैल में आकर शोर नहीं करेंगे, अपनी सीट पर नारेबाज़ी नहीं करेंगे, बिना मेरी परिमशन के खड़े होकर नहीं बोलेंगे और हाऊस की प्रोसीडिंग्स को किसी भी प्रकार से डिसरप्ट नहीं करेंगे तब तक मैं उनको वापस बुलाने का डिसीज़न लेने के बारे में नहीं सोच सकता। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? क्या आपके पास इस बात की गारंटी है?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: जी सर, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: O.K. Mr. Gujjar, please give me some time to decide. (Interruption) Hon'ble Mr. Gujjar, let me think. Let me first hear Mr. Majra and in the meanwhile I will think also as suggestion come from the Leader of the House as well as from the Parliamentary Affairs Minister. You are also a very Hon'ble Member of this august House before you came in Mr. Majra and Mr. Abhay Chautala have also come out with this suggestion but nobody couldn't assure me that the business of the House will not be disrupted. Since, as President of the Party you are assuring me. I am taking your words and I also thinking about it. I just need two minutes to think about it. Mr. Majra, please speak.

बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करना (पुनरारम्भण)

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर सर, देश में भी और प्रदेश में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। हमने जन लोकपाल बिल के ऊपर एक रैज्योल्यूशन दिया है। (विध्न)

Mr. Speaker: Mr. Majra, please first speak on the motion of Business Advisory Committee. (Interruption)

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य वैल में आ कर नारेवाजी करने लगे।) सदन की मेज पर रखे गए / पुन: रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Ordinance, 2011 (Haryana Ordinance No. 3 of 2011).

The Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Ordinance, 2011 (Haryana Ordinance No.4 of 2011).

The Haryana School Teachers Selection Board Ordinance, 2011 (Haryana Ordinance No. 5 of 2011).

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to relay on the Table of the House—

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 25/Const./Art. 320/2010, dated the 29th October, 2010 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 26/Const./Art. 320/2010, dated the 13th December, 2010 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I also beg to lay on the Table of the House—

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 4/Const./Art. 320/2011, dated the 13th April, 2011 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. S.O. 47/H.A. 3/1970/Ss. 8 and 9/2011 dated the 2nd June, 2011 regarding amendment in Haryana Ministers Allowances Rule, 1972, as required under section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/23/2010, dated the 3rd February, 2011, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Annual Report of Haryana State Pollution Control Board for the year 2006-2007, as required under section 39(2) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 2007-2008, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Statement of Accounts of Housing Board, Haryana for the year 2008-2009, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Grant Utilization Certificate and Audit Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2005-2006, as required under section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

7

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

The Annual Report of Haryana Electricity Regulatory Commission for the year 2009-2010, as required under sections 104 (4) and 105(2) of the Electricity Act, 2003

गैर सरकारी संकल्प

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, हमने जन लोकपाल बिल पर एक रैज्योल्यूशन दिया है, खससे मुतलिक मुझे आपका पत्र मिला है। आपने जो जवाब दिया है उसमें लिखा हुआ है कि यह इसलिए डिस्अलाऊ किया जाता है क्योंकि जन लोकपाल बिल पर 15 दिन का क्लीलयर नोटिस नहीं था। जब कभी भी कोई प्रश्न दिया जाता है तो 15 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। आपकी जो रूल्ज एण्ड प्रोसीजर नाम की किताब है इसमें रूल 174 में लिखा हुआ है कि अर्जन्द एण्ड एमरजेन्टिक सेशन बुलाया जा सकता है परन्तु जब हमने हांसी-बुटाना नहर पर और एस.वाई.एल. पर सर्वसम्मित से प्रस्ताव पारिल किया था तब हमने कीन-सा 15 दिन का नोटिस दिया था। इसलिए यह एक लोक महत्व का प्रश्न है इसलिए इस जन लोकपाल बिल को पास करने के लिए हमें रिकमेंड करना चाहिए, मेरी आपसे यह राय है। अगर कोई एमरजेन्टिक सिच्चेश्न थी कि दो दिन का नोटिस देकर असैम्बली का सेशन कन्चीन करना था तो वह संकट हमें बताना चाहिए था कि क्या प्रदेश पर कोई आर्थिक संकट है, या कोई मगदड मचने वाली है, या कोई सामाजिक संकट है। प्रदेश में तो बहुत अच्छा माहौल बताया जा रहा है परन्तु प्रदेश में न बिजली है न पानी है। आज भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: We will take care your suggestions. (Noises & Interruption).

श्री रामपाल माजरा: सर, जो अन्ना हजारे का द्राफ्टिड जन लोकपाल बिल है, उसको पास किया जाये। आप जब चाहते हो, तब मुद्दों को अपने मुताबिक मरोड क्षेते हो। यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में विधायकों को अपनी बात कहने का हक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, आज गली-गली से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। यहाँ पर उसका समर्थन करने में किसी को क्या ऐतराज है ? (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर नारेबाजी करने लगे।)

बैठक का स्थगन

श्री रामपाल माजरा: भ्रष्टाचार बंद करो। (शोर एवं व्यवधान)

राजस्व मंत्री(श्री सतपाल): सर, इनसे यह तो पूछ लिया जाये कि यहाँ पर भ्रष्टाचार लेकर कौन आया था ? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I do not like this. I am standing. As per rule जब मैं खड़ा हूँ तो आपको बैटना पड़ेगा। भ्रष्टाचार पर डिस्कशन होगा Don't worry Mr. Ajay Chautala, we will have discussion on corruption issue. (Noises & Interruption) यह मेरी आपसे रिक्वैस्ट है, यह मेरा आपसे निवेदन है। We will have discussion on corruption.

अरोज़ साहब, आपका बोलने का राईट है लेकिन ऐसे हाउस नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं किसी को दबाना नहीं चाहता हूं। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। Go back on your seats. आप मेरी बात तो मानें। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप मेरी बात मानेंगे तो डिसकशन हो जाएगी। आप मेरी बात मानिए और मैं आपकी बात मानृंग।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारी बात माने।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, जब चेयर यह कह रही है कि आपकी बात सुनी जाएगी तो आपको मानना चाहिए। इस तरीके से तो किसी की भी बात नहीं सुनी जाएगी।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सबकी बात सुनता हूं।

श्री अभय सिंह चोटाला : आप इमारी बात नहीं सुन रहे हैं। (शोर एवं ध्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के कई सदस्य सदन की वैल में आ गए और जोर-जोर से गारेशाजी करने लगे।)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। आप भेरी बात मानेंगे तो आपको ही फायदा होगा। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीटों पर बैठें। Nothing is to be recorded.

श्री नरेश कुमार (बादली) : * * * *

श्रीमती शकुन्तला खटक : * * * * (शोर एवं व्यवधान)

16.00 बजे श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, आप अपनी अपनी सीट पर जाओ।(शोर एवं व्यवधान) आपकी बात सुनी जाएगी।(शोर एवं व्यवधान) अवालत में मुकदमों के बारे में बात हो रही है।(शोर एवं व्यवधान) अगर आप मुझे फोर्स करना चाहेंगें तो मैं हर वह बात यहां लेकर आर्फ्रगा जो यहां कही जा रही है। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी अपनी सीट पर बैंठें। (शोर एवं व्यवधान) में किसी से इरता नहीं हूं और न ही किसी को इराता हूं।(शोर एवं व्यवधान) I adjourn the House for 10 minutes.

(The Sabha then adjourned at 04.05 P.M. and reassembled at 04.15 P.M.)

(ii) बैठक का स्थगन

Mr. Speaker: Dr. Raguhvir Singh Kadian, please /(Noise & Interruption) (इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य हाऊस की वैल में आकर शोर करने लगे।)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, please go back to your seats. Nothing is to be recorded. (Interruption) मैं आप सभी की बारों सुनूंगा लेकिन अभी आप अपनी सीटों पर बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) ऑनरेबल मैंबर्ज़, प्लीज़ बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

^{*} चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, * * * *

Mr. Speaker: Mr. Arora, I have not allowed you, so nothing is to be recorded. (Interruption) Please go back to your seats. Hon'ble Leader of Opposition wants to say something and you are standing, please go back to your seats. धौटाला जी, प्लीज, एक मिनट के लिए सभी ऑनरेबल मैम्बर्ज़ को अपनी-अपनी सीटों पर जाने दें।

श्री औम प्रकाश चौदाला: अध्यक्ष महोदय, आप पूरे हाऊस के कस्टोडियन हैं इसलिए आपकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि आप पूरे हाऊस की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लें। अगर समूचे राष्ट्र के साथ हाऊस के सदस्यों की भी कोई विशेष मांग है तो आपको उस पर वर्षा कराने में क्या आपत्ति हैं?

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, मैं चर्चा तो तभी करवा सकता हूं जब सभी सदस्यगण अपनी-अपनी सीटों पर बैठेंगे। चर्चा कराने से पहले मुझे हाऊस को आर्डर में लेकर आना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभायें। हम आपका सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप विपक्ष के नेता हैं और मैं भी आपका सम्मान करता हूं।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि सदन के सभी मैम्बर्ज़ की इच्छा को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, मैंने कहा था कि मैं निर्णय लूंगा!

श्री औम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या पहले इस सदन में कई मर्तबा इस प्रकार से यूनानीमस रेजोल्यूशन पास नहीं हुए हैं?

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, बिलकुल हुए हैं।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, तो आज समूथे राष्ट्र की भावनाओं को ध्यान में रखकर आपको इस पर आपत्ति क्यों है?

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, मुझे इस पर कोई आपलि नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, फिर यह रेजोल्यूशन तो आना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप पहले हाउस को ऑर्डर में तो लाने दीजिए।

श्री औमप्रकाश चौटाला: हाउस तो चल ही रहा है। एक ही अवसर होता है हमारे पास अपनी बात कहने का कि हम जीरो ऑवर में अपनी बात कह सकें लेकिन आप उसको भी डिसअलाउ कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी तक किसी को डिस्अलाउ नहीं किया।

^{*} चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री औम प्रकाश चौटाला : आप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यहाँ तो सभी अपनी-अपनी बात कह रहे हैं।

श्री औम प्रकाश चौटाला: इस रैजोल्यूशन को आप हमें रखने तो दीजिए अगर किसी को कोई आपित होगी तो यह पास नहीं होगा। आप इसको अलाउ कीजिए। इम अपनी बात रखेंगे अगर किसी को कोई आपित होगी तो सिरे नहीं चढ़ेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले एक बार हाउस में लैजिशलेशन बिजनेस ट्रांजिक्ट हो जाये उसके बाद its an assurance of the Chair कि आपके जो सुझाव आये हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री (भवन तथा सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय. इस सदन की कुछ मर्यादायें, कुछ परम्पराएं होती हैं और यह सदन उन्हीं मर्यादाओं और परम्पराओं के अनुवेश चलता है उनके उल्लंघन में नहीं चलता। आप इस सदन के कस्टोडियन हैं आप सभी सदस्यों को समान दृष्टि से देखते हैं। बार-बार सदन की वैल में आना, कागज लहराना, स्पीकर की चेयर तक कागज फंक कर जाना, क्या यह शोभनीय व्यवहार है, क्या यह जिम्मेवार विपक्ष को शोभा देता है? यहाँ बार-बार नारे लगाना या व्यक्तिगत आक्षेप करना, क्या यह शोभनीय व्यवहार है ? चेयर के ऊपर यह आक्षेप करना कि आप तटस्थ नहीं है, आप खतन्न तरीके से निर्णय नहीं करते हैं, क्या यही तरीका है, क्या इनकी यही तहजीब है? (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन की वैल में आ कर जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे।)

श्री अध्यक्ष : एक बार यह बिजनेश ट्रांजैक्ट हो जाये उशके बाद चर्चा भी हो जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रकार नारेबाजी सही है और पूरा हरियाणा जानता है कि इस भ्रष्टाचार का जन्मदाता कौन है? क्या विपक्ष के नेता जो डॉ॰ रचुबीर सिंह कादियान का कॉलिंग अटैन्शन मोशन आ रहा है उससे डर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं यह एश्योऐंश देता हूँ कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जरूर चर्चा होगी। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग प्लीज बैठिये। Members please, go back to your seats. आप बैठिये प्लीज।

श्री विशन लाल सैनी: सर, पहले इनको अलाख कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलाउ के बारे में बाद में देखूँगा पहले बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो जाये। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीटों पर जाईये। The Chair can not be forced. (नारेबाजी) I am issuing you a warning, please go back to your seats.

श्री विशन लाल सेनी : अध्यक्ष महोदय, * * * *

^{*} चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. देखिये आप ये कहेंगे कि I have not warned you. मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, please go back to your seats. I am warning you go back to your seats. मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी सीटों पर जाईये। I am warning you (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट्स पर वापस जाईए। I am warning you. मैं आपको वार्न कर रहा हूँ और ये पांचवी बार वार्न कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

मैं किसी की भी बात मान लूंगा लेकिन आप पहले अपनी अपनी सीटों पर जाएं। मैं भ्रष्ट्राचार के मुद्दे पर हाउस में डिसकशन करवाऊगा। I warn you. (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीटों पर जाएं, भ्रष्ट्राचार के मुद्दे पर इस सदन में डिसकशन जरूर होगी। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्थगण, भ्रष्ट्राचार के मुद्दे पर इस सदन में बहस जरूर होगी। आप सभी हाउस में रहना, भैं भ्रष्ट्राचार के छपर जरूर बहस करवाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान) Nothing is to be recorded.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठें। मैं भ्रष्ट्राचार के मुद्दे पर बहस जरूर करवाऊंगा। I warn you. (interruption) Please go to your seat. दस बार मैं आपको वार्न कर चुका हूं लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अब हाउस 15 मिनट कें लिए एडजर्न किया जाता है।

(The Sabha then adjourned at 4.28 P.M. and re-assembled at 4.43 P.M.)

सदस्यों का निलम्बन/बैठक का स्थगन

Mr. Speaker: Hon'ble Members please go back to your seats. आप अपनी सीट्स पर जाईये। आपकी बात सुनी जायेगी। You cannot force me. आप मुझे फोर्स कर रहे हैं, मैं किसी के प्रेशर में नहीं आउंगा। आप अपनी सीटों पर जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर डिसकशन होनी चाहिए।

(इस समय इनैलो के सभी माननीय सदस्य और शिरोमणी अकाली दल पार्टी के एक मात्र सदस्य हाउस की वैल में आकर जोर जोर से नारेबाजी करने लग गये) (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, go back to your seats. (Interruption) Now, the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That Sarvshri Abhey Singh Chautala, Ajay Singh Chautala, Ashok Kashyap, Ashok Kumar Arora, Bishan Lal, Dharam Pal (Loharu), Dilbag Singh, Ganga Ram, Gian Chand Oadh, Hari Chand Middha, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammed Ilyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmed, Om Prakash Chautala, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh, Phool Singh, Raghbir Singh (Badhra), Rajbir Singh Brara, Rameshwar Dayal, Ram Pal Majra, Smt. Saroj, Sher Singh Barshami, Subhash

^{*} घेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Chaudhary and Charanjit Singh, MLAs be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behavior, unbecoming of the member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Sarvshri Abhey Singh Chautala, Ajay Singh Chautala, Ashok Kashyap, Ashok Kumar Arora, Bishan Lal, Dharam Pal (Loharu), Dilbag Singh, Ganga Ram, Gian Chand Oadh, Hari Chand Middha, Iagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohamad Ilyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmed, Om Prakash Chautala, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh, Phool Singh, Raghbir Singh (Badhra), Rajbir Singh Brara, Rameshwar Dayal, Ram Pal Majra, Smt. Saroj, Sher Singh Barshami, Subhash Chaudhary and Charanjit Singh, MLAs be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behavior, unbecoming of the member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

Mr. Speaker: Question is-

That Sarvshri Abhey Singh Chautala, Ajay Singh Chautala, Ashok Kashyap, Ashok Kumar Arora, Bishan Lal, Dharam Pal (Loharu), Dilbag Singh, Ganga Ram, Gian Chand Oadh, Hari Chand Middha, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammed Ilyas, Narender Sangwan, Nascem Ahmed, Om Prakash Chautala, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh, Phod Singh, Raghbir Singh (Badhra), Rajbir Singh Brara, Rameshwar Dayal, Rampal Majra, Smt. Saroj, Sher Singh Barshami, Subhash Chaudhary and Charanjit Singh, MLAs be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

The motion was carried.

(At this stage, all the members of the Indian National Lok Dal and Shiromani Akali Dal present in the House continued to obstruct the proceedings of the House. The Speaker repeatedly asked all the suspended members to leave the House but they did not withdraw from the House and came into the well of the House and were continuously shouting the slogans.)

Mr. Speaker: All the Suspended Members may please leave the House. (Interruption and Noise) You all have been suspended, please leave the House. (Interruption)

(At this stage, all the present members of the Indian National Lok Dal and Shiromani Akali Dal present in the House continued to obstruct the proceedings of the House. The Speaker repeatedly asked them to leave the House but they did not leave the House and continuously shouting the slogans.)

17.00 ৰ্জ Hon'ble Members, This is not the way. (Noise and Interruption) All the suspended members may be evicted. Now, the House is adjourned for 10 minutes.

(All the suspended members of the INLD and Shiromani Akali Dal present in the House did not withdraw from the House.)

(The Sabha then adjourned at 5.00 P.M. and re-assembled at 5.10 P.M.)

(iii) बैठक का स्थगन

Mr. Speaker: Hon'ble Members,... (Noise & Interruption)

(At this stage, all suspended members of the INLD and Shiromani Akali Dal present in the House again started to obstruct the proceedings of the House and continuously shouting the slogans in the House.)

Mr. Speaker: All the suspended members may please leave the House.

(All the suspended members of the INLD and Shiromani Akali Dal present in the House did not withdraw from the House. They were continuously shouting the slogans thereby obstructing the proceedings of the House.)

Mr. Speaker: All the suspended Members may be evicted physically.

Now, the House is again adjourned for 10 minutes.

(At this stage, all the suspended members of the INLD and Shiromani Akali Dal present in the House were escorted out of the House by the Sergeant-at Arms.)

(The Sabha then adjourned at 5.10 P.M. and re-assembled at 5.20 P.M.)

मुख्य मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य ---

मुख्य मंत्री द्वारा सदन में उपस्थित इन्डियन नेशनल लोकदल तथा शिरोमणी अकाली दल के निलम्बित सदस्यों के व्यवहार तथा आचरण संबंधी

Mr. Speaker: Now, Mr. R.S. Kadian will read his motion.

श्री अनिल बिज: सर, मुझे दो मिनट के लिए बोलने का समय दिया जाए।

Mr. Speaker: You will seek my permission first. After Dr. Kadian, I will allow you. Please resume your seat.

श्री अनिल विज: सर, मुझे दो मिनट के लिए बोलने का समय दिया जाए।

Mr. Speaker: You will speak for one minute only. Now, Hon'ble Leader of the House wants to make a statement.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का अभी हमारे विपक्ष के साथियों का सदन में व्यवहार रहा वह ठीक नहीं है। मैं भी कई बार पार्लियामैन्ट का सदस्य रहा हूं और तीसरी बार इस विधान सभा का सदस्य चुनकर आया हूं। मैं विपक्ष में भी रहा हूं और हमारे बहुत सारे विपक्ष के साथी श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री अनिल विज जी भी मेरे साथ विधायक थे। खासतीर से हमारे विपक्ष के साथियों का ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं देखा गया। आपने खुले दिल से कहा कि भ्रष्टाचार पर डिसकशन करायेंगे। सभी चाहते हैं क्योंकि आज पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आप भी हैं, वे भी हैं, हम भी हैं और सभी हैं। लेकिन क्या कारण था वे क्यों कमोफलेज कर रहे थे? किस बात से डरे हुए थे, इस बारे में मैं आपको और इस सदन को जरूर बताना चाहता हूं। श्री कादयान द्वारा अभी जो कालिंग अटेंशन मोशन दिया है जो सदन में टेबल्ड हो चुका है वह भी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। एक बात मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि जो नेता इस विद्यान सभा के सदस्य हों और सी.थी.आई. द्वारा करप्शन के मामले में उनके खिलाफ वार्ज फ्रेम्ड हो चुके हों उनका क्या एटीच्यूड हो क्या उनको यहां रहने और बोलने का अधिकार होना वाहिए ये सारी बातें उस डिसकशन में आनी थी। वे उस बात को रोकना चाहते थे लेकिन कमोफलेज और किसी बात के लिए कर रहे थे। आपने कहा कि म्रष्टाचार के मामले में डिसकशन करवायेंगे। हम भी भ्रष्टाचार के मामले में डिसकशन के लिए तैयार हैं और इस सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काफी कदम उठाये हैं तथा और भी कदम उठायेंगे। इस भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश बनाना थाहते हैं। अगर विपक्ष के साथी इस बारे में कोई सुझाद देते तो हमें बड़ी खुशी होती। कुछ लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी अपने आप को बचाने के लिए राजनीति का किस प्रकार दुरूपयोग कर रहे हैं और आम आदमी को गुमराह करने में लगे हुए हैं। ऐसा इस हाउस में पहली दफा हुआ है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने हाउस की गरिमा को बनाये रखा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे विपक्ष के साथी हाउस की गरिमा को बनाये नहीं रख सके। मेरी सभी सदस्यों से यह दरख्वास्त है कि हाउस की गरिमा को बनाये रखा जाये ताकि लोगों में अच्छा प्रभाव रहे। जिस प्रकार का व्यवहार आज इस सदन में हुआ ऐसा तो ग्राम पंचायत में भी देखने को नहीं मिलता। वे पूरे राज्य से चुने हुए नुमायन्दे हैं और पूरे प्रदेश के लोगों का भविष्य आप तय कर रहे हैं। यहां पर जो भी अच्छी से अच्छी डिसकशन होती है तो उसका कुछ न कुछ नतीजा निकलता है। आपने इनको बोलने की इजाजत दी इस बारे में सरकार खुला दिल रखती है कि कोई भी अध्छे सुझाव देगा तो हम उस पर अमल करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लडाई लड़ेगें। मामला कुछ और था फिर भी विपक्ष के सदस्य कमोफलेज कर रहे हैं। उनको पता था कि यह बात डिसकशन में आयेगी, उस बात को वे रोकना चाहते थे। मैं आपका पूरे सदन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं तथा जिस गरिमा से आपने सदन को चलाया उसके लिए मैं आपको हार्दिक बघाई देता हूं।

श्री अनिल विज: धन्यवाद स्पीकर सर। सर, आज सुबह की जो कार्यवाही हुई और आपने मुझे दोबारा सदन में वापस बुलाया उसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि

> केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, भेरी खाहिश है कि हालात बदलने चाहिए। इस दिल में ना सही, उस दिल में सही, आग आखिर आग है, किसी ओर तो सुलगनी चाहिए।

Mr. Speaker: Vij Sahib, I will correct you. ये दुष्यन्त की कविता श्री। मैं दुष्यंत की कविता को प्रष्ट नहीं होने दूंगा। कविता यह हैं — [श्री अध्यक्ष]

''पीड़ पर्वत हो गई है, ये बर्फ पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। आग आखिर आग है। किसी ओर तो सुलगनी चाहिए।"

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे आपने मुझे नेम किया था और अभी आपने विपक्ष के साथियों को सस्पैंड किया। मेरा कहना यह है कि हम लोकसभा की भी कार्यवाही देखते हैं। वहां भी वैल में मैम्बर्ज चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सारा सारा सत्र सदन नहीं चला लेकिन कभी किसी को नेम या सस्पेंड नहीं किया जाता। यह ड्राकोनियन क्लाज है हम चाहते हैं कि इस क्लाज को एक्ट में से निकालना चाहिए। सारा सारा दिन हाउस नहीं वलता. हाउस साइने-डाइ एडजर्न हो जाता है किसी मैम्बर को नेम या सर्सेंड करना अच्छा नहीं लगता। आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए मेरा अनुरोध है कि उनकी सस्पेंशन वापस ली जाए। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमने मुद्दे दिए होते हैं, हमें उनको रखने के लिए कुछ समय दिया करें ताकि बाकी की कार्यवाही करने की जरूरत ही न पड़े। हमारा माइक भी ऑन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारा माइक बन्द कर दिया जाता है और हमें जोर जोर से बोलना पड़ता है। (विघ्न) मुझे वापस बुलाया गया इसके लिए मैं सारे हाउस के साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय जी का भी इस बात के लिए घन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप फिर से दरियादिली दिखाकर विपक्ष के साथियों को वापस बुलवाएं। यह एक हैल्दी ट्रैडीशन होगी।(विघ्न) मैं लीडर आफ दि हाउस से अनुरोध करना याहंगा कि वे विपक्ष के साथियों को वापिस बुलाकर अपनी दरियादिली विखाएं।

ध्यानाकर्षण प्रश्ताव-

श्री औम प्रकाश चौटाला, प्रतिपक्ष के नेता तथा दो अन्य एम.एल.एज. के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion from Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA regarding corruption charges against Shri Om Prakash Chautala, Leader of the Opposition and two other MLAs. I admit it. Dr. Raghuvir Singh Kadian may read his notice and I allow all the Members to speak on the issue of corruption.

Dr. Raghubir Singh Kadian: Speaker Sir I want to draw the attention of this August House towards an issue of great public importance that probity in public life is of paramount importance today. It has been repeatedly emphasized in the domain of Parliament, Legislative Assemblies and public at large that those charge sheeted by the court should not hold any public office until absolved

(2)55

by the court. Shri Om Prakash Chautala, Leader of Opposition and Shri Ajay Singh Chautala, MLA have recently been charge sheeted by Central Bureau of Investigation in what is popularly known as 'JBT Recruitment Scam' and charges have been framed by CBI Court. Shri Om Prakash Chautala, Leader of Opposition and Shri Abhay Chautala, MLA have also been charge sheeted under the Prevention of Corruption Act and other criminal offences by a special court designated for trying CBI cases and charges have been framed by Special Court, Karkardooma.

In view of highest tradition of Parliamentary democracy, charge sheet is indication of *prima* facie proof of guilt until exonerated by an appropriate court of law. Shri Om Prakash Chautala, Shri Ajay Chautala and Shri Abhay Chautala should resign as Members of Legislative Assembly of Haryana to uphold these traditions. Shri Om Prakash Chautala has also no moral right to continue as Leader of Opposition in such circumstances.

It is a matter of great public importance. Therefore, he requests the Government to make a statement in this regard on floor of the House.

Mr. Speaker: Will the House agree that since it is a discussion on Calling Attention Motion pertaining to corruption, so let's have a discussion on a corruption in public life?

Shri Randeep Singh Surjewala: Correct Sir.

Mr. Speaker: So, apart from Calling Attention Motion, the procedure which we will be following, we would also like to have discussion on issue of corruption in public life.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, इसको थोड़ा चेंज कर लिया जाये कि आज जो जन लोकपाल बिल की बात पूरे देश में उठ रही है उस पर चर्चा करा ली जाये।

Mr. Speaker: We will consider your suggestion. I have promised you, I will consider your suggestion. This is a Calling Attention Motion and it is going on. Mr. Vij, it will be considered. Now, Hon'ble Parliamentary Affairs Minister will give the reply.

वक्तव्य

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

लोक निर्माण (भवन एवं सङ्कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नोटिस में उठाए गए मुद्दे से सम्बन्धित तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है:--

(i) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शंजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य की 2003 की रिट याचिका (आपराधिक) 93 पर दिनांक 25-11-2003 को जारी अपने आदेश में केन्द्रीय जांच ब्यूरों को वर्ष 1999-2000 में हरियाणा में जूनियर बेसिक ट्रैनिंग (जे.बी.टी.) शिक्षकों की नियुक्तियों से सम्बन्धित तथाकथित अनियमितताओं की जांध करने के निर्देश दिए थे। आरम्भिक जांच पूर्ण होने के उपरान्त, श्री ओम प्रकाश चौटाला, तत्कालीन मुख्यमंत्री और श्री अजय

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

सिंह चौटाला सिंहत 60 से अधिक लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) और धारा 120 बी आई.पी.सी. के तहत दिनांक 24-5-2005 को एक नियमित केस (एफ.आई.आर.) संख्या आर.सी.-3(ए)/2004/ए.सी.यू.-IX दर्ज किया गया।

एफ.आई.आर. में यह आरोप था कि 3026 जे.बी.टी. शिक्षकों का चयन गलत सूचियों के आधार पर धांधली से किया गया है। इसके पश्चात्, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई और विशेष जज (पी.सी. अधिनियम) (सी.बी.आई.- ॥) रोहिणी, दिल्ली की अदालत में एक आरोप-पत्र दायर किया गया।

उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, भाननीय न्यायालय ने विश्तृत आरोप निर्धारित करने के आदेश दिए और 23 जुलाई 2011 को श्री ओम प्रकाश चौटाला एवं श्री अजय सिंह चौटाला सहित अन्यों के विश्रद्ध आरोप निर्धारित किए गए। अभियोग साक्ष्य के लिए मामला निर्धारित किया गया।

(ii) राज्य सरकार को श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला और अन्यों द्वारा हिराणा के राज्यपाल को प्रेषित किया गया आरोप पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें श्री ओम प्रकाश चौटाला, तत्कालीन मुख्यमंत्री के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप अन्य बातों के साथ-साथ श्री ओम प्रकाश चौटाला तथा उनके परिवार द्वारा संचित परिसम्पतियों से सम्बन्धित हैं। राज्य सरकार को, अलग से, सी.बी.आई. से "श्री ओ.पी. धौटाला, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा के विरुद्ध आरोप पत्र ज्ञापन" नामक एक दस्तावेज प्राप्त हुआ है। हरियाणा सरकार ने न्याय एवं निष्पक्षता के लिए कथित ज्ञापन में लगाए गए आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवाने का निर्णय लिया। तदनुसार, हरियाणा सरकार ने अपने पत्र संख्या 20/8/2005/3एच.जी.-1 दिनांक 13-12-2005 के माध्यम से इस मामले की जांच करवाने के लिए सी.बी.आई. प्राधिकारियों को आवश्यक दिशानिदेश जारी करने का आग्रह करते हुए सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, जन शिकायते एवं पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली को लिखा।

सी.बी.आई. द्वारा मामले की जांच की गई और एक एफ.आई.आर. संख्या आर.सी. 02 (ए)/06/ए.सी.यू./III दिनांक 3-4-2006 दर्ज की गई और जांच के उपरान्त सी.बी.आई. ने विशेष जज, सी.बी.आई. कडकडडूमा, दिल्ली की अदालत में भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित धारा 13(2) के साथ पठित धारा 109 आई.पी.सी. के तहत 26 मार्च, 2010 को एक आरोप-पत्र दायर किया।

इसी प्रकार, श्री अजय सिंह चौटाला के खिलाफ माननीय अदालत में आरोप तय करने का मामला विचाराधीन है।

Mr. Speaker: Hon'ble Parliamentary Affairs Minister do you have any instance in Indian Political History where people who were charged under 13 (1) (d) or (e) for that matter do have leave their posts or have to leave the House and resigned. Do you have some instances like this in the Political History of India?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात बिल्कुल दुफरत है। इससे पहले कि मैं अपनी स्टेटमैंट आगे पढ़ूं माननीय सदन के नेता ने यह बात कही भी है। हरियाणा में एक कहायत है कि "नी सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।" जो हमारे साथी हाउस से बहिर्गमन कर गये जिन्होंने गैर अनुशासनिक व्यवहार करके सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाला, गाली गलौच की माषा का भी इस्तेमाल किया, दूसरे सम्मानित साथियों के प्रति अपमानित भाषा का भी प्रथोग किया उसके पीछे केवल एक ही बात थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट की है। वह यह थी कि उनके खिलाफ एक नहीं दो-दो केसिज़ हैं जिनमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उनको आरोपित किया गया है और संसदीय प्रणाली की गरिमा, परम्परा दोनों ही ये रही हैं जिसके अनेकों उदाहरण हमारे इस सदन के अन्दर हैं और इस सदन के बाहर संसद और दूसरी विधायिकाओं में भी मौजूद हैं। अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं वे एक कागज लहरा रहे थे हमारे एक मंत्री और एक संसदीय सचिव पर केवल एफ.आई.आर. ही दर्ज हुई थी दोनों ने in the highest tradition of democracy अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया जो मुख्यमंत्री जी ने फौरन स्वीकार भी कर लिया। अभी तक इन दोनों साथियों के प्रति कोई भी आरोप-पत्र दायर नहीं हुआ है। कोर्ट ने भी अभी तक कोई काम्नीजैंस नहीं लिया और कोई वार्जिज मी फ्रेम नहीं हए हैं। इसके अलावा भारत सरकार में भी इसके अनेकों उदाहरण हैं। जार्ज फर्नांडिश जो एन.डी.ए. सरकार में डिफेंस मिनिस्टर थे तहलका के अन्दर उनका नाम आया और उनका रोल उजागर हुआ तो उनको इस्तीफा देना पड़ा ताकि भामले की निष्पक्ष जांच हो सके। इसी प्रकार से श्री नटवर सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर थे जब एक विषय में उनका नाम आया उनके खिलाफ कोई आरोप-पत्र दायर नहीं हुआ और न ही कोई एफ.आई.आर. दर्ज हुई लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार से श्री लालू प्रसाद यादव जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जब चौधरी देशी लाल जिंदा थे उस समय वे श्री चौटाला जी के मित्र भी रहे हैं। लालू यादव जी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की इन्हीं घाराओं के अन्दर 13 (1) (d) के अन्दर उनके खिलाफ जिस दिन अदालत ने वार्जिज फ्रेम कर दिये उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दिया और वापस अपने घर चले गये जिसके बाद उनकी पार्टी ने अपना नया नेता चुन लिया। इसी प्रकार से श्री शशि थरूर पर केवल एक इल्ज़ाम लगाया गया जो शायद धेबुनियाद था वे वर्तमान यू.पी.ए. की सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फार एक्सटरनल अफेयर्ज थे परन्तु उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र बड़ा है और व्यक्ति छोटा है इस भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना इस्लीफा सींप दिया, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनके अनुरोध पर स्वीकार भी कर लिया। इसी प्रकार से यू.पी.ए. की धर्तमान सरकार में केबिनेट मंत्री श्री ए. राजा, जिन पर केवल एफ आई आर. दर्ज हुई लेकिन आज तक वार्ज शीट फाईल नहीं हुई फिर भी श्री ए. राजा को प्रधानमंत्री जी ने फॉरेन अपनी सरकार से बर्खास्त कर दिया। इसी प्रकार से एक अन्य मंत्री धे श्री दयानिधि मारण, केन्द्रीय टैक्सटाईल मिनिस्टर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई तो प्रधानमंत्री जी ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। सर, यह सदन और हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली तो इस बात की भी गवाह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में जब एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पण्डित कमला त्रिपाठी जी ने और माधव राव सिंधिया जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। यहां पर तो श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जो विपक्ष के नेता हैं, जो केबिनेट मिनिस्टर का दर्ज़ा रखते हैं, जो सरकार की सारी सुख-सुविधायें लेते हैं जो सरकारी ड्राईवर, स्टाफ, कोठी सभी का इस्तेमाल करते हैं और एक संवैधानिक पद के ऊपर आसीन हैं और इसके साथ-साथ उनके दोनों पुत्र तीनों के तीनों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अन्दर एक नहीं दो-यें केसिज़ के अंदर आरोपित हैं और यह

शकनत्य

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

आरोपित ही नहीं केवल प्राथमिकी या एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई बल्कि तफतीश करके वार्जशीट भी फाईल हुई है और वार्जशीट फाईल करने के बाद अदालत ने इसका संज्ञान लिया Court took notice of it and the Court has framed charges. Sir yourself have been a lawyer for a long time and you have been a very prestigious Counsel. This House knows it. The Chief Minister has been an Attorney himself. Here are many cabinet colleagues who are Attorneys. Everybody knows that once Court frames charges, it is a prima facie proof of your mis-conduct until exonerated by the Court. क्योंकि वे इन सब पर पर्दा डालना चाहते थे, वे इन सारी बातों को छुपाना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरों ने आपकों जो रिपोर्ट भेजी है और जो रिपोर्ट आपने हमारी सरकार को कार्रवाई करने के लिए भेजी है जिसका रैलिवैंट पोर्शन मैं आपके कार्लिंग अटेन्शन भोशन के जवाब में पढ़ने वाला हूँ उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। भ्रष्टाचार की गंगा कहाँ बहती है और भ्रष्टाचार किसके आस्तीन में छिपा है, इससे ये दोनों बातें सम्पूर्णत: स्पष्ट हो जाती हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, प्रजातांत्रिक परम्पराएं, मर्यादाएं, ट्रैडिसन्स, कन्दैन्शन्स सब ये रही हैं कि जब इस प्रकार की कोई बात आई तो अपनी मर्जी से ऐसे व्यक्ति को अपनी सदस्यता से भी और विपक्ष के नैता पद से भी त्याग पत्र देकर चले जाना चाहिए था। मैं डॉ॰ रघुवीर सिंह कादियान जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की ओर इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है। वे इस पर चर्चा नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने इस प्रकार का विध्न का माहौल पैदा किया। व्यवस्था में पूरी तरह से व्यवधान डाला गया ताकि इस पर पूरी तरह से चर्चा नं हो सके तथा आप जैसे उदारहृदय अध्यक्ष को भी मजबूर हो कर बार-बार हाउस एडजर्न करना पड़ा तथा एक कठोर निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से मेरी स्टेटमेंट का पैरा 3 पढ़ कर बताना चाहूँगा।

में माननीय सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि प्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1988 के तहत मामला क्रमांक RC.2(A)/06/ACU-VII/New Delhi U/S 109 IPC r/w 13(2) r/w 13(1)(e) की पुलिस अधीक्षक, सीबीआई की रिपोर्ट की प्रेषित प्रति माननीय अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में सी.बी.आई. ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की है कि ट्रस्टों/सोसाइटीज़ के प्रयोजन के लिए शर्तों के उल्लंधन के महेनजर हरियाणा सरकार ट्रस्टों/सोसाइटीज़ के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, जो नियमों के उल्लंधन के लिए चौटाला परिवार के नियंत्रण में आते हैं। इस सम्बन्ध में प्रासंगिक हिस्से की प्रतिलिपि इसके साथ नीचे दी गई है जो मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूँ।

(ख) जांच में पाया गया कि बीO देवीलाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं चौधरी देवीलाल मेमोरियल सोसाइटी चौटाला परिवार के ट्रस्ट हैं, जिनका कार्य संचालन केवल चौटाला परिवार और विशेषतः श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा किया जाता है। बैंक खाता केवल अभय सिंह चौटाला द्वारा संधालित है। विद्यापीठ का प्रबंधन चेयरमैन के रूप में श्री अजय सिंह चौटाला द्वारा किया जा रहा है। यह मी पाया गया कि अधिकतर दान राशि का रिकॉर्ड गलत है क्योंकि अधिकतर ऐसे सूचीबद्ध चानदालाओं ने कथित ट्रस्ट और सोसाइटी के नाम पर दान देने की बात से मना किया है। यद्यपि, Disproportionate Assets गणना के उद्देश्य से कथित दान को आय के रूप में माना गया है। इस प्रकार, यह खुलासा हुआ है कि ट्रस्ट/सोसाइटी की गतिविधियों की आड में निजी उपयोग के

(2)59

लिए प्रावधानों का दुरूपयोग किया जा रहा है। इसलिए, सरकार को पहल करनी आहिए कि इन ट्रस्टों/सोसाइटीज के उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार इनका नियंत्रण अपने अधीन करे।

(ग) यह भी खुलासा हुआ है कि नई दिल्ली के वजीरपुर तथा गुड़गांव के उद्योग विहार में प्रिंटिंग प्रैस की स्थापना के लिए जनसेवा ट्रस्ट को कीमती भूमि आवंटित की गई। बहरहाल, भूमि के आवंटन के उद्देश्यों का दुरूपयोग करते हुए बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गयी और अनुमानत: पांच लाख रूपये प्रतिमास की दर से मारूति शोरूम तथा डी.डी. मोटर्स, वजीरपुर नामक वर्कशॉप और 21 लाख रूपये प्रतिमास की दर से मैसर्ज इंडिया बुल्स, गुड़गांव को सम्पत्तियां किराए पर दी गयीं। दोनों ही स्थलों पर ऐसी कोई प्रिंटिंग प्रैस स्थित नहीं है और ट्रस्ट द्वारा जॉब वर्क आधार पर जन संदेश नामक एक समाचार पत्र निकाला जा रहा है। इस के मद्देनजर, इस ट्रस्ट के वास्तविक उद्देश्य का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस ट्रस्ट को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कदम उठाने चाहिएं तािक वह उद्देश्य पूरा हो सके, जिसके लिए ट्रस्ट का गटन किया गया है।

सर, पैरा 11 जो कंक्लुजन रिकमंडेशन है वह इस प्रकार है--

"ट्रस्ट/सोसायटी के विरूद्ध कार्यवाही: ट्रस्ट/सोसायटी के उद्देश्य की शर्तों के उल्लंघन के मद्देनजर यह सिफारिश की जाती है कि हरियाणा सरकार नियमों का उल्लंघन करने के लिए चौधरी देवी मैमोरियल ट्रस्ट, चौधरी देवीलाल मैमोरियल सोसायटी और जन सेवा ट्रस्ट के विरूद्ध कार्यवाही करे।

सरकार मामले की जांच कर रही है और तदनुसार उचित कार्यवाही करेगी।

सर, इस इस बात के लिए कटिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता की तरफ से मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो सी.बी.आई. की रिकमंडेशन आपको आयी हैं और जो आपने सरकार को भेजी हैं, सरकार उन रिकमंडेशंज पर कड़ी और उचित कार्यवाही एक सीमित समय के अंदर करने के लिए बाध्य है।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, let us have a structured debate on the corruption apart from the Calling Attention Motion.

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, as the Hon'ble Chief Minister has said in the beginning that we are conscious of the fact. We are willing and there is no difficulty. This Government has nothing to hide. People who have something to hide, have already run away.

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, Keeping in view the serious nature of charges as explained by the Hon'ble Minister in the statement of the Government, जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि जो सी.बी.आई. की डायरैक्शंज आयी हैं तो इन तथ्यों की सच्चाई और तह तक जाने के लिए इनके आधार पर इस बारे में कदम उठाए जाने चाहिए। क्या कोई हाउस की कमेटी का गठन इस बारे में किया जाएगा तांकि जो इस बारे में सारे फैक्ट्स हैं खनकी सच्चाई और उनकी गहराई तक पहुंचा जाए ? उस हाउस कमेटी की जो रिकमंडेशंज होंगी उनके आधार पर जो गवर्नमेंट स्टैप्स लेने जा रही है उसमें उसको हैल्प मिलेगी।

Mr. Speaker: It is for the House to decide.

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, with your kind permission and as suggested by the Hon'ble Member, I on behalf of the Government says that the Government has absolutely no difficulty in it. In fact on this report *i.e.* available with you in your office and a copy of which is also available with us, a House Committee may be constituted to see and consider the operative part of these recommendations. Whatever is to be decided, I can assure you that the Committee can give its report in 30 days or 45 days or 50 days which is earliest possible Sir, as you direct. The Committee may be constituted by you. We leave it for your best wisdom. We make a promise on behalf of the Leader of the House that the report of the Committee will be implemented in letter and sprit by the Government.

डॉ॰ रघुवीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, आपने जो प्रोसीक्यूशन की सैंक्शन दी थी, जो वार्ज फ्रेम हुए हैं, जो सी.बी.आई. की रिपोर्ट है तथा आपने जो रिकमंडेशन गवर्नमेंट को रेफर की है उनकी कॉपी ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस टेबल पर रखने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी?

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, the report as we have received from the office of the Speaker of the Vidhan Sabha as also sanction for prosecution that the Hon'ble Speaker had given these are the two documents, which was the 3rd documents, Dr. Sahib may tell.

डॉo रघुवीर सिंह कादियान: सी.बी.आई. की जो रिपोर्ट आई है और जो गवर्गमैंट को रैफर की गई है वह पूरी रिपोर्ट है।

Shri Randeep Singh Surjewala: Both these documents we will place on the Table of the House. (interruption)

डॉ॰ रघुवीर सिंह कादियान: इसमें पहला है प्रोसीक्यूशन सेंक्शन, दूसरा है चार्जिज फ्रेम्ड और तीसरा है सी.बी.आई. की रिपोर्ट की कापी जो स्पीकर साहब ने सरकार को रैफर की है उसकी पूरी कापी।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, two documents are readily available with us *i.e.* the sanction for prosecution that will be available with the Secretariat of the Speaker that was given. I am sure it can be placed on the Table of the House. The report of CBI which I have referred to and which I have read out as part of my reply is also available with the Government, we will place a copy of the same on the table of the House. Dr. Sahib, as qua the order by which in JBT recruitments scam as also in the disproportionate assets case, are you saying both?

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Yes, both.

Shri Randeep Singh Surjewala: Both the charges where they have been framed. I will take certified copies of them and will place them. However, if Dr. Sahib has copies, we do not mind those can be placed on the record also.

धक्तव्य (2)61

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Yes, I have.

Mr. Speaker: No, no he wants that every Member should have it. That will also include the Members on the left side. Alright, Shri Krishan Pal Gurjjar, यह स्टक्चर डिबेट है आपने इसी इस्य पर ही बोलना है (interruption)

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Sir, I have copies of two reports *i.e.* Special Judge, PC Act, CBI-II, Rohini, Delhi copies of which I am handling over to you Sir.

(At this stage the copies of the above mentioned documents were given to the Hon'ble Speaker)

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir these two documents, one is the sanction for prosecution which we will take a copy from your office and will place it on the Table and second the CBI's Report as we have received from the Speaker' office, we will make a copy and I will place it the same on the Table of the House by tomorrow.

Mr. Speaker: As per my orders as Speaker, I would like that the documents desired to be placed on the Table of the House be supplied to each one of the Member. They may be tabled whenever they are ready and may be supplied to all the Members.

श्री कृष्णपाल गुर्जर: स्पीकर सर, आपने मुझे भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका घन्यवाद! आज भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खाये जा रहा है। पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर जन आन्दोलन हो रहे हैं और पूरे देश का अवान भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो रहा है। कोई न कोई कारण तो है कि बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक आज इस भ्रष्टाचार को समाप्त होते हुए देखना चाहता है। यह भ्रष्टाचार कोई आज से नहीं जब से यह देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक है

Mr. Speaker: You mean to say कि सब ने किया है ? क्या आज़ादी के बाद जो भी सरकारें रही. सब ने किया है ?

श्री कृष्णपाल गुर्जर: स्पीकर सर, लेकिन आज आम आदमी अन्ना हजारे के पीछे है यह अन्ना हजारे की अपनी आवाज नहीं है आज इस देश के हुर व्यक्ति की आवाज बन गई है क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक को प्राप्त करने में लोगों को भ्रष्टाचार से रोज मुक्ताबला करना पड़ता है और हुर रोज उन्हें भ्रष्टाचार सहना पड़ता है। यह आंदोलन उसी की देन है। (विध्न) सदन के नेता को पता है कि जब हम विपक्ष में साथ-साथ बैठते थे, चाहे हम साझीदार थे या नहीं थे तब भी में भ्रष्टाचार पर बोलता था। ऐसा नहीं है कि मैं तब नहीं बोलता था। आज हर वर्ग भ्रष्टाचार से परेशान है। (विध्न)

श्री नरेश कुमार वादली : अध्यक्ष महोदय, ये हमारे बड़े माई हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की शुरूआत कब हुई ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: नरेश जी, जब आपको कुछ बोलना हो तो पहले चेयर की परमीशन लिया करें। (विघन) मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुङ्डा): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी प्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं तो आप अपने सुझाव दें! यह मामला सबका मामला है। भ्रष्टाचार से सभी दु:खी हैं। हम भी दु:खी हैं और आम आदमी भी भ्रष्टाचार से दु:खी है। इसका उन्मूलन कैसे हो इस बारे भें यहां सुझाव आने चाहिएं। हरियाणा भ्रष्टाचार-मुक्त प्रदेश बने इसके लिए आप अपने सुझाव दो! (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार उन्मूलन के सुझाव भी दूंगा और कुछ वीजों की तरफ सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा।(विघ्न) आज भ्रष्टाचार से आम आदमी परेशान है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि उसकी चर्चा करूंगा तो फिर हंगामा होगा। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि इस देश के मंत्रियों को जेल में जाना पड़ रहा है। आज इन जिस आजाद भारत में रह रहे हैं इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। अंग्रेज आए थे और हमें तूटकर चले गए थे। कोई बात नहीं थे तो विदेशी थे और उनका इस देश से और इस देश की मिट्टी से कोई रिश्ता नहीं था लेकिन आज अपनों ने इस देश को जिस तरह से लूटा है उसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में शुरू से लेकर अब तक की बात कलाता तो में समझता हूं कि यहां शोर शराबा होगा। भ्रष्टाचार के बारे में केवल हम ही नहीं बोल रहे हैं बल्कि हर पौलिटिकल पार्टी के लोग, कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि ऐसा लोकपाल बिल आना चाहिए जो निष्पक्ष भी हो और सशक्स भी हो और जिसमें किसी भ्रष्टाचारी के बचने की कोई गुंजाईश न हो। इस देश की अवाम ऐसा ही बिल चाहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि इस बारे में कुछ सुझाव आने चाहिए तो मैं कहना चाहूंगा कि इसकी शुक्तआत हरियाणा से होनी चाहिए। ऐसा कानून हरियाणा में बने जिसमें किसी भ्रष्टाचारी के बचने की गुंजाईश न हो।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़ा: आप इस कालिंग अटेंशन को सपोर्ट करें तो हो गई शुरूआत!

श्री अध्यक्ष: आप कालिंग अटेंशन मोशन को सपोर्ट करते हैं या नहीं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: बिल्कुल सर। मैं इस कालिंग अटेंशन को सपोर्ट करता हूं। हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। आज भ्रष्टाचार इतना है कि नीचे से लेकर ऊपर तक तब तक फाइल नहीं निकलती जब तक कि कुछ भेंट न चढ़ाई जाए। हरियाणा में एक ऐसा कानून बने कि समय निर्धारित किया जाये कि इतने दिन में फाईल ऊपर नहीं जायेगी या रिजैक्ट नहीं होगी तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। (विष्न) अब सुझाव मी नहीं देने दोगे क्या ?

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब ने जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया है उस पर सुझाव आया है कि सदन की सर्वदलीय कमेटी बनाई जाये। गुर्जर साहब, आप भी उसके बनाने के पक्ष में हैं या नहीं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, कमेटी बनाई जाये इसमें दिक्कत की क्या बात है ?

18.00 बजे डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, इनको पुरानी बातें याद हैं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मुझे पुरानी बातें भी याद हैं और नई भी याद हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कमेटी की जांच के दायरे में दे तमाम ट्रस्ट और सोसायटीज आनी चाहिए जिन्होंने करोड़ों रुपये की सरकारी

वक्तव्य (2)63

सम्पत्ति को एक-एक रुपये में ले लिया। मैं सारे उदाहरण नहीं दूंगा लेकिन मुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उस पर अमल भी करेंगे। वर्ष 2001 में भिवानी में महाराणा चैरीटेबल ट्रस्ट को 237 कनाल 3 मरला जमीन एक रुपये में दे दी गई। चाहे किसी ने भी दी हो भैं किसी का नाम नहीं लेता। सागवान साहब अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझे टोक देना। अध्यक्ष महोदय, यह जमीन चैरीटेबल ट्रस्ट के लिए दी गई थी लेकिन आज वहां बीट्स इन्टरनैशनल स्कूल खुला हुआ है।

श्री अध्यक्ष: गुर्जर साहब, आप यह बतायें कि यह स्कूल किसने खोला और उस समय किसकी सरकार थी ? आप उस सरकार का नाम बताईये।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैंने बलाया तो है कि वर्ष 2001 में यह जमीन दी गई। उस सरकार ने गलत काम किया तो मौजूदा सरकार को सही करना चाहिए था। इस ट्रस्ट ने भाम्ज का वायलेशन किया है इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ये उस टाईम पर मंत्री थे।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री नहीं था, हुड्डा साहब यह बात जानते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, ये उस समय की सरकार के सहयोगी पार्टी थे, मंत्री नहीं थे। इनको उस समय सदन में बोलने नहीं दिया जाता था। मैं अपने समय में से इनको समय दिलवाता था।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, यह मुख्यमंत्री जी की दरियादिली है और इसकें लिए मैं इनका आज भी धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष: गुर्जर साहब, आप क्लीयर करके सदन को पूरी जानकारी दें। ऐसे बात न करें। पूरी बात स्पष्ट कीजिएगा कि किसकी सरकार थी और किसने वह जमीन दी, नाम लीजिएगा। मैं उस समय सदन का मैंबर नहीं था। मैं पहली बार सदन में चुनकर आया हूं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, आप बहुत सयाने और तजुर्बेकार हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आपका पारिवारिक राजनैतिक तजुर्बा बहुत लम्बा है इसलिए नाम लेने की क्या बात है।

श्री अध्यक्ष : मित्र मैं पहली बार चुनकर आया हूं। आप पूरी बात स्पष्ट करें।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है!

श्री आनंद सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, सारे सदन को नाम भी पता होना चाहिए।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब को तो सारा पता है। इन्होंने तो स्वयं भूगता है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकें माध्यम से माननीय साधी को एक सूचना देना चाहता हूं कि जिस लैंड के बारे में इन्होंने बताया कि एक रूपये में दी गई और उसका प्रोपर तीर पर यूटीलाईजेशन नहीं हुआ। उस ट्रस्ट को 21.5.2007 को हमारे एफ.सी. ने लैंड कैंसिल करने के लिए शो कॉज नोटिस दे दिया है लेकिन

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। इस समय मामला कोर्ट के विचाराधीन है। हमने उनको कैंसिलेशन नोटिस दिया हुआ है।

Mr. Speaker: But we can not loose sight of the fact that it was allotted by a Government at a particular time to favour some body. Will you please tell me whose Government it was and who was in that Government.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह जमीन 18 दिसम्बर, 2001 को एक रूपये में 29 एकड़ 5 कनाल और 2 मरले जमीन दी गई थी। उस समय इंग्डियन नैशनल लोकदल और मारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसके श्री ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे। अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक उदाहरण नहीं है ऐसे बहुत से मामले उस समय के हैं।

श्री अध्यक्ष: गुर्जर साहब, क्या आपने उस समय यह मैटर उठाया था कि एक रूपये भें जमीन क्यों दे दी गई ?

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय इस तरह का एक नहीं अनेकों मुद्दे उठाये थे। इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ आर्डर कर दिए। सुधीम कोर्ट का भी फैसला है लेकिन हाई कोर्ट और सरकार के रद्द करने के नोटिस के बायजूद भी मुझे हैरानी तब होती है जब इस स्कूल के कस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन दे दी जाती है। मेरे पास इसी स्कूल की यह फोटो है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, श्री दिग्विजय सिंह जी भी हैं और वह शख्स भी है जिसको स्कृत बनाने के लिए यह ज़मीन दी गई है।

Cooperation Minister (Shri Satpal Sangwan): Mr. Gurjar that school is not which you are mentioning. Hon'ble Chief Minister has not gone there. (Interruption)

Mr. Speaker: Mr. Gurjar, you are confusing. This is land in the city which has been allotted at this rate and there is land in the village which was otherwise allotted I do not know but the school is not which you are talking about. I was present myself there. The land which you are talking about is located in the Bhiwani Town.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जिस फोटो की ये बात कर रहे हैं इस बारे में इन्हें पूरा ज्ञान नहीं है क्योंकि ये जो फोटो दिखा रहे हैं ये उस ज़मीन की नहीं है जिसकी ये धर्चा कर रहे हैं। यह दूसरी ज़मीन है। ये फेक्ट्स तैरीफाई करवा सकते हैं। वह अलग ज़मीन है और यह अलग ज़मीन है। यह कोई अलॉटिड लैंड नहीं है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में में यही कहना चाहता हूं कि फोटो देखकर तो मैं नहीं पहचान सकता कि यह कहां की ज़मीन है लेकिन जिसकी ज़मीन का यह मामला है वह इस फोटो में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं इसलिए मैंने सोचा कि शायद यह यही ज़मीन होगी। वह आज पी.सी.जी. का मैम्बर है। वह ज़मीन दो सौ करोड़ रूपये की थी। वह किसके लिए दी? इस मामले में आपको कानून सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए।

वक्तव्य (2)65

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़ा: स्पीकर सर, जिनका यह मामला था वे आज हमारे साथ सदस्य भी हैं तो हम क्या करें? जहां तक कानून की बात है कानून अपना काम करता है।

Mr. Speaker: This may be noted that this is not the same land. You don't rely upon this photograph. Rely on the documents.

श्री सतपाल सांगवान: स्पीकर सर, जिस आदमी की कृष्ण पाल गुर्जर जी बात कर रहे हैं वह किसी के साथ भी खड़ा हो जाता है। वह पहले श्री चौटाला जी के साथ भी खड़ा हुआ करता था और पहले वह हमारे साथ भी खड़ा हुआ करता था। अब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोई व्यक्ति खड़ा है तो मुख्यमंत्री जी को क्या पता कि उसका स्टैंडर्ड क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी का उससे कोई लेना-येना नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़ा: अध्यक्ष जी, मैं यह कह चुका हूँ कि जो कृष्ण पाल गुर्जर जी फोटो दिखा रहे हैं वह ठीक है लेकिन यह उस जगह की फोटो नहीं है जिस ज़मीन की ये वर्चा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह मैंने रिकार्ड में क्रेक्ट करवा दिया है it is not the same land which is being mentioned by Mr. Gurjar. This is not the same land.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मान लेता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस फोटो का यह असर हुआ है कि सरकार द्वारा जमीन कैंसिल कर दी गई और हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिये लेकिन अधिकारी फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी इस फोटो में उनके साथ खड़े हैं यानि अधिकारियों को उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के डर के कारण वे वह कार्रवाई नहीं करना थाहते। दूसरा इस बात को भी छोड़िए।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है।

Mr. Speaker: Yes, Hon'ble Parliamentary Affairs Minister.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, जो हाई कोर्ट के आर्डर की बात कर रहे हैं वह म्युटेशन करेक्शन के लिए इंजंक्शन का केस था, जो हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल को रिजैक्ट किया है। मेरे पास उस जज़मेंट की कॉपी है अगर आप चाहें तो just to set the record straight उसके रैलेवेंट पोर्शन की पांच लाईस मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं:-

"Hence they are having no right to seek injunction against true owner who are proceeding as per law. As the proceedings are pending before the Revenue Authorities and before the Government Authority for cancellation review of earlier mutation and for cancellation of sanction earlier granted to create gift in favour of the respondent...."

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी हो वह बचना नहीं चाहिए। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़ा: अध्यक्ष महोदय, हम माननीय साथी की इस बात से सहमत हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी बचना नहीं चाहिए। इसमें माननीय साथी भी मदद करें और भ्रष्टाचारियों को पकड़वाएं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, किसी की आत्मा कहती है कि मैं इस्तीका दे दूं और किसी की कहती है कि नहीं दूं। इस बारे में किसी को कम्पेल नहीं किया जा सकता! मैं यह कह रहा था कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए स्कूल के लिए 30 एकड़ के लगभग जमीन दी गई थी उसका फीस स्ट्रक्चर भी देखिए कि कितना था ? 200 करोड़ उपये की 30 एकड़ जमीन 1 रुपये में ले ली और बच्चों से चैरिटेबल के नाम पर दो हजार, अढ़ाई हजार या तीन हजार रूपये फीस वसूली जा रही है। क्या इसीलिए ट्रस्टों को जमीन दी गई है ? इसलिए मेरा यह कहना है कि जो ट्रस्ट नॉर्म को पूरा नहीं कर रहे चाहे वह किसी का भी ट्रस्ट है और जिन्होंने हरियाणा के लोगों की पंचायतों की जमीनों को ट्रस्ट के नाम पर पैसे का, आमदनी का साधन बना लिया है और उनमें कमर्शियल ऐक्टीविटीज कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो।

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से कहना चाहता हूँ कि श्रीमती मेनका गाँधी ने जो सुधराणा गाँव में जमीन ली है जो कि गिफ्ट की गई है उसके बारे में भी बतायें। (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: मैं वह भी बताऊंगा पहले यह तो बता दूँ। मंत्री जी ने कोई सवाल किया है मैं उसका जवाब दे दूँ।

श्री अनिल कुमार धंती ही: अध्यक्ष महोदय, सन 2001 में किसकी सरकार थी माननीय साथी श्री गुर्जर जी बतायें क्योंकि हम कुछ नये सदस्य चुन कर आये हैं। हमें उस बारे में पता नहीं है। वे यह बतायें कि उस समय किसकी सरकार थी तथा कौन मुख्य मंत्री थे और किसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: वह नाम तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मुझे इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। डॉ० रघ्बीर सिंह कांदियान जी कितनी बार उनका नाम ले चुके हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, गुर्जर साहब जिस आदमी का नाम नहीं लेना चाहते क्या उनके साथ इनका कोई दूसरा सम्बन्ध तो नहीं है ? (इंसी)

श्री अध्यक्ष : वांगी साहब, गुर्जर साहब ऐसे परिवार से हैं जहाँ पत्नियाँ अपने पतियों का नाम नहीं लेती। (हंसी)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, उस समय मैं तो मंत्री नहीं था, मैं तो खाट खड़ी करता था, लेकिन प्रो॰ सम्पत सिंह उस समय सरकार में मंत्री थे, ये नाम बता देंगे, इनसे अकेले में पुछ लेना।

श्री रघबीर सिंह तेवितया: अध्यक्ष महोदय, ये इसलिए भयभीत हैं क्योंकि जिस समय ये सरकार में शामिल थे उस समय इनकी कोठी के सामने बुलडोजर चला था इसलिए ये भयभीत हैं और नाभ नहीं लेना चाहते।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, अगर मैं भयभीत होता तो 5 साल इस सदन में कुछ नहीं बोलता। मैंने जो 5 साल इस हाउस में किया है उसके गवाह हुड़ा साहब हैं और सम्पत सिंह जी मी हैं! में उनसे तब भी नहीं डरा जब वे मुख्य मंत्री थे अब तो वे कुछ भी नहीं हैं। (शोर एवं चक्तव्य (2)67

व्यवधान) इन्होंने हमारा नाम ले लिया और सबने सुन लिया। (विष्ण) हम उस अरकार में शामिल नहीं थे। सरकार में जो मंत्री होते हैं वे सरकार में शामिल होते हैं। उस समय लोकदल की सरकार थी और उस लोकदल की सरकार में दो नम्बर में प्रोफेसर सम्पत सिंह थे। उस समय यह सरकार को पूरा डिफेंड करते थे। एक नम्बर था दो नम्बर पर प्रोफेसर सम्पत सिंह ही हुआ करते थे और जब उस समय हुड्डा साहब या कैप्टन साहब बोलते थे तो सम्पत सिंह ही सरकार को डिफेंड करते थे।

श्री नरेश कुमार बादली: स्पीकर सर, प्रोफेसर सम्पत सिंह जी ने तो उनको खूब सुधारने की कोशिश की थी लेकिन वह सुधरे नहीं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: कैप्टन साहब ने कहा कि 1996 में * * * * के ट्रस्ट के लिए वार एकड़ गुड़गांव में जमीन दी गयी।

श्री भूपेंद्र सिंह हुड़ा: अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन का सदस्य न हो उसका नाम सदन में नहीं लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है वह नाम कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ही उनका नाम लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस ट्रस्ट को जिस परपज के लिए जो चार एकड़ जमीन गिफ्ट की गयी थी आज भी वह ट्रस्ट वही काम कर रहा है। आज भी उस ट्रस्ट में सिर्फ पशुओं का ही होस्पीटल हैं। आप हाउस की एक कमेटी बना दें। वह कमेटी सारी बातों को जाकर देख ले। वहां पर पूरे जिले में आसपास में अगर कहीं पर एक्सीडेंट्स में पशु धायल होते हैं, गऊ घायल होती हैं तो उनकी गाड़ी आती है और उसमें ले जाकर उनका क्री में इलाज किया जाता है। वे इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं इसलिए मेरा कहना है कि आप उस ट्रस्ट का परपज समझो।

Dr. Raghuvir Singh Kadian: You are concerned with the purpose of the gift. किस परपज के लिए लूट हुई है, किसने की है।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन जिस ट्रस्ट के बारे में कैप्टन साहब ने कहा कि उस ट्रस्ट को एच.वी.वी. और बी.जे.पी. की सरकार के समय में जमीन दी गयी थी। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी वह ट्रस्ट वही काम कर रहा है जिस काम के लिए उसको जमीन दी गयी थी। वहां पर एक पैसा भी पशुओं का इलाज करने के लिए नहीं लिया जाता! वे पशुओं का फ्री इलाज करते हैं। आप एक कमेटी बना दो वह कमेटी उसकी जांच कर ले। अगर वह ट्रस्ट अपना काम नहीं कर रहा है तो हम असैम्बली में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इन ट्रस्टों की तुलना उस ट्रस्ट से नहीं करनी चाहिए। वौधरी बंसीलाल जी ने उस ट्रस्ट को यह जमीन दी थी और उनकी नीयत पर हरियाणा में कोई शक नहीं कर सकता। आज भी वह ट्रस्ट उसी तरह से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अभी 2011-12 में महाराणा प्रताप चैरीटेबल ट्रस्ट को जमीन दी गयी थी। सरकार का गिफ्ट कैंसिल करने के बाद, हाई कोर्ट के आर्डर के बाद इसी जमीन में इसी सरकार ने एक कालेज जो कमरियल है, उसको परमीशन दी है, यह हकीकत है।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल): अध्यक्ष महोदय, थी.एड कालेज खोलने के लिए जितनी भी परमीशन होती है वह हरियाणा सरकार नहीं देती है बल्कि वह परमीशन एम.सी.टी.ई. देती है।

^{*} चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: स्पीकर सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा के ऐजूकेशन विभाग से बी०एड० कालेज के लिए कोई परमीशन नहीं दी जाती क्या हरियाणा सरकार ने परमीशन दी है या नहीं ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़ा: अध्यक्ष महोदय, माननीय गुर्जर साहब जिस वारे में चर्चा कर रहे हैं बी.एड की इन्सटीच्यूट खोलने के लिए जयपुर से नेशनल काउंसिल फॉर टैक्नीकल ऐजूकेशन से सीधे परनीशन आती है। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी आरगेनाईज करती है। ऐसी परनीशन न दी जाए उसके लिए मैंने तत्कालीन एच.आर.डी. मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह को कितने ही पत्र लिखे हैं और उनके बाद यह परनीशन नहीं आ रही है। यह रिवाज पहले से चला हुआ था इसका विरोध मैंने काफी किया था।

Mr. Speaker: I have legislative business left with us. कृष्णपाल गुर्जर जी आपको बोलते हुए 35 मिनट हो सुके हैं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, अगर सी.बी.एस.ई. से भी कोई परिमशन लेनी पड़ती है तो पहले हिरयाणा स्कूल ऐजूकेशन बोर्ड से उसके लिए एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐजूकेशन विभाग ने इसके लिए एन.ओ.सी. दी थी या नहीं दी श्री ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, ये इंस्टीच्यूट्स नेशनल काउंसिल फॉर टैक्नीकल ऐजूकेशन से परिमशन लेकर आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में उस समय के एव आर डी. मिनिस्टर को और मौजूदा एव आर डी. मिनिस्टर को बिड़ी लिखी है कि हरियाणा प्रदेश में हमें नये थी.एक कालेज और नहीं चाहिए।

श्री कृष्णपाल गुर्जेर: अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि हरियाणा ऐजूकेशन विभाग का बी.एङ कालेजिज पर कोई अंकुश नहीं है। यह केवल ऐजूकेशन का मामला नहीं है ऐसे अनेक मामले हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे ट्रस्ट के खिलाफ जिसने नाम्स्र्य की वाईलेशन की है जिसने पूरी संस्था को कॉमर्शियल बना दिया है उसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाईं करेगी?

श्रीमती गीता भुक्कल भातनहेल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री गुर्जर जी को यह कहूंगी कि वे इस बारे में शिकायत लिखित रूप में हमें दे दें हम उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब कमेटी बनेगी तो ऐसे सारे ट्रस्टों की जाँच हो जायेगी, सारी सोसायटीज की जाँच हो जायेगी। आपको हाउस की एक कमेटी बनानी चाहिए। एक ट्रस्ट झज्जर में झज्जर रेवाड़ी रोड़ पर एक गाँव है सिलानी केसू जिस गाँव की जमीन फरुखनगर - झज्जर रोड़ पर है उस गाँव की 26 एकड़ जमीन को डेढ़ साल पहले इस देश के महान क्रिकेट खिलाड़ी श्री वीरेन्द्र सहवाग को 50,000 रुपये सालाना के हिसाब से एक क्रिकेट एकड़मी खोलने के लिए दी गई। किस परपज के लिए दी गई। आज वहां पर उस जमीन पर बोर्ड लगा दिया है सहवाग इन्टरनेशनल स्कूल जोकि करोड़ों रूपये की जमीन है। क्या ऐसे-ऐसे ट्रस्टों को जो चैरीटेबल के नाम से खुलेंगे और एकडमी के नाम पर खुलेंगे और किस परपज के लिए जमीन दी जायेगी उस जमीन को देने का परपज ही चेंज हो रहा है। मैं यह चाहता हूं कि हमारे पास ऐसे कितने उदाहरण हैं चाहे वह राजीव गान्धी थैरीटेबल ट्रस्ट के लिए गुड़गांव

वक्तव्य (2)69

के उल्लावास गांव की जमीन हो, बाहे झज्जर में और कई जगह ट्रस्ट हैं कि जिस भी परपज के लिए किसी ट्रस्ट को या सोसायटी को जमीन दी जाती है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा है कि इस प्रकार से पंचायतों की जमीनों को लुटाया न जाये लेकिन जिस परपज के लिए चैरीटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन दी जाती है उसका उपयोग दूसरा होता है।

जब से हिरेयाणा बना है तब से लेकर अब तक ऐसे जिसने भी ट्रस्ट बने हैं और उनको जिस परपज के लिए जमीन दी गई है कहीं उस परपज का वायलेशन तो नहीं हो रहा। ये ट्रस्ट कमिशियल ऐक्टीियटीज तो नहीं कर रहे, जैसे अभी गुड़गांव में इंडिया बुल्स का केस हुआ है या कई दूसरे केस हुए हैं। क्या उनका इस्तेमाल ऐसी बिल्डिंग्ज में तो नहीं हो रहा जहां बच्चों से मोटी मोटी फीसें वसूली जा रही हों। 26 एकड़ जमीन 50 हजार रुपये सालाना पर ली गई और करोड़ों रूपये बच्चों से फीस के लिए जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में जांच के लिए हाउस की एक कमेटी बननी चाहिए। जितने भी ट्रस्ट और सोसायटीज को जमीनें दी गई हैं और जिसके नाम पर प्रदेश से सस्ती जमीनें लेकर लोगों को लूटा जा रहा है और व्यवसाय किया जा रहा है इस सबकी जांच वह कमेटी करें।

श्री अध्यक्ष: क्या आप चाहते हैं कि हाउस की कमेटी द्वारा जांच की जाए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: जी हां सर और इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि हों।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। आपकी पार्टी द्वारा आज अन्ना हजारे वाले मामले में काफी नारे लगे हैं। क्या आप उन लोगों को अन्ना हजारे की मूवमैंट में इन्कल्यूड करना चाहेंगें जिनको अन्ना ने नकार दिया या जिनके खिलाफ ग्रन्टाचार का मामला हो।

श्री कृष्ण पाल गूर्जर: अध्यक्ष महोदय, यह तो आपका डिसीजन है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इस बारे में आप बताएं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यक्तिगत सुझाय है कि जिस पर भ्रष्टाधार का आरोप है, जिस पर केस रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिस पर सी.थी.आई. ने रिकमैंडेशन दी हैं, चाहे वह किसी भी दल का हो, अगर ऐसे लोगों के नाम ऐसी कमेटी में आएंगें तो मखौल बन जाएगा । जैसे अभी लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव का नाम आया है।

श्री अध्यक्ष: अभी थोड़ी देर पहले नरेश शर्मा जी कह रहे थे कि उनके पास दिल्ली से किसी का फोन आया है कि अन्ना हजारे ने कहा है कि किसी भी ऐसे आदमी को भेरे भूदमैंट में अटैय न किया जाए जिसका नाम भ्रष्टाचार के मामले में हो!

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, यह मैं आएके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि आप काबिल हैं और कानून के झाता हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मरेश कुमार वादली: अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार को रोकने की मुहिम तो हम चला रहे हैं और ये तो रोटियां सेंकने का काम कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, ये क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं। इस देश को लूटकर इन्होंने लाखों रुपये के घोटाले किए। जिनके मंत्री जेलों में पड़े हुए हैं ये यहां कैसे भ्रष्टाचार की बात कह सकते हैं। इनके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती।

श्री आनन्द सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्वांयट उटाया है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिसकी बात को अबा हजारे के साथ जोड़ा जा रहा है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्या अबा उन लोगों को शरण देगा। वह तो उन्होंने पहले ही पूव कर दिया कि जिसके ऊपर आज वार्जिज हैं, जो बार्ज शीटिङ हुए हैं, जिनके खिलाफ ऐसे ब्लेम लगे हैं उनको जेल में जाना ही . पड़ेगा। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जो अबा को समर्थन देने गए थे उनको वहां बैठने ही नहीं दिया गया और उनको चलता कर दिया गया। ऐसे लोग आगे पीछे से जाते हैं। ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का हक ही नहीं हैं जो खुद भ्रष्टाचार से पूरी तरह लदे हुए हैं और इस बात का भी ध्यान रखना बाहिए कि ऐसे लोग रटेज पर न चढ़ जाएं।

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, जो लोग भ्रष्टावार समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाना चाहते थे वे तो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो लेकिन जो लोग पैरों से लेकर सिर तक भ्रष्टाचार में लिप्त हों और इन्होंने समय-समय पर उनका सहयोग दिया यह हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े शर्म की बात है। (विध्न) गुर्जर साहब सीनियर लीडर हैं और मेरे बड़े भाई हैं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, ये आनंद सिंह दांगी और डाक्टर साहब को कहें, ये तो उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। मैं मंत्री तो नहीं था।

श्री राम किशन फोजी: अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट की बात नहीं है इनकी तो पार्टी उन लोगों के समर्थन में थी।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the pleasure of the House that the sitting of the House be extended for half an hour.

Voices: Yes Sir.

Mr. Speaker: The sitting of the House is extended for half an hour.

वक्तव्य (पुनरारम्भण)

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोवय, ये लोग तो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली बात कर रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार के जननायक हैं, माता-पिता हैं उनका इन्होंने इस तरह से साथ दिया जैसे जापे वाली महिला को जल्दी स्वस्थ करने के लिए गोंद के लड्डू दिये जाते हैं उसी तरह से समय-समय पर इन लोगों ने भ्रष्टाचार के जन्मदाताओं को ऊर्जा और ताकत देने का काम किया जो कि हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: गुर्जर साहब, प्लीज अब आप बैठें। यदि अब आप बोलेंगे तो विज साहब का समय समाप्त हो जायेगा।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यदि हम शुरू से लेकर अब तक भ्रष्टाचार पर थर्था करेंगे तो कई दिन भी कम पड़ जायेंगे। इतने घोटाले इस देश में हुए हैं कि गिनाये नहीं जा सकते। हर बार एक नया घोटाला केन्द्र में कांग्रेस की सरकार ने किया है इसलिए वे लोग जेल में हैं। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आ गई और दिल्ली के लोकपाल मिस्टर शरीन ने भी

चक्तव्य (2)71

अपनी रिपोर्ट दे दी लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसमें जो लोग दोषी पाया जायेगा, उसको बख्शा नहीं जायेगा लेकिन वह रिपोर्ट भी रदी की टोकरी में डाल दी गई। आज अष्टाधार के खिलाफ पूरे सदन की तरफ से (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: गुर्जर साहब, आप अपनी पार्टी के सदस्यों से कंसैंट लेकर बोल रहे हैं कि ऐसी कमेटी बननी चाहिए। कहीं कल को आपके मैंबर कह दें कि ऐसी कमेटी नहीं बननी चाहिए। चनश्याम जी, विज साहब और कविता जी आप ऐग्री हैं।

आवाजें: अध्यक्ष महोदय, बननी चाहिए।

मुख्यमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह हुङ्का): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि माननीय गुर्जर साहब को भी उस कमेटी का मैंबर बनाया जाये।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, भैं अपने सदस्यों की कंसेंट से बोल रहा हूं लेकिन उसमें शुरू से लेकर अब तक सभी ट्रस्टों की इन्क्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये। इसमें सबको जोड़ो। (विघ्न) हमने तो किसी ट्रस्ट को जमीन दी ही नहीं या तो वे लोग भुगतेंगे या ये लोग भुगतेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इन्होंने किसी को जमीन दी नहीं है बल्कि ट्रस्टों की जमीन ली है। (इंसी)

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, मैं गुर्जर साहब से पूछना चाहता हूं कि विपक्ष का नेता श्रन्टावार में लिप्त है और उन पर धार्ज भी फ्रेम हुए हैं। क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इस बारे में इनकी क्या राय है ?

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी को इस बारे में चिन्ता क्यों हो रही है कानून अपना काम करेगा। कानून किसी को नहीं छोड़ेगा।

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी गुर्जर साहब बहुत बिदेया आदमी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन आज ये जिस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं वह पारदर्शी नहीं है। इनको पारदर्शी लैंग्वेज का प्रयोग करके सीधी-सीधी और स्पष्ट बात बतानी चाहिए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए कई बार अक्षरों में गलती हो जाती है।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आज जो दिल्ली में ए.राजा, कनीमोझी या कलमाड़ी आदि भ्रष्टाचार के केस में जेल में हैं तो वे इनके कारण नहीं हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कारण हैं। (विध्न)

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, इनके साथी भी अपने काले कारनामों के कारण जेल में जायेंगे।

श्री जगबीर सिंह मिलक: अध्यक्ष महोदय, गुर्जर साइब ने सदन के 45 मिनट खराब कर दिए लेकिन एक भी सुझाव नहीं दिया। इनको सदन में सुजैशन देने चाहिए थे तािक सदन के समय का सही उपयोग हो पाता। हर एक आदमी को पता है कि कौन क्या कर रहा है। यदि विज साहब भी ऐसा ही करेंगे तो सदन का समय बरबाद होगा।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, क्या यह सुझाव नहीं है कि हरियाणा में ऐसा कानून बने ताकि कोई म्रष्टाचारी बच न पाये। ऐसा कानून मध्य प्रदेश में बना है। इसके अतिरिक्त समय

[श्री कृष्णपाल गुर्जर]

सीमा तय होनी चाहिए कि फलां काम इतने दिन में पूरा हो जायेगा अन्यथा कार्यवाही की जायेगी। यदि ये ऐसा कानून बनायेंगे तो इम इनका समर्थन करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) हम यह कहना चाहते हैं कि दूसरी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। (शोर एवं व्यवधान) हम यही तो कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून बनाईये।

श्री अध्यक्ष : प्रो० सम्पत सिंह जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

प्रोo सम्पत्त सिंह: स्पीकर सर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिसको डॉक्टर कादियान जी लेकर आये हैं, यह एक बहुत ही अहम विषय है आपने उसको मंजूर किया और उस डिस्कशन के लिए टाईम का स्कोप भी बढ़ाया इसके लिए मैं आपका शुक्रियादा करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह का सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम से आज लोग दुखी हैं, परेशान हैं और वह है भ्रष्टाचार। अब प्रश्न यह उडता है कि यह भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है और जो लोग भ्रष्टाचार के दोषी हैं उनके खिलाफ अगर कार्यवाही नहीं होती है तो स्वाभाविक है कि वे भ्रष्टाचारी लोग और जोश के साथ अर्थात् with more power and strength ज्यादा भ्रष्टाचार करेंगे और ज्यों-ज्यों कमर्शियल युग आ रहा है, त्यों-त्यों अमाउंट का वॉल्यूम बढ़ता जायेगा इसमें कोई दोराय नहीं है। जिस प्रकार से हम कोर्ट-कचहरियों में प्रोसीजर देख रहे हैं, इन्वैस्टीगेशन का प्रोसीजर देख रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अंतिम निर्णय निकलता है। यह तो वह बात हुई कि God see the truth but waits. आखिर wait भी कब तक की जाये। एक आदमी 20 साल की सजा काट कर आ गया और बाद में यह पता चलता है कि वह निर्दोष था। अब परमात्मा ने देख तो लिया लेकिन इतनी देर के बाद देखने का क्या फायदा हुआ। आज ये लोग धीरे-धीरे करके अपनी उम्र पूरी करके चले जायेंगे लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। कोई साधारण कर्मचारी होता है, कोई साधारण राजनीतिक व्यक्ति होता है और कोई साधारण आदमी होता है तो उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही हो जाती है क्योंकि इसी विधान सभा में मैं भी as a Leader of Opposition बोलने की सज़ा का भुक्तभोगी हूं। मैं विपक्ष का नेता था और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि आपको तो काबू में करना पड़ेगा और मुझे काबू करने के लिए उन्होंने मेरे खिलाफ चार्जिज फैबरीकेट किये और विधान सभा में पढ़कर भी सुनाये कि मेरे पास फलाने एस.पी. की एप्लीकेशन आ गई है उसकी मार्फल मैंने उस पर अपनी मंजूरी दे दी है। यह दिसम्बर, 1992 के अधिवेशन की बात है और उसके बाद जनवरी, 1993 में वह ऐप्लीकेशन दिखाई गई। यह ऐप्लीकेशन किसकी मार्फत दिखाई गई। मुझे यह कहते हुए बड़ा अफरनेस होता है कि यह मेरी राजनीतिक विवशता रही क्योंकि में चौधरी देवी लाल जी से जुड़ा रहा उनके परिवार के एक सदस्य के साथ मेरे हमेशा ही मसभेद रहे इसमें भी कोई दो राय नहीं है लेकिन मैं भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा हुआ था इसलिए मैं उनका आत्मा से विरोध भी करता रहा और और मैं उनकी सपोर्ट भी करता रहा। वहीं जो आदमी है उनके सगे भाई से वह दरख्वास्त दिलवाई गई। उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने और उस वक्त के अपोजिशन पार्टी के जो प्रेजीडैंट थे, जिस प्रकार से कृष्ण पाल गुर्जर जी पार्टी के प्रेजीडैंट हैं और श्री अभिल विज जी हाऊस में पार्टी के नेता हैं उस समय उन तीनों आदमियों ने रवना रथकर भेरे खिलाफ केस दर्ज करवाया। मैंने एक साधारण से जमींदार के घर में जन्म लिया था। मेरे खिलाफ केस दर्ज हो गया। 28 जगह पर छापे पड़े और 28 ही डी.एस.पीज़. आये लेकिन मेरे घरों में क्या मिलना था। छापों के धौरान जो कुछ मिला उससे तो उल्टे मेरी बेइज्ज़ती ही हुई कि

चवत्तव्य (2)73

400 रुपये केश और दो तोले सोना मेरे घर में मिला। मैंने यह केस मुगता। मेरे केस को डिले पर डिले किया जाता रहा लेकिन में उसको जल्दी निपटवाने की कोशिश करता रहा। मुझे यह कहते हुए फख हो रहा है कि बाद में मैं सेशन कोर्ट से बाइज्जत बरी आया और उसके बाद हाई कोर्ट से भी बरी आया लेकिन जिस प्रकार से वर्ष 2005 में यह केस दर्ज हुआ है और उसके 6 साल के बाद इन्वेस्टीगेशन की रिपोर्ट आती है तो ऐसी स्थिति में जिस तरह की प्रणाली चल रही है इसमें क्या न्याय मिलेगा। इस केस में तारीखों पर तारीखें लगाकर केस को टाला जाता रहा। ऐसे लोगों को तारीखें भी पता नहीं कैसे मिल जाती हैं ? बहाना ये बनाया जाता है कि स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य लाभ करने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं इसिलए तीन महीने की छुट्टी दी जाये। इसी प्रकार से जब अगले साल तारीख आई तो कभी पुत्र के बीमार होने का बहाना बना दिया तो कभी बाप के बीमार होने का बहाना बना दिया गया और बार-बार स्वास्थ्य लाभ के लिए जगह-जगह जाया जा रहा है! मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को कम्बोडिया में जाकर स्वास्थ्य लाम मिलता है या स्वास्थ्य लाम किसी ऐसे देश में जाकर मिलेगा जहां पर हिन्दुस्तान के मुकाबले स्वास्थ्य सुविधाओं का स्टैंडर्ड बहुत नीचा है लेकिन इसका मकसद यही था कि इस केस को जितना हो सके उतना टाला जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना बाहता हूँ कि इस प्रकार के लोग किसकी आड़ में प्रष्टाचार करते हैं। ये सामंतवादी प्रवति के लोग हैं जिन्होंने राजनीति पर कब्जा किया हुआ है। इन लोगों की एक ही सोच रही है कि भेरे बाप-दादा के पास दो सौ बीघे जमीन थी. मेरे बाप-दादा के पास तीन सो बीचे जमीन थी, फलां आदमी के पास कितनी जमीन थी, 2 एकड़ जमीन थी और आज 100 एकड़ जमीन बना रखी है। यह इसी प्रकार से उल्टे-सीधे काम करके बनाई हुई है। इनको कोई पुछने वाला हो कि जिन्दल साहब के पास पहले क्या था ? उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यह सब कुछ किया है। आज श्रीमती सावित्री जिन्दल जो कि हमारी सदस्या हैं, दुनिया की सबसे धनी महिला हैं, उन्होंने क्या कोई भ्रष्टाचार किया है, नहीं सर, उन्होंने अपनी मेहनत करके यह सब हासिल किया है। हमने देखा है कि जिस समय श्री जिन्दल साहब का निधन हुआ था उस समय उनके हाथों पर हल चलाने के आंटणे थे। इसी प्रकार से श्रीमती कृष्णा गहलावत का जिक्र है जिनके बेटे की इंडिया बुल कम्पनी है। इंडिया बूल आज एक इंटरनैशनल कम्पनी बन बुकी है। उनके पिता जी के पास क्या था कोई चार बीघे जमीन होगी लेकिन उनके बच्चे इंटैलिजेंट थे और उन्होंने मेहनत करके यह सब हासिल किया है और आज वे आसमान को छ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये लोग जो जमीन के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं और कहते हैं कि फलां के पास 200 बीधे जमीन थी, फलां के पास 300 बीधे जमीन थी और आज अगर हमारे पास हो गया तो क्या हो गया? एक आम आदमी और साधारण आदमी को तो ये सामंती लोग दबाते हैं। उनका यह प्रयास रहता है कि कोई बुद्धि से दिमाग से ऐफिसिएन्शी से आगे न आ जाये। अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत इंटेलीजेंट आदमी हैं। हमें भी बैंगलोर जाने का मौका मिला था और हम वहाँ पर इन्फोसिस को देखने गये थे। वहाँ पर आई.आई.एम. में वर्कशॉप थी तथा हमारा एम.एल.एज. का मीडिया इन्ट्रैक्शन प्रोग्राम था। पहले केवल मात्र 7 इंजीनियर्स ने एक इंजीनियर की वाइफ से 10 हजार रूपये उधार लेकर इनफोसिस बनाई थी और आज वह टाटा से भी ऊपर चली गई है और आज वह नम्बर एक पर है। वे अपने दिमाग से बनाते हैं लेकिन ये लोग दिमाग से नहीं लोगों को लूट कर, लोगों को बहका कर बनाते हैं। आज न केवल हरियाणा में बल्कि अब तो पूरे हिन्दुस्तान में एक बात है कि समझाना मुश्किल है बहकाना बहुत आसान है। ये लोग बोट लेकर फिर आ जाते हैं, जीत

[प्रो० सम्पत्त सिंह]

जाते है। इससे बहुत अफसोस होता है। इन लोगों ने जिस तरह का राजनीतिक तंत्र बना रखा है, इन्होंने राजनीति पर कब्जा किया हुआ है, जिस तरह भ्रष्टायार का नंगा नाय करते हैं और अपनी भाषा में तू शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि हमारी संस्कृति के बिरुद्ध है। अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। सर मुझे तो यह अफसोस होता है कि यूं डॉक्टर की डिग्नियाँ बिकने लग जायेंगी। किसी ने कोई रिसर्च नहीं किया, उसमें कोई लेना नहीं, देना नहीं और किसी विषय पर एक मिनट मी बुलवा कर देख लो उसका कोई ज्ञान नहीं है। 10 साल के भाषण में और आज के भाषण में केवल एक ही चीज मिलेगी और वह 'कुछ नहीं' मिलेगा। वे लोग डॉक्टर की डिग्नी ले आते हैं और वह भी पता नहीं किस चीज का डॉक्टर। अब इस तरह की बात होने लग गई तो आगे क्या बनेगा ?

Mr. Speaker: One can be a doctor of corruption.

Prof. Sampat Singh: May be, that is right, you can say Sir. सर, आज भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात आती है तो मैं यह सोचता हूँ कि वर्तमान यू.पी.ए. सरकार द्वारा भ्रष्टाधार को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किये गये हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है, नो पैरलल। कहने को तो हर आदमी कह देता है कि भ्रष्टाधार हो रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है। राईट टू इन्फोरमेशन ऐक्ट कौन लेकर आया? अगर यू.पी.ए. सरकार यह ऐक्ट लेकर न आती तो ऐक्सपोजर कैसे होता लेकिन आज हर आदमी थू राईट टू इन्फोरमेशन ऐक्ट बड़ी से बड़ी अथॉरिटी का ऐक्सपोजर कर सकता है और हो भी रहा है। आज जितने मंत्री या सांसद जो भी अन्दर गये हैं वे क्यों गये हैं क्योंकि राईट दू इन्फोरमेशन ऐक्ट के तहत उनका ऐक्सपोजर हो गया। आज मीडिया में यह बाल फैलाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार फैला रही है। भ्रष्टाचार फैलाया नहीं है बल्कि कांग्रेस सरकार इसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। लेकिन खत्म नहीं हो पाया क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं यू.पी.ए. सरकार का आमारी हूं कि आर.टी.आई. ऐक्ट लागू होने के बाद एक ऐक्सपोजर आ गया। अब हर एक आदमी को जानने का अधिकार है इसलिए अब बहुत से लोग जेल के अंदर जाने लग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे विदेशी धन की बात चलती है कि विदेशी धन, काला धन देश में आना चाहिए। लोगों को इस बारे में बहकाया जाता था और कहा जाता था कि अगर काला धन देश में आ गया तो एक आदमी के पास इतना रूपया आ जाएगा। इसके बाद आदमी यह सोचने लगता है कि दो करोड़ रुपये एक आदमी को मिल जाएंगे इसलिए वह वाह वाह करके ताली बजाने लगता है लेकिन स्पीकर सर, हर देश के अपने कानून हैं, हर देश के साथ ट्रीटी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो पैसा पड़ा है वह क्यों नहीं बाहर आ रहा है। सवाल विदेशी माया का नहीं है वह पैसा भी तो देश में पड़ा हुआ है। लेकिन आज उसका भी ऐक्सपोज़र होने लग रहा है। सी.बी.आई. रिपोर्ट कह रही है कि इन्हीं सोसायटीज में वह पड़ा हुआ है। एक तरफ इन्कम टैक्स की चोरी करते हैं और दूसरी तरफ जो पैसा काले तरीके से कमाते हैं उसको सफेद करने के लिए इस तरह के ट्रस्ट और सोसायटीज बनायी जाती हैं। वह वक्त चला गया जब अग्रवाल सोसायटी, वैश्य सोसायटी या इसी तरह की और भोसायटीज बना दी गयी थीं और उन सोसायटीज के सारे लोग मिलकर काम करते थे। बाकायदा वे सोसायटीज पब्लिक परपज के लिए बनायी गयी थीं लेकिन आज क्या है आज तो नामों पर आने लग गए हैं। आज परिवार के सदस्य इस काम को करने लग गए हैं। अभी गुर्जर साहब ने वीरेन्द्र सहवाग का जिक्र किया लेकिन में कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बारे में पढ़ा नहीं है। जो ट्रस्ट बना हुआ है जो सोसायटी बनी हुई उसका नाम क्या है, उसका परपज क्या है उसका परपज दक्ताव्य (2)75

education and sports है इसलिए वहां पर स्कूल चलाया जा रहा है। बहुत अच्छी ट्रांसपियरैन्सी सरकार ने बरती है उसमें कोई गलत काम नहीं हो रहा है। उस ट्रस्ट में कौन मैम्बर है ? उस अकेले को छोड़कर उसके परिवार का या उसके रिश्तेदार का कोई सदस्य उसमें नहीं है। उसमें सारे इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर और दूसरे प्लेयर्ज हैं। सरकार ने उस ट्रस्ट को जमीन देकर कोई गलत काम नहीं किया है बल्कि एक अच्छा काम किया है ताकि एक क्रिकेट अकादमी हरियाणा में बने, एक अच्छी ऐजुकेशन हरियाणा में आए, एक क्वालिटेटिव ऐजुकेशन हरियाणा में आए, टैलेंट आए और हमारे बच्चे भी आगे आएं। स्पोर्टस पोलिसी की वजह से ही आज देहात के बच्चे आगे आ रहे हैं। पहले इनको कीन डी.एस.पी. लगाता था, पहले रेसलर को कौन पूछता था। उनको ज्यादा से ज्यादा केवल एक घी का पिप्पा दे दिया करते थे। पहले इन बाक्सरों को कीन पूछता था। इनकी नाक टूट जाया करती थी, इनका मूंह टूट जाया करता था और कई वार इनकी जान भी चली जाया करती थी। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इनको इज्जत दी है उसी के कारण वे इस लेवल पर पहुंचे हैं। आज सैंकड़ो बच्चो को सब इंसपैक्टर, इंसपैक्टर या डी.एस.पी.की नौकरियां दी गयी हैं। स्पीकर सर, पहले जो बच्चे क्राइम किया करते थे आज वह बच्चे शाम को स्टेडियम की तरफ भागते हैं। आज आपको काफी बच्चे सड़कों पर निक्कर पहनते हुए दौड़ते नजर आएंगे। आज सरकार ने हरियाणा में खेलों का वातावरण बनाकर युवकों की ताकत को दसरी तरफ मोड़ दिया है। सरकार द्वारा जो स्पोर्टस पोलिसी बनायी गयी है यह सब उसी की देन है। इस तरह के ट्रस्टों को जो समाज की भलाई का काम करते हैं, जमीन देने में कोई बराई नहीं है। डां, जो लोग अखबार निकालने के नाम पर जमीन ले और अखबार के केवल चार पश्चों को निकालें तो उनको जमीन नहीं देनी चाहिए। जैसी रिपोर्ट आ रही है कि वह जॉब वर्क करवाते हैं और 21-21 लाख रूपये महीने पर उन्होंने बिल्डिंग को किराए पर दे रखा है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बीज क्लीयर करना चाहता हूं वैसे तो चौधरी साहब ने बता ही दिया है कि वीरेन्द्र सहवाग जो एक मशहर क्रिकेटर है, को जमीन दी गयी है। वे हरियाणा के मलभत निवासी हैं इसलिए उनको जमीन दी गयी थी। पहली बात यह है कि वह जमीन उनको गिफ्ट नहीं दी गयी है बल्कि वह जमीन उनको लीज पर दी गयी है। दूसरी बात यह है कि वहां पर गांव के स्थानीय निवासियों को नौकरियां दी गयी हैं और नम्बर तीन बात यह है कि जो हमारे गांव और पड़ीस के बच्चे हैं उनसे कंसैशनल रेट पर फीस ली जाती है। सालाना वहां पर 87.500 रूपये फीस ली जाती है जबकि हमारे बच्चों से वहां पर 15.200 रूपये फीस ली जाती है इसमें ट्रेनिंग इत्यादि सब कुछ शामिल है। वहां पर स्कूल के साथ साथ क्रिकेट की ट्रैनिंग भी दी जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के और बच्चे वहां से निकल सकें। जैसा सम्पत सिंह जी ने कहा कि वे आगे बढ़कर अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने प्रान्त का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें इसितए ऐसे ट्रस्ट को जमीन देने में कोई बुराई नहीं है। यह जमीन उनको लीज पर दी गयी है इस तरह से वह जमीन गांव की सम्पत्ति ही रहेगी। गाँव के बच्चों को जहां मुफ्त में शिक्षा मिलती है, इलाके के बच्चों को जहां विशेष स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिलती है, इस तरह का वह स्कूल है। श्री वीरेन्द्र सहबाग एक Sports person हैं आज भी हिन्दुस्तान की क्रिकेट टीम का सबसे महत्वपूर्ण हिरसा हैं। देश के लिए जब भी शतक लगाते हैं या देश के लिए खेलते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर नागरिक को उस पर नाज है। कृष्णपाल जी खुद एक खेल प्रेमी हैं। ऐसा व्यक्ति जो खेल-कृद और शिक्षा दोनों के लिए प्रोत्साहित करता हो तो उसको जमीन देने में क्या बुराई है।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, माननीय पार्लियामेन्टरी अफेयर्ज मिनिस्टर साहब ने कहा है यह बिल्कुल ठीक है कि श्री वीरेन्द्र सहवाग जी एक इन्टरनेशनल प्लेयर हैं और उन्होंने देश के लिए नाम किया है। लेकिन जब किसी ट्रस्ट को कोई जमीन देते हैं उसमें यह शर्त होती है कि नो प्रोफिट नो लौस पर काम किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि 87000 रूपये सालाना फीस लेंगे और 15000 रूपये सालाना भी लेंगे लेकिन जो 87000 रूपये सालाना देंगे उनकी फीस तो 7000 रूपये महीना हो गई। 15000 रूपये सालाना वालों की एक हजार रूपये महीना फीस हो गई। वहां पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा के हैं और उनसे 15000 रूपये सालाना फीस ली जाती है और कितने बच्चे वे होंगे जो 87000 रूपये सालाना फीस देंगे ? आप यह भी बता दें कि क्या आपने ऐसी कोई शर्त इसमें लगाई है। 50000 रूपये सालाना पर करोड़ो रूपये की जमीन दे दी गई और वह आमदनी का साधन बन जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, भैं आपकी अनुमति से श्री कृष्णपाल गुर्जर से एक अनुरोध करूंगा वे एक जिम्मेवार सदस्य हैं हमसे वरिष्ठ हैं मैं इनसे एक अनुरोध करना बाहंगा।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, किसी भी ट्रस्ट को कोई जमीन दी जाती है तो वह नो प्रोफिट नो लौस पर दी जाती है। जैसे यह महाराणा प्रताप ट्रस्ट बन गया ऐसे ही यह झज्जर में सहवाग इन्टरनेशनल स्कूल बन जायेगा और 87000 रूपये सालाना फीस कौन देगा क्या आम आदमी 87000 रूपये सालाना फीस दे सकता है ?

श्री अध्यक्षः गुर्जर साहब, आप 21 लाख रूपये की बात करना थाह रहे थे और आपने इतनी सारी बात कह दी। There is some legislative business also.

श्री रणदीप सिंह सुरजेबाला: अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहता हूं। मेरे काबिल दोस्त श्री कृष्णपाल गुर्जर जी जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं उनको में एक बात बताना चाहता हूं कि हम हर ऐसे व्यक्ति पर चाहे वह देश का नाम रोशन करने वाला खिलाड़ी हो चाहे वह कोई और व्यक्ति हो। जब कोई व्यक्ति ट्रस्ट चलायेगा, संस्था चलायेगा और कन्सेशनल रेट पर हमारे बच्चों को नौकरी देगा, शिक्षा देगा, गाँव के बच्चों को पढ़ायेगा हम उसकी मन्सा को प्रश्न चिहन के घेरे में नहीं ला सकते हमारे प्रदेश में स्पोर्ट्स एकेडेमी चलायेगा, इन्टरनेशनल लेवल के कोचिज लेकर आयेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देगा अगर वह उसके खर्च के लिए, अपनी ट्रस्ट के लिए उन कुछ बच्चों से फीस चार्ज करेंगे जो बच्चे फीस दे सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है। सवाल केवल इतना है कि एक अच्छा खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन कर रहा है हिरेयाणा के गाँव के अन्दर जाकर खिलाड़ियों को शिक्षा और प्रोत्साहन देकर एक जज्बा पैदा कर रहे हैं क्यों न सरकार ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करे ? कुछ बातों को सकारात्मक तरीके से भी देखें।

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल गुर्जर जी, क्या आपको श्री वीरेन्द्र सहवाग पर गर्व है।

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, हां, मुझे गर्व है।

श्रीमती गीता भुक्कंत मातनहेल: स्पीकर सर, श्री वीरेन्द्र सहवाग झज्जर के छुड़ानी गांव का रहने वाला है। उनके मान सम्मान की भी बात है।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। एक बात को क्लीयर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के श्री कृष्णपाल मुर्जर जी और श्री अनिल विज जी भी

बोले हैं। एक बात को कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। इसको करने के लिए कलेजा थाहिए। जैसे मैंने यू.पी.ए. सरकार के बारे में कहा। उन्होंने इस बात की परवाह किए बगैर की जनकी सरकार स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। उस पार्टी के एक नेता और उनकी बेटी का जैल में होना जिस पार्टी की इस सरकार को स्पोर्ट मिल रही थी और साथ में उसी पार्टी के एक मिनिस्टर का मी जेल में होना कोई छोटी बात नहीं है इससे अच्छा एग्जांप्ल और क्या हो सकता है। किस तरीके से यू.पी.ए. की सरकार करप्शन के खिलाफ लड़ रही है। दूसरा एग्जाम्पल इससे उल्ट है कि आज एक साल हो गया है और एक साल होने के बाद यह बात एक्सपोज हो चुकी है,

आज सारा हिन्दुस्तान कह रहा है, मीडिया कह रहा है और लोकायुक्त की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि किस तरीके से कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार फैलाया है और वे कितने भ्रष्ट हैं। उनकी पार्टी ने कहा कि आओ और इस्तीफा दो लेकिन वह मुंह पर थप्पड़ मारकर गया कि मैं इस्सीफा नहीं देता जाओ भेरा जो चाहे बिगाड़ लो और वह चला गया। उसके बाद उनके साथ यह समझौता हुआ कि वह अपना आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, ये **** के बारे में भी बता दें। इन्होंने **** की बात की। इन्होंने **** की बात की। इनने तो अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, इस तरह के काम करने में पसीना आता है। इनका मुख्यमंत्री बी.जे.पी. हाई कमान को थप्पड भार कर कहकर जाता है कि इस्तीफा नहीं देता, मेरा जो बाहे बिगाड लो और ये कुछ नहीं बिगाड पाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने **** (शोर एवं व्यवधान)

प्रो**० सम्पत सिंह:** अध्यक्ष महोदय, जब ये बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोला।(शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति इस हाउस के सदस्य ही नहीं हैं उनका नाम यहां नहीं लिया जाना चाहिए इसलिए उन नामों को रिकार्ड न करवाया जाए।

Mr. Speaker: Anybody whose name has been mentioned but he is not a member of this House, may be excluded from the proceedings.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, ये **** से इस्तीफा मांगें।

कैप्टन अजय सिंह यादव: वे इस हाउस के मैम्बर नहीं हैं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, सम्यत सिंह जी ने उनका नाम लिया है।

प्रोo सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, भैंने सी.एम. कर्नाटक कहा है और मैने उनका नाम नहीं लिया। उनका नाम ऐसा है कि मुझे याद नहीं रहेता।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री का इस्लीफा लें।(शोर एवं व्यवधान)

^{*} चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: सम्पत्त सिंह जी, आप कन्कत्युड करें।

प्रो॰ सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय , ये मुझे बोलने ही नहीं दे रहे।(शोर एवं व्यवधान) let me allow. Hon'ble Members, please sit down.

Mr. Speaker : Shri Anil Vij, is the next speaker. But he is not present right now. (शीर एवं व्यवधान)

प्रो**ं सम्पत्त सिंह:** अध्यक्ष महोदय, ऐसे वेग एलीगेशन लगाने से बात नहीं बनती। Please allow me Sir, only 5 minutes.

Mr. Speaker: What is this happening? I am asking you to sit down. I am calling a Member to come. Nobody is present here. You want this House to go into late.

प्रोo सम्पत्त सिंह: नहीं नहीं सर, मैं कम्पलीट करना बाह रहा था। please permit me.

Mr. Speaker: No, no he should not have left the House when I had said that he is the next speaker.

Prof. Sampat Singh: You have called his name but he was not there so I requested you to conclude me.

Mr. Speaker: Now, he is here but when I called he was not here.

Prof. Sampat Singh: Sir, you called him to speak but he was not here that is why I stood up and requested to give some time.

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, when Hon'ble Speaker calls a Member to speak but he is not present and if he comes later, normally at this fag end issue, he is not to be permitted to speak.

Mr. Speaker: No, no I had called Mr. Vij to speak but he was not there and then you spoke Mr. Sampat Singh.

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, Hon'ble Member has already spoken in the morning. Hon'ble leader of their party has spoken. They never give a chance to their younger Members who are sitting behind, they take away their rights. Sir, they are taking away the rights of their own Members. Particularly they have a lady Member, they do not let her speak at any time.

Mr. Speaker: Mr. Vij, you should not have left the House. I called the name second time. I had announced your name much before Mr. Sampat Singh started speaking.

Shri Anil Vij: No, Sir. I was on my scat, Sir. अध्यक्ष महोदय, आपने पहले भी कृष्ण पाल गुर्जर के बाद मेरा नाम लिया लेकिन फिर आपने सम्पत सिंह जी का नाम ले लिया।

श्री अध्यक्ष : आए चले गए थे (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि आप मुझे बुलवाना ही नहीं चाहते।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे बाद इनका नाम लिया था फिर भी आपने इनको नहीं बुलवाया। यक्ताथ्य (2)79

श्री अध्यक्ष: ये यहां थे ही नहीं।

प्रो॰ सम्पत सिंह: ये यहां नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This House cannot go forever.

Shri Randeep Singh Surjewala: Mr. Vij, Sir, I raise one simple question. My learned friend Vij Sahib is a very seasoned Member but please I will request him to put the National Flag properly, not like this crumpoled fashion in the pocket. Thank You.

Mr. Speaker: Mr. VijThere are certain norms attached with the National Flag. So, it cannot be used like this. Give it utmost respect. (Interruption) Hon'ble Members, I had extended the time of the sitting upto 7.00 P.M. Now, I have to go for legislative business. (Interruption)

19.00 बजे श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हमेशा सभ्य तरीके से बोलते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने कौन सी गलत बात कही है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: There are certain norms attached with the National Flag. Give it utmost respect.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, भेरा फ्लैंग सीधा लगा हुआ है और लहरा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढाना

Mr. Speaker: I have extended the House till 7.00 P.M. Now I have to go with the legislative business. Is it the pleasure of the House that the sitting of the House be extended for 15 minutes.

Voices: Yes Sir.

Mr. Speaker: The sitting of the House is extended for 15 minutes. Within these 15 minutes I have to conduct the legislative business as well. So, Sampat Singh Ii please conclude within two minutes.

वक्तव्य (पुनरारम्भण)

प्रो. सम्पत्त सिंह: ठीक है जी। अध्यक्ष महोदय, सुबह जैसे लोकायुक्त का जिक्र करके कुछ सदस्यों ने शोर मचाया। सर, उनकी इंटैंशन का इस बात से पता चलता है कि चौधरी बंसी लाल जी ने 1997 में लोकायुक्त बिल पास किया था और उसके बाद उन्होंने लोकायुक्त को एप्वायंट कर दिया था लेकिन उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको रीपील कर दिया गया क्योंकि उस टाईम के जो भी लोकायुक्त थे वे उनको पसंद नहीं थे। उनको चह एक्ट भी पसंद नहीं था। रीपील करके उन्होंने उस लोकायुक्त को इतना बीक कर दिया जैसा रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बता रहे थे। उन्होंने लोकायुक्त को वीक ही नहीं किया वे 2005 तक मुख्यमंत्री रहे और में भी उनके मंत्री मण्डल में था उन्होंने बिल पास कर दिया लेकिन तीन साल

तक लोकायुक्त को एप्तायंट ही नहीं किया। ऐसी और भी बहुत सी स्टेटस हैं जिन्होंने यह बिल तो पास कर दिया लेकिन लोकायुक्त एप्तायंट नहीं किए हैं। गुजरात के अंदर भी बिल पास हो गया है लेकिन लोकायुक्त एप्तायंट नहीं हुआ है। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा की बात करना चाहूंगा कि यहां पर लोकायुक्त मौजूदा मुख्यमंत्री ने 2007 में एप्तायंट किया। इसमें मेरा सुझाब यह है कि उस 2002 लोकायुक्त एक्ट को मजबूत किया जाये क्योंकि उसमें कुछ खाभियां हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सदन को यह बतायें कि उसमें क्या खामियां हैं।

प्रोo सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं दो खामियां सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उसमें लोकायुक्त को जो सुओ मोटो का राईट था वह खत्म कर दिया गया। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, मैं एग्जामपल दे देता हं।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister are you aware of such things as the Hon'ble Member is mentioning that the Lokayukta was diluted in Haryana?

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, the statement made by the Hon'ble Member is 100% correct. When the Lokayukta Bill was for the first time enacted in 1998-1999, the kind of provisions it had and when you compare it with the amendments that Mr. Om Prakash Chautala's Government brought again in 2003, they are actually shocking and starting. (interruption)

Mr. Speaker: Let me know. A very important point has been touched upon. I would like Mr. Vij to make a statement on that. Hon'ble Minister you will kindly bring it to my notice as to what dilution was and what were those tactic words used in that.

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I will bring a detailed statement in writing to your notice so that the matter could be deliberated at an appropriate time.

Mr. Speaker: Mr. Vij wanted to speak on that Lokayukta. Mr. Vij since a very important point has been touched upon by Mr. Sampat Singh and I am awaiting the response from Hon'ble Parliamentary Affairs Minister on which he may be forthcoming tomorrow?

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, tomorrow itself I will place a written statement for your consideration on the floor of the House.

Mr. Speaker: Mr. Vij would you like to participate on that?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अभी बोल रहा हूँ।

Mr. Speaker: Mr. Vij we have decided to have a structured discussion. आप स्ट्रक्यर डिस्कशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना।

श्री अनिल बिज: अध्यक्ष महोदय, आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वर्चा चल रही है मैं उसी पर बोल्ंगा।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आप सुनें। जैसे स्ट्रैक्वर डिबेट पर एक भैंबर का एलीगेशन आया और पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर का रिस्पोंस अवेटिड है। श्री अनिल दिज: अध्यक्ष महोदय, एलीगेशन का जवाब तो कल पार्लिथामेंटरी अफेयर्ज भिनिस्टर जी देंगे।

श्री अध्यक्ष: आप फिर कल उसी पर क्यों न बोलें जब हम इस सारे खिस्कशम पर टाईम देंगे।

Shri Anil Vij: Sperker Sir, this is up to me कि मुझे किस पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, आप लोकायुक्त बिल पर बोलना चाह रहे थे ?

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, जो मामला चल रहा है मैं उसके ऊपर बोलना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब कल पार्लियामेंट्री अफेयर्ज़ मिनिस्टर लोकायुक्त के बारे में पेपर रखेंगे तो हम कल उस पर भी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: अनिल विज जी, स्ट्रक्चर डिस्कशन का मतलब यही होता है कि जब प्वायंट आयेगा तो आप तभी बोलेंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं स्ट्रक्चर डिस्कशन पर भी बोल रहा हूं। आपने मुझे बोलने के लिए अलाऊ किया है।

प्रोo सम्पत सिंह: स्पीकर सर, नम्बर एक सजैशन मैंने दे दिया है अब मैं नम्बर दो सजैशन के बारे में बताना चाहुंगा।

Mr. Speaker: Mr. Vij, you will speak on Lokyaukta Bill of Haryana after Mr. Sampat Singh.

Shri Anil Vij: Speaker Sir, if you will allow me, I will speak on it.

Mr. Speaker: Mr. Vij, you want to speak on an issue, which is in Parliament's domain.

Shri Anil Vij: Speaker Sir, you leave it to me I will explain it. (Interruption)

Mr. Speaker: I need to be replied it.

Prof. Sampat Singh: Speaker Sir, How can you allow to speak Mr. Vij on a matter of Union Government. (Interruption) There is federal structure, there is Union list, there is concurrent list and there is State list. We can discuss State list.

Mr. Speaker: Can Haryana Assembly Legislate any Bill, which is in Parliament's domain? No, we can't.

प्रोo सम्पत सिंह: स्पीकर सर, संसद में हरियाणा से इनकी पार्टी के प्रतिनिधि हैं इसलिए इनको इस भैटर को वहां पर डिसकस करना चाहिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे बोलने के लिए अलाऊ कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलूं then ask him to sit.

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, मैं तो चाह रहा हूं कि आप बोलें।

श्री अनिल विज : हां तो let me speak, Sir.

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठा है।

श्री अनिल विज : मैं महत्वपूर्ण बिन्दु को भी टच करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, मैं इस विषय में डिबेट का टाईम फिक्स कर रहा हूं।

Shri Anil Vij: Speaker Sir, you give me five minutes, ten minutes, one hour or two hour, I will speak accordingly.

Mr. Speaker: Mr. Vij, I am fixing your time tomorrow on Lokayaukta Bill of Haryana. उसमें आप कुछ भी कहिए... I am giving you twenty minutes to speak tomorrow. (Interruption)

श्री अनिल विज: स्थीकर सर, आप मुझे अब तो बोलने दें।

श्री अध्यक्ष: अनिल विज जी, कल जब लोकायुक्त पर बात करेंगे उस समय आप इस बारे में बोल लेना।

Shri Anil Vij: Speaker Sir, it is for me to explain. I will not speak any irrelevant thing.

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, क्या आप हरियाणा के लोकायुक्त बिल पर कुछ नहीं कहना चाहते ?

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, में उसको भी टव करूंगा।

श्री अध्यक्ष: अनिल विज जी, कल उस पर डिस्कशन होगा! (शोर एवं व्यवधान)

Shri Anil Vij: Sir, I will not speak any irrelevant thing. If you want me to speak please let me speak.

श्री अध्यक्ष: पहले आप सम्पत सिंह जी को बोल लेने दें उसके बाद आप बोल लेना और इस बात का ध्यान रखना कि डिस्कशन प्यायंटिड होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आप मुझे बाऊंड क्यों करते हैं ?

श्री अध्यक्ष: विज जी, में आपको बाऊंड नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं तो प्वायंटिड डिसकशन की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं प्वायंटिड डिसकशन चाहता हूं।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं प्वायंटिड डिसकशन ही करूंगा।

Mr. Speaker: Yes, Mr. Sampat Singh, please conclude.

पो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं एक और कंक्रीट सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। यह सर्वविदित तथ्य है कि आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो भी सिलैक्शंज़ हो रही हैं वे ट्रांसपेरेंट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें अभी भी काफी खामियां हैं। सरकार ने दो-तीन डिपार्टमेंट में यह काम किया है लेकिन मैं थाहता हूं कि सरकार अपने समी डिपार्टमेंट में यह करे कि ट्रांसफर की एक पॉलिसी बनाई जाये ताकि ट्रांसफर के कारण होने वाले

वक्तव्य (2)83

करणान पर भी नकेल डाली जा सके। अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा हमने इस केस में देखा है कि पांच साल बाद चालान पुट-अप हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी आदमी उस समय अलैज्ड अपराधी है उस आदमी को 90 दिन के बाद जमानत मिल जाती है। सर, आप एक वकील हैं इसलिए आप मुझ से ज्यादा जानते हैं लेकिन मैंने तो अपने एक प्रेक्टिकल एक्सपीरियंस से देखा है कि ऐसे लोग बरी होकर बाहर आ जाते हैं और पैसे के बलबूते पर विदेशों के दूर करके ऐश करते रहते हैं लेकिन होना यह चाहिए कि उन लोगों को ह्थकड़ी लगाकर जेलों में बंद कर देना चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि जो हाई प्रोफाईल करणान से जुड़े केसिज़ हैं उनका चालान हर हालत में 90 दिन के अंदर-अंदर पुट-अप होना चाहिए और अगर कोई पुटअप न करे तो कम से कम हरियाणा में तो हम कर ही सकते हैं, ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ जवाबदेही बनाई जाये, कार्रवाई की जाये। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि जो हाई प्रोफाईल केस हैं उनके लिए सैप्रेट कोर्ट होनी चाहिए। हाई प्रोफाईल केस में एक ही जज को केस दे दिया जाये। मैं केवल हाई प्रोफाईल केसिज के बारे में कह रहा हूँ जहाँ पर करोड़ों का अरबों का घोटाला होता है ताकि उसका निपटाश जल्दी हो सके। जिनमें हाई रिस्क होता है।

Mr. Speaker: We have special courts. We do have special Courts to deal with such suggestions.

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगली राजनीतिक बात में कहना चाहता हूँ जो कि सबसे बड़ी बात है। वोटर्स को इस बात के लिए तैयार किया जाये कि वह ईमानदार आदमी को वोट खले। Vote to Honest. इससे हर पार्टी ईमानदार आदमी को ही चनाव के लिए खड़ा करेगी। अगर एक बार किसी से गलती भी हो जायेगी तो अगली बार वह पार्टी अपनी गलती को सुधार लेगी अन्यथा बिल वाहे कितने भी बन जायें उनसे बात बनने वाली नहीं है। कानून तो आज भी है। Prevention of Corruption Act है। उसमें प्रधान मंत्री भी आते हैं सभी लोग उसके अंडर आते हैं लेकिन करप्शन दूर कहाँ हो रही है ? क्या जरूरत पड़ी है ऐसे बिलों की ? इसमें भी लोगों को भूमित किया जाता है कि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा। भ्रष्टाचार उस दिन समाप्त होगा जिस दिन ईमानदार लोगों की पहचान हो जायेगी और इन करप्ट, क्रिमिनल और बेईमान लोगों को लोग बोट के लिए नकार देंगे वर्ना ये लोग झुठे वायदे करके लोगों से वोट लेकर आ जाते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं उसके बाद इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि राईट टू वोट का अधिकार हमें मिला हुआ है लेकिन वोट कास्ट करना हमारी मर्जी हो गई है। आज मेरा बोट बना हुआ है अगर मैं सारी उम्र बोट न डालूँ सो भी मेरा वोट बना रहेगा। कोई न कोई ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए जिससे वोट कास्ट मैंडेटरी हो। मैं मानता हूँ कि यह केन्द्र सरकार से संबद्ध है लेकिन इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा मैं इसलिए बता रहा हूँ। आज 40 परसैंट लोग वोट डालते हैं और 60 परसैंट लोग बोट नहीं डालते। 30 परसैंट लोग तो ऐसे हैं जो गर्मी में वोट के लिए लाईन में लगने में शर्म महसूस करते हैं और फिर बाद में ड्राइंगरूम में आकर, क्लबों में जाकर और कॉफी हाउस में बैठकर इस प्रकार की बात करते हैं कि करप्शन फैल गई। उनसे कोई पूछे कि तुमने वोट किसको डाला तो उनका जवाब होता है कि मैंने तो किसी की नहीं डाला। उन लोगों को इस तरह के डिस्कशन करने का क्या अधिकार है ? वे उस आदमी का जिक्र भी नहीं करेंगे जो वोट डालता है और मेहनत करता है। अध्यक्ष महोदय, इसको मैंडेटरी करना चाहिए। इसी तरीके से असे कि ट्रस्टों का जिक्र किया गया, सोसाइटीज का जिक्र किया [प्रो० सम्पत्त सिंह]

गया, सारे के सारे जितने लोग हैं इनके उद्देश्यों को सरकार को समझना चाहिए। इसके बारे में मैं कल बोलूँगा क्योंकि कल मेरा इस बारे में कालिंग अटैन्शन मोशन एडिमिट हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि एक दिन आवश्यक सेवाएं निश्चित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का ब्यान आया था कि आवश्यक सेवाओं को निश्चित अविध में लोगों को प्राप्त करने का अधिकार दे दिया जाये तो अच्छा होगा। अभी तक तो एग्जीक्यूटिव डायरैक्शन्स हैं अगर हम ऐसा एक्ट बनाकर ले आयें तो उससे करण्शन को रोकने में काफी मदद मिलेगी। एक निश्चित अविध में हमें यह सेवा देनी पड़ेगी। अगर हमें राशन कार्ड बनाने हैं या लाईसेंस बनाने हैं तो उसी अविध में हमें ये सेवाएं देनी पड़ेगी। अगर हम दिन निर्धारित कर दें तो उससे काफी फर्क पड़ेगा यही मेरा कहना था।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह जो आज कालिंग अटैन्शन मोशन डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी ने सदन में प्रस्तुत किया है यह उनका अधिकार है वे कर सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ज्वलन्त विषय है उसको विषयांतर करने की कोशिश की गई है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, I am on point of order. सर, पहले कम से कम माननीय सदस्य यह बतायें कि क्या उनका व्यू उनकी पार्टी के नेता से भिन्न है ? उनकी पार्टी के नेता ने तो बता दिया कि उनकी पार्टी तो इस प्रस्ताव से सहमत है। क्या विज साहब का अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता से भिन्न मत है, यह ये बता दें ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है।

Mr. Speaker: Are you in favour of this?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, वह भी बताऊंगा, आप मेरी बात सुन तो लें। इस तरह से तो आप मेरा पांच मिनट का समय ऐसे ही खराब कर देंगे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वक्तव्य (पुनरारम्भण)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में, सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो आज जनता की तरफ से एक बिल तैयार किया गया है और जिसके लिए श्री अन्ना हजारे पिछले लगमग 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, इस हाउस से इस मामले का कोई मतलब नहीं है और न ही डिबेट से मतलब है। इनको ऑन दी प्वायंट बोलना चाहिए। अन्ना हजारे

वक्तव्य (2)85

इस हाउस का मैम्बर नहीं है इसलिए अगर आपने हाउस का समय खराब करने देना है तो करवा दीजिए। प्रधानमंत्री इस बारे में सीरियस है इसलिए यह अननैसेसरी मामले को उठा रहे हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है।

Mr. Speaker: Mr. Vij, you restrict yourself to Calling Attention Motion.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आपने इस कालिंग अटैशन मोशन को डिस्कशन में कन्बर्ट किया है और मैं उसी पर बोल रहा हूं।

Mr. Speaker: But only on the point of corruption.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं असी करप्शन पर आ रहा हूं। जो बात इस दायरे में होगी मैं वही बात करूंगा। मुझे मालूम है कि मुझे क्या बोलना है।(विघ्न) सर, सम्पत सिंह जी इतना बोले हैं और इतना * * बोले हैं लेकिन मैंने इनको इंट्रप्ट नहीं किया है फिर ये अब मुझे क्यों इंट्रप्ट कर रहे हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, विज साहब द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता इसलिए यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, वह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए। I think that you will generate a very healthy debate. This is my observation

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, हमारे दायरे में जो है मैं उसी बात को कहूंगा। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो ज्वलंत मुद्दा है उससे ध्यान हटाने की कोशिश की गयी है। यह ठीक है कि अष्टाचार कोई भी करें, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो, कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई केन्द्रीय मंत्री हो या कोई आम आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। में भी इस बात से सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या आप इस कालिंग अटेंशन मोशन से सहमत हैं ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं कालिंग अटेंशन मोशन के बारे में ही बता रहा हूं!

Mr. Speaker: He is agreeing. This may be noted. He is agreeing.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं आप मुझे बताने तो दीजिए। यह जो आपने आज कालिंग अटेंशन मोशन अलाउ किया है और जो आपने इसको चर्चा में परिवर्तित किया है क्या वह ठीक है? कालिंग अटेंशन मोशन तक तो ठीक था। कोई भी मैम्बर कालिंग अटेंशन मोशन ला सकता है और जो असैम्बली के इस बारे में रूल्ज हैं उनके मुताबिक उस पर क्वैश्चन पूछने की भी इजाजत दी जा सकती है। क्वैश्चन पूछने के बारे में जब आप कह रहे थे तो मैं भी उस समय इस बारे में रूल्ज पढ़ने गया था। आप कालिंग अटेंशन मोशन पर क्वैश्चन पूछने की इजाजत दे सकते हैं लेकिन आप इस पर चर्चा नहीं करवा सकते हैं।

Mr. Speaker: Mr. Vij, I asked for the sense of the House and the House said we can have a structured discussion. House says well. करप्शन पर डिस्कशन के लिए अगर सभी मैम्बर्ज ऐग्री कर रहे हैं तो फिर मुझे क्या दिक्कत है।

^{*} चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आप फल बसा दीजिए जिसके तहत कालिंग अटैंशन मोशन पर डिस्कशन हो सकती है। (विध्न)

Mr. Speaker: House is supreme. Mr. Vij, is this Rule bigger then the House?

प्रोo सम्पत्त सिंह: सैकड़ों बार कालिंग अटैशन मोशन पर आधे घंटे की डिस्कशन अलाज की गयी है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, हाउस की हैल्दी पार्लियामेंट्री ट्रैडीशन यह कहती है कि अच्छा तब होता कि जिन लोगों के बारे में यह कालिंग अटेंशन मोशन लाया गया है वे इस समय सदन में उपस्थित होते और अपनी बात भी कहते। अगर वे इस समय सदन में उपस्थित होते तभी यह चर्चा जुडिशिएस और फ़ुटफुल हो सकती थी। मैं अब भी आपके सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Mr. Vij, resume your seat because I am standing. अब भ्रष्टाचार का मुद्दा हाउस में उठा था तब यहां इस हाउस को नहीं चलने देने के लिए कई मैम्बर्ज वैल में आ गये थे। हाउस का रिकार्ड निकालकर देख लीजिए कि मैंने शुरू में यह कहा था कि भ्रष्टाचार के मद्दे पर यह सदन डिबेट करेगा और मैं इसके लिए सभी सदस्यों को बोलने के लिए अलाक करूंगा। यह हाउस का रिकार्ड है। उसके बाद भी कई बातें हाउस को नहीं चलने देने के लिए की गई। कई मैम्बर्ज हाउस की वैल में आकर नारे लगा रहे थे, वैल में आकर बैट रहे थे और किसी भी डिस्कशन की तरफ हाउस को बढ़ने नहीं दे रहे थे तो उस समय मेरे लिए बहुत पेनफुल डिसीजन था। जब मुझे यह आश्यासन मिला कि मिस्टर विज सदन में एक सभ्य डिबेट की तरफ बढ़ेंगे तो मैंने आपकी सस्पैंशन को रिवोक किया और कहा कि उनको बुला लो। जब कुछ लोग डिस्कशन ही नहीं करने देना चाहते हों और चेयर को फोर्स कर रहे हों कि नहीं अभी यह हो वह हो. और युं हो तो स्थिति खराब हो जाती है। अब भी तो डिस्कशन हो रहा है आए बोलिए जितना बोलना चाहते हैं कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन मुझे हाउस को कन्डक्ट करने का मौका तो मिलना चाहिए। एक वार्निंग नहीं अगर मैं 25 वार्निंग भी दूं और फिर भी वे माननीय सदस्य अपनी सीट पर न जाएं तो डिस्कशन होगा कैसे ? Despite of my assurance कि भ्रष्टाधार के मुद्दे पर डिस्कशन होगा और उस हाउस को नहीं वलने देना इसके पीछे क्या मन्शा थी यह मुझे नहीं पता लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर था कि इस हाउस में डिस्कशन न हो। मैं तो इस बात के लिए बहुत खुश था कि जिन लोगों के खिलाफ यहां बातें कही गई है यहां पर वे अपने आपको डिफेंड कर पाते। लेकिन हाउस को नहीं चलने देना और हाउस को रैनसम करना यह एक अध्छी प्रैक्टिस नहीं है। अनिल विज जी, आप मेरे से ज्यादा बार यहां चुनकर आये हैं और आप बहुत अच्छे वक्ता हैं तथा बहुत अच्छी राजनैतिक सभ्यता को जानते हैं। इसलिए आप सिर्फ वही बात कहिये जो रिकार्ड पर है। यह न कहिये कि मैंने उनको निकाला है बल्कि यह भी कहिये कि हाउस के हालात को इस तरह बिगाड़ दिया गया क्या यह ठीक है ?

श्री अनिल बिज: येंक यू स्पीकर सर। आपके जो वैल्यूऐबल सुझाव हैं मैं उन्हीं के तहत बात कर रहा हूं। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज सारे प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है हम सुबह उस पर चर्चा कराने की बात कर रहे थे। हमें बार -बार ईशारा किया जा रहा है कि आप

वक्तव्य (2)87

खाली इसी पर सीमित रहें। अगर आप इसी पर चर्चा कराना बाहरों हैं तो हैस्दी पार्लियामैंट्री ट्रेडीशन यह कहती हैं कि आप इनेलों के सदस्यों की सैर्पेशन को रिवोक करें ताकि वे कल हाउस में आ सकें। आपने अपनी बात रख दी और उनकों भी अपनी बात रखने दो ताकि हमें दोनों की सच्चाई का पता लग सके।

श्री अध्यक्ष: सच्चाई तो अदालत देखेगी।

श्री अनिल विज: सर, में कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, मैं एक अच्छी परम्परा के लिए बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने अपना सुझाव उस समय दिया होता क्योंकि आप यहां पर मौजूद थे।

श्री अनिल विज: सर, जो मैटर सब-ज्युडिश होता है वह डिस्कस नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष: ठीक है लेकिन अब सब-ज्यूडिश मैटर डिसकश नहीं हो रहा!

श्री अनिल विज: सर, अब मेरा सुझाव यह है कि Calling Attention Motion has been tabled and has been accepted. Reply of the Government has been tabled in the House. अगर हम इसको किसी कन्क्ल्यूजन की तरफ चर्चा के लिए लेकर जाना चाहते हैं तो हमें इसको कल के लिए एडजर्न करना चाहिए! It should remain the property of the House. (Interruption)

लोक निर्माण(भवन एवं सङ्कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कम से कम सदन को यह तो बता दें कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अदालत द्वारा आरोप निर्धारित हो गए हैं, क्या उसको लोकतंत्र की मर्यादाओं की अनुपालना में इस्लीफा देना चाहिए या नहीं ?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसको भी अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। गल्त से गल्त आदमी को भी अपनी बात कहने का मौका देना एक नैखुरल जस्टिस है।

श्री अध्यक्ष: क्या अपराधी को भी मौका देना चाहिए ?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, चाहे कोई भी हो उसको अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए।

Mr. Speaker: Even accused's statement is recorded under Section 313.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, आप अगर कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट में सरकार ने भी रिप्रैजेंट किया होगा और उन्होंने भी किया होगा। अगर आप हाउस में मैटर लाकर डिसाइड करना चाहते हैं तो......

श्री अध्यक्ष: विज साहब, आपने कालिंग अटेंशन मोशन शायद ध्यान से नहीं पढ़ा।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, भैंने कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष: कालिंग अटैंशन मोशन यह है कि जिस सदस्य के खिलाफ चार्जिज हैं, क्या पब्लिक लाइफ में प्रोबेबिलिटी आफ ट्रांसपेरेसी मेंटेन करने के लिए ऐसे लोगों को होना चाहिए या नहीं।

. Shri Anil Vij: Sir, I want your ruling. अध्यक्ष महोदय, आप इस हास्स के अध्यक्ष हैं, आप हास्स के कस्टोडियन हैं और जहां तक मेरी पर्सनल जानकारी है आप एक अच्छे अधिवक्ता मी हैं। मैं सब बीओं से हटकर इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपकी जजमैंट चाहता हूं। जो आदमी इस सदन का सदस्य नहीं है उन पर तो चर्चा नहीं हो सकती जैसा कि सम्पत सिंह जी ने कहा लेकिन जो इस हास्स के सदस्य हैं क्या उनको भी अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए या नहीं। यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हं।

सहकारिता मंत्री(श्री सतपाल सांगवान): अध्यक्ष महोदय वह बात करने के लिए तैथार ही नहीं है। आपने इनको कितना टाइम दिया है। आपको 4-4 बार हाउस एउजर्न करना पड़ा था।

श्री अनिल विज: सांगवान साहब, यह हाउस है, यहां रिकार्ड बनते है। (शोर एवं व्यवधान) हाउस के रिकार्ड भी कोट होते हैं। I am not putting any question to you. I am speaking to the Hon'ble Speaker.

Shri Satpal Sangwan: I am also not speaking to you. I am speaking to the Hon'ble Speaker. यह तो इसकी आदत है। He will never change his habit. It is his habit.

Mr. Speaker: Vij Sahib, do you agree on discussion on Lokayukta?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोवय, मैं एक सुझाव देकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री महोवय ने सुझाव मांगे हैं इसलिए मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Do you want to have discussion on Lokayukta?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, जब लोकायुक्त पेश होगा मैं तब बताऊंगा।

Mr. Speaker: Alright, He is saying 'No'. This may be recorded that he does not want to indulge in a debate on Lokayukta.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने भ्रष्टावार रोकने के लिए हमारे सुझाव मांगे हैं इसलिए में अपने सुझाव देना चाहता हूं।

Mr.Speaker: Alright. My ruling is Mr. Vij does not want to be a part of discussion on Lokayukta.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा।

लोक निर्माण(भवन एवं सङ्कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से सरकार ने मुख्य मुद्दे को डिल्यूट करने की कोशिश की है। यह लाया जा सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है और इस पर कार्यवाही हो सकती है।

Mr. Speaker: Are you ready to participate in a debate on Lokayukta? I am again giving you a chance to have a discussion on Lokayukta.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात तो कहने दें।

Mr. Speaker: As he is not ready, my earlier ruling may be carried.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, अभी तक इन्होंने यह नहीं कहा कि ये कार्लिग अटेंशन के खिलाफ हैं था हक में हैं। इनको बोलते हुए 30 मिनट हो थुके हैं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने कालिंग अटेंशन के खिलाफ या हक की कोई बात नहीं की।

Mr. Speaker: Thank you very much. I have noted your suggestion.

श्री अनिल दिज: अध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन में अपना सुझाव देना चाहता हूं। आप भ्रष्टाचार को रोकने के सुझाव मांग रहे थे। मैं बाकी कोई भी अन्ना हजारे की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल सुझाव देना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो इस सदन को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहिए और केन्द्र सरकार के पास मेजना चाहिए। जो जन लोकपाल बिल, सशक्त बिल प्रस्तुत किया जा रहा है।

Mr. Speaker: Please sit down.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, इम प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। We can pass a resolution. We should pass a resolution.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, suggestions have come from Dr. Raghuvir Singh Kadian and supported by Parliamentary Affairs Minister and also by Shri Krishan Pai Gurjar, MLA wherein they demanded for constitution of a House Committee to probe the issue under discussion. Does the House agree?

Voices: Yes, Sir.

Mr. Speaker: With the mandate of the House, I shall constitute a Committee consisting of members of all the political parties to probe into the issue which has been raised in the House. (Interruption) Can I announce the Committee?

Voices: Yes, Sir.

बैठक का समय बढाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: टीक है, हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker: Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by myself as a Member of this House against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/breach of privilege by him and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Chairperson of the Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian): Speaker Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by myself as a Member of this House against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/ breach of privilege by him.

Sir, I beg to move--

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved----

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Question is----

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) श्री औम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker: Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Orn Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect

statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so, Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Chairperson of the Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian): Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so, Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of Breach of Privilege/ contempt of the House.

Sir, I beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iii) श्री औम प्रकाश चीटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker: Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA and Chairperson of Privileges Committee will present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of ₹ 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs.290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs.10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the afore-stated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautla on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Chairperson of the Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian): Speaker Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of ₹ 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for ₹ 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of ₹ 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupec has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement

of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the afore-stated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

Sir, I beg to move--

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved ---

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Question is ----

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was put and carried.

(iv) श्री औम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker: Hon'ble Members now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA, Chairperson, Committee of Privileges will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by myself as Member of the House against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 6th September, 2010, stating that a news was being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. He further stated that Shri Gopal Kanda himself was driving the car and this car was owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of Car as HR-70-L -0009. He further stated the girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign. Whereas, the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala made a false, misleading and incorrect statement in the House. He made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Chairperson of the Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian): Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA (Now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 6th September, 2010, stating that a news was being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. He further stated that Shri Gopal Kanda himself was driving the car and this car was owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of Car as HR-70-L-0009. He further stated the girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign. Whereas, the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala made a false, misleading and incorrect statement in the House. He made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved--

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

वर्ष 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Excess Demands Over Grants and Appropriations for the years 2005-2006, 2006-2007 and 2007-2008.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to present the Excess Demands Over Grants and Appropriations for the years 2005-2006, 2006-2007 and 2007-2008.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands Over Grants and Appropriations for the years 2005-2006, 2006-2007 and 2007-2008 will take place. As per the past practice, in order to save the time of the House, demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

(i) Demands for the year 2005-2006

Mr. Speaker: Question is ---

That a grant of a sum not exceeding ₹ 99,75,07,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2005-2006 in respect of Building & Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is ---

That a grant of a sum not exceeding ₹ 49,38,26,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2005-2006 in respect of Medical & Public Health.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is ----

That a grant of a sum not exceeding ₹ 118,60,41,000/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2005-2006 in respect of Irrigation.

The motion was carried.

(ii) Demands for the year 2006-2007

Mr. Speaker: Question is ---

That a grant of a sum not exceeding ₹ 16,26,31,770/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2006-2007 in respect of Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is ----

That a grant of a sum not exceeding ₹ 236,75,08,505/-be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2006-2007 in respect of Buildings & Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is -

That a grant of a sum not exceeding ₹ 139,77,18,308/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2006-2007 in respect of Medical & Public Health.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is -

That a grant of a sum not exceeding ₹ 182,81,37,078/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2006-2007 in respect of Irrigation.

The motion was carried.

Demand for the year 2006-2007.

Mr. Speaker: Question is ---

That a grant of a sum not exceeding ₹ 23,25,66,301/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2006-2007 in respect of Forests.

The motion was carried.

Demand for the year 2007-2008.

Mr. Speaker: Question is -

That a grant of a sum not exceeding ₹ 95,62,03,165/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2007-2008 in respect of Buildings & Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is ---

That a grant of a sum not exceeding ₹ 54,27,01,578/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2007-2008 in respect of Medical & Public Health.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is --

That a grant of a sum not exceeding ₹ 278,72,22,585/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2007-2008 in respect of Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is --

That a grant of a sum not exceeding ₹ 9,86,534/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2007-2008 in respect of Tourism.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended till the business is over.

Voices: yes, Sir.

Mr. Speaker: The time of the sitting is extended till the business is over.

वर्ष 2011-12 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates 2011-12 (First Installment).

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates 2011-12 (First Installment).

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, Rao Dharam Pal, Chairperson, Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates 2011-12 (First Installment).

Rao Dharam Pal, (Chairperson, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates 2011-12 (First Installment).

वर्ष 2011-12 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Supplementary Estimates 2011-12 (Pirst Installment) will take place.

As per the past practice, in order to save the time of the House, demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

(No Member rose to speak.)

Mr. Speaker: Question is ---

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 11,08,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 13,05,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 2-Governor and Council of Ministers.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 4,90,00,000/for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges
that will come in the course of payment for the year ending 31st
March, 2012 in respect of Demand No. 3-General Administration.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 136,83,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 4-Revenue**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹23,50,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 5-Excise & Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹30,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 6-Finance**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 36,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 7-Planning and Statistics.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 6,50,00,000/-

Э

G)

- G

:7

for revenue expenditure and ₹ 20,99,27,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 8-Buildings & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 2,39,00,000/for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges
that will come in the course of payment for the year ending 31st
March, 2012 in respect of **Demand No. 9-Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 70,00,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 10-Technical Education**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 16,33,65,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 11-Sports and Youth Welfare.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 5,00,00,000/for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges
that will come in the course of payment for the year ending 31st
March, 2012 in respect of Demand No. 12-Art & Culture.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 42,64,36,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 13-Health**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1,02,00,000/for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges
that will come in the course of payment for the year ending 31st
March, 2012 in respect of **Demand No. 14-Urban Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 373,80,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 15-Local Government.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is ---

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1,34,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 17-Employment.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is --

That a Supplementary sum not exceeding ₹80,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 19-Welfare of SCs & BCs.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 20,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 20-Social Security and Welfare

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 27,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 23-Food and Supplies.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 1,39,02,000/for revenue expenditure and ₹ 125,00,00,000 for capital expenditure
be granted to the Governor to defray charges that will come in the
course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect
of **Demand No. 24-Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 28,00,000/- for revenue expenditure and ₹ 20,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 25-Industries.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 29,91,22,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 27-Agriculture**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 32,87,50,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 32-Rural & Community Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 36,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment—the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand ... Four em.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 45,10,22,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 36-Home.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 45,59,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 37-Elections.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 11,00,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 38-Public Health and Water Supply.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 12,50,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 39-Information & Publicity**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 49,08,08,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 42-Administration of Justice**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 15,00,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of **Demand No. 44-Printing and Stationery**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 202,88,00,000/- for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2012 in respect of Demand No. 45-Loans and Advances by State Government.

(The motion was carried.)

विधान कार्य --

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 2011 and also move the motion for its consideration.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill, 2011.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Second Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is ---

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is ---

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula Be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is ---

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved.

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House stands adjourned till 10.00 A.M. tomorrow.

*19.45 hrs. (The Sabha then *adjourned till 10.00 A.M. Wednesday, the 24th August, 2011.)

49320-H.V.S.---H.G.P., Chd.

.